



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032021-225860
CG-DL-E-12032021-225860

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]
No. 133]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2021/फाल्गुन 21, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2021/PHALGUNA 21, 1942

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

सा.का.नि. 174(अ).—कतिपय नियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के खंड 14 के अनुसार अपेक्षित, नागर विमानन मंत्रालय में भारत सरकार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 365 (अ), तारीख 2 जून, 2020, सहित प्रकाशित हुआ था, उस तिथि से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले, जिस दिन भारत के राजपत्र की प्रतियां प्रकाशित की गई थीं, जिन्हें सार्वजनिक किया गया था; संभावित रूप से इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित कर रहा है;

और जबकि, उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां तारीख 10 जून, 2020 को सार्वजनिक की गई थीं;

और जबकि, निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया गया है;

अब, इसलिए, केंद्रीय वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 4, 5, धारा 8 की उपधारा (2), धारा 10 की उपधारा (2), 10क, 10ख और 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार नामतः निम्नलिखित नियम बनाती है: -

भाग I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम निम्न पर लागू होंगे -

- (क) भारत में रजीस्ट्रीकृत मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) पर, जहां कहीं भी ये हो सकते हैं; या
- (ख) भारत में किसी मानव रहित विमान प्रणाली का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले अथवा इसके निर्यात, आयात, कारोबार, पट्टे पर देने, प्रचालन, हस्तांतरण या अनुरक्षण में लगे किसी व्यक्ति पर; या
- (ग) तत्समय भारत में या भारत के ऊपर रहने वाले सभी मानव रहित विमान प्रणाली पर;
- (4) वायुयान नियम, 1937 नियम में अंतर्विष्ट उपाबंधों में, मानव रहित विमान प्रणाली और इनसे संबंधित और अनुषंगी मामलों पर लागू नहीं होंगे, उन उपाबंधों के सिवाए जिनके मानव रहित विमान प्रणाली पर अनुप्रयोग का उपाबंध विशेष रूप से किया गया है।
- (5) ये नियम मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) के संबंध में केवल नागर विमानन के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे।

2. परिभाषाएं — (1) इन नियमों में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई भी बात प्रतिकूल न हो-

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है जो वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) से अभिप्रेत है।
- (ख) “वायुयान” से अभिप्रेत है जो एक शक्ति चालित विमान से है जो अन्य किसी भी हवाई विमान से अधिक भारी हो, मुख्य रूप से सतहों पर वायुगतिकीय (aerodynamic) प्रतिक्रियाओं से उड़ान में अपने उत्थापन को प्राप्त करे जो उड़ान की दी गई निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप होते हैं;
- (ग) “उड़ान योग्य” से अभिप्रेत है जो मानव रहित विमान या उसके भाग या घटक की स्थिति जब वह उसके स्वीकृत डिजाइन के अनुरूप और सुरक्षित प्रचालन की स्थिति में होता है।
- (घ) “अनुमोदित मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालन” से अभिप्रेत है जो इन नियमों के अनुसार किसी अनुपालक मानव रहित विमान प्रणाली द्वारा प्रचालन से है।
- (ङ) “प्राधिकृत अनुसंधान और विकास संगठन” के अंतर्गत कोई भी मान्यता प्राप्त गठित संस्था या एक कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय या उच्च शिक्षा की एक संस्था या सरकारी अनुसंधान और विकास संगठन आते हैं जो मानव रहित विमान प्रणाली के अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत हैं;
- (च) “प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली आयातक” से अभिप्रेत है जो ऐसे व्यक्ति से है जो इन नियमों के अधीन भारत से बाहर किसी स्थान से किसी मानव रहित विमान प्रणाली या इसके किसी भाग या किसी पुर्जे के आयात के लिए प्राधिकृत है;
- (छ) “प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली विनिर्माता” से अभिप्रेत है जो ऐसे किसी व्यक्ति से है जो इन नियमों के अधीन से किसी मानव रहित विमान प्रणाली या इसके किसी भाग या किसी पुर्जे के निर्माण के लिए प्राधिकृत है;
- (ज) “प्राधिकृत अनुरक्षण केंद्र” से अभिप्रेत है जिसे ऐसे किसी व्यक्ति से है जो विनिर्माता के प्रबंधन नियमावली के उपाबंधों के अनुसार मानव रहित विमान प्रणाली के प्रबंधन के लिए प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली विनिर्माता या आयातक द्वारा प्राधिकृत हो।”
- (झ) “प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालक” से अभिप्रेत है जो ऐसे व्यक्ति से है जो इन नियमों के अधीन मानव रहित विमान प्रणाली के प्रचालन कार्य में नियोजन करने या नियोजित किए जाने की प्रस्थापना के लिए प्राधिकृत है;
- (ञ) “प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली स्वामी” से अभिप्रेत है जो ऐसे किसी व्यक्ति से है जो इन नियमों के अधीन मानव रहित विमान प्रणाली का स्वामी बनने या उसे पट्टे पर लेने के लिए प्राधिकृत है
- (ट) “प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली कारोबारी” से अभिप्रेत है जो ऐसे किसी व्यक्ति से है जो इन नियमों के अधीन किसी मानव रहित विमान प्रणाली या इसके किसी भाग या किसी पुर्जे का कारोबार करने (क्रय या बिक्री या पट्टे पर देने अथवा लेने) के लिए प्राधिकृत है;
- (ठ) “स्वायत्त मानव रहित विमान प्रणाली” से अभिप्रेत है जो ऐसे मानव रहित विमान प्रणाली से है जिसके लिए उड़ान के प्रबंधन में पायलट का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं होता;

- (ड) “स्वायत्त प्रचालन” से अभिप्रेत है जो ऐसे प्रचालन से है जिसके दौरान दूरस्थ से प्रचालित विमान, उड़ान के प्रबंधन में पायलट के हस्तक्षेप के बिना प्रचालित हो रहा हो;
- (ढ) “दृश्य दृष्टिरेखीय प्रचालन से परे” से अभिप्रेत है जो ऐसे प्रचालन से है जिसमें दूरस्थ पायलट या पर्यवेक्षक उड़ान के संचालन में दूरस्थ द्वारा प्रचालित विमान के लिए दृश्य संदर्भ का उपयोग नहीं करता;
- (ण) “अनुरूपता का प्रमाणपत्र” से अभिप्रेत है जो है कि प्रत्येक मानव रहित विमान प्रणाली के लिए प्राधिकृत निर्माता या अधिकृत आयातक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र जो यह प्रमाणित करता है कि इस तरह के मानव रहित विमान का निर्माण, निर्माण तथा उड्डयन योग्यता के प्रमाण-पत्र के अनुरूप किया गया है;
- (त) “विनिर्माण एवं उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र” से ऐसे प्रमाण पत्र से है जिसे महानिदेशक द्वारा जारी किया जाता है, जो यह प्रमाणित करता है कि मानव रहित विमान प्रणाली का निर्माण, विशिष्ट प्रकार और वर्ग के लिए, इन नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है, और यह सुरक्षित प्रचालन की स्थिति में है;
- (थ) “अनुरक्षण प्रमाणपत्र” से अभिप्रेत है जो ऐसे प्रमाण पत्र से है जो प्राधिकृत प्रबंधन द्वारा जारी किया जाता है और यह प्रमाणित करता है कि मानव रहित विमान प्रणाली का प्रबंधन या मरम्मत या संशोधन, मानव रहित विमान प्रणाली के निर्माता द्वारा प्रदान की गई नियमावली के अनुसार किया गया है, और यह सुरक्षित प्रचालन की स्थिति में है;
- (द) “कमांड और कंट्रोल लिंक” से अभिप्रेत है जो, उड़ान का प्रबंधन करने के प्रयोजनार्थ, मानव रहित विमान और दूरस्थ पायलट स्टेशन के बीच डेटा लिंक से है;
- (ध) “अनुगामी मानव रहित विमान प्रणाली” से अभिप्रेत है जो इन नियमों के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालक मानव रहित विमान प्रणाली से है;
- (न) “संविदाकारी राज्य” से अभिप्रेत है जो ऐसे राज्य से है जो तत्समय के लिए तारीख 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में सम्पन्न अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन कन्वेंशन का पक्षकार है;
- (न) “नियंत्रित हवाई क्षेत्र” से अभिप्रेत है जो परिभाषित आयामों वाले हवाई क्षेत्र से है जिसके भीतर हवाई क्षेत्र वर्गीकरण के अनुसार हवाई यातायात नियंत्रण सेवा मुहैया कराई जाती है;
- (प) “खतरे का क्षेत्र” से अभिप्रेत है जो परिभाषित आयामों वाले हवाई क्षेत्र से है जिसके भीतर विनिर्दिष्ट समय पर मानव रहित विमान प्रणाली की उड़ान के लिए खतरनाक क्रियाकलापों मौजूद हैं;
- (फ) “महानिदेशक” से अभिप्रेत है जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त “नागर विमानन महानिदेशक” से है;
- (ब) “ड्रोन” से अभिप्रेत है जो मानव रहित वायुयान से है।
- (भ) “ड्रोन पोर्ट” से अभिप्रेत है जो भूमि या जल पर किसी परिभाषित क्षेत्र (किसी भी भवन, संस्थापनाओं और उपस्करों सहित) से है जिसे पूर्णतः या अंशतः मानव रहित विमानों के आगमन, प्रस्थान, भूतल आवागमन और संबद्ध अनुरक्षण या वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाना अभिप्रेत है;
- (म) “ड्रोन स्वार्म” से अभिप्रेत है जो मानव रहित विमान के एक बेड़े से है जो या तो एक दूसरे के साथ में या दूरस्थ नियंत्रण में होता है तथा एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ तैनात किया गया हो जिसको या तो स्वायत्तता से अथवा दूरस्थ कंट्रोल द्वारा नियंत्रित किया गया हो;
- (य) (क) “परिवृत्त परिसर” से अभिप्रेत है जो ऐसे परिसर से है जो संरचना की दीवारों के बीच द्वार या खिड़की या गलियारे के अलावा सभी ओर से स्थायी या अस्थायी रूप में घिरा हुआ हो तथा जिसकी एक छत अथवा छাদ होती है;
- (य) (ख) “भौगोलिक घेराबंदी” से अभिप्रेत है जो तीन आयामी भौगोलिक सीमाओं को परिभाषित करने के लिए, भूमंडलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली या रेडियो आवृत्ति पहचान का उपयोग करके, वास्तविक विश्व की भौगोलिक स्थिति के लिए एक परिभाषित आभासी स्थान के भीतर एक मानव रहित विमान की आवाजाही को प्रतिबंधित करने से है;
- (य) (ग) “हाइब्रिड मानव रहित विमान” से अभिप्रेत है जो एक मानव रहित विमान से है जो हवा से अधिक भारी हो जो सीधी उड़ान, सीधे अवतरण (लैंडिंग) और धीमी गति वाली उड़ान में सक्षम हो तथा जो मुख्य रूप से इस उड़ान पद्धति के

दौरान आरोहण हेतु इंजन-संचालित लिफ्ट उपकरण या इंजन थ्रस्ट पर निर्भर करता है और क्षैतिज उड़ान के दौरान लिफ्ट के लिए अनावर्ती विमान पतवार(रों) पर निर्भर करता है;

(य) (घ) “अनुज्ञप्ति” से अभिप्रेत है जो इन नियमों के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्ति से है;

(य) (ङ.) “अनुरक्षण” से अभिप्रेत है जो किसी मानव रहित विमान प्रणाली की निरंतर उड़नयोग्यता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कार्यों के निष्पादन से है, जिनमें ओवरहॉलिंग, निरीक्षण, प्रतिस्थापन, खराबी सुधार और किसी आशोधन या मरम्मत या परीक्षण में से कोई एक कार्य या इनमें से किन्हीं का संयोजन शामिल है;

(य) (च) “दूर-संचालित विमान प्रणाली मॉडल” से अभिप्रेत है जो एक ऐसे दूरस्थ चालित विमान प्रणाली से है जिसका कुल भार 25 किलोग्राम से अधिक न हो, जिसका उपयोग केवल शैक्षिक प्रयोजन के लिए किया जाए और इसका परिचालन इस दूरस्थ चालित विमान प्रणाली का प्रचालन करने वाले व्यक्ति की दृष्टि सीमा के भीतर ही होता हो;

(य) (छ) “भारयोग” से अभिप्रेत है जो मानव रहित विमान में रखे गए किसी पुर्जे या उपस्कर या किसी अन्य सामग्री से है जो उड़ान या इसके नियंत्रण के लिए अपेक्षित नहीं है;

(य) (ज) “व्यक्ति” में कोई व्यक्ति या कम्पनी या कोई फर्म या व्यक्तियों का संगठन या व्यक्तियों का निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या कोई विधिक निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या इसकी कोई भी अभिकरण शामिल है;

(य) (झ) “निषिद्ध क्षेत्र” से अभिप्रेत है जो भारत के भू क्षेत्रों या राज्यक्षेत्रीय समुद्र के ऊपर परिभाषित आयामों वाले हवाईक्षेत्र से है जिसके भीतर किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय मानव रहित विमान प्रणाली की उड़ानों की अनुश नहीं है, अथवा कोई संस्थापन अथवा भारत के क्षेत्रीय जल से बाहर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्ट की सीमा, किसी भी परिस्थिति के अधीन किसी भी समय;

(य)(ञ) “प्रोटोटाइप मानव रहित विमान प्रणाली” से अभिप्रेत है कि वह मानव रहित विमान प्रणाली जिसे अनुसंधान और विकास के प्रयोजन से या निर्माण एवं उड़ान और योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया हो;

(य)(ट) “रेटिंग” से अभिप्रेत है, एक दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति पर, इस अनुज्ञप्ति से संबंधित विशेष शर्तों, विशेषाधिकारों या सीमाओं को बताता हुआ इस पर दर्ज किया गये एक प्राधिकरण से है;

(य)(ठ) “रिमोट पायलट” से अभिप्रेत है जो ऐसे व्यक्ति से है जिसे दूरस्थ-संचालित विमान के प्रचालन के लिए आवश्यक कार्य, प्रचालक द्वारा सौंपा गया हो और जो उड़ान समय के दौरान उड़ान नियंत्रणों को, यथोचित रूप से अपने हाथ में लेता है;

(य)(ड) “रिमोट-संचालित विमान” से अभिप्रेत है जो ऐसे मानव रहित विमान से है, जिसे दूरस्थ पायलट स्टेशन से संचालित किया जाता है;

(य)(ढ) “रिमोट संचालित विमान प्रणाली” से अभिप्रेत है जो दूरस्थ से संचालित मानव रहित विमान, इसके सहयोगी दूरस्थ पायलट स्टेशन (नों), अपेक्षित कमांड और कंट्रोल लिंक्स तथा अन्य अवयवों से है;

(य)(ण) “दूरस्थ पायलट स्टेशन” से अभिप्रेत है जो दूरस्थ-संचालित विमान प्रणाली के घटक से है जिसमें दूरस्थ-संचालित विमान को प्रचालित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण शामिल हैं;

(य)(त) “प्रतिबंधित क्षेत्र” से अभिप्रेत है जो भारत के भू-क्षेत्रों या राज्यक्षेत्रीय समुद्र के ऊपर, परिभाषित आयामों वाले हवाईक्षेत्र से है जिसके भीतर किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय मानव रहित विमान प्रणाली की उड़ान प्रतिबंधित है;

(य)(थ) “दूर-संचालित विमान पर्यवेक्षक” से अभिप्रेत है जो प्रचालक द्वारा नामित दूरस्थ पायलट से है जो, दूर-संचालित विमान के दृश्य पर्यवेक्षण द्वारा, उड़ान के संरक्षित संचालन में दूरस्थ पायलट की सहायता करता है;

(य)(द) “रोटोरक्राफ्ट” से अभिप्रेत है जो है मूलतः ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक या अधिक शक्ति चालित रोटार पर हवा की प्रतिक्रियाओं द्वारा उड़ान में वायुयान से अधिक भारी विमान से समर्थित है;

(य)(ध) “पृथक हवाईक्षेत्र” से अभिप्रेत है जो विनिर्दिष्ट प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) के लिए विशिष्ट उपयोग के लिए आवंटित विनिर्दिष्ट आयामों वाले हवाईक्षेत्र से है;

(य)(न) “प्रशिक्षण संगठन” में इन नियमों के तहत विशिष्ट अनुमोदित प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयोजन से प्राधिकृत कोई भी संगठन या संस्थान शामिल है;

(य)(प) “संव्यवहार संख्या” से अभिप्रेत है जो ऐसी विशिष्ट संख्या से है जो ऑनलाइन प्लेटफारम के मध्यम से पूर्ण किए गए किसी संव्यवहार की पहचान लिए सृजित किया गया हो।

(य)(फ) “मानव रहित विमानों का प्रकार” का अर्थ उन संशोधनों को छोड़कर सभी संशोधनों के साथ एक ही मूल डिजाइन के सभी मानव रहित विमान, जिसके परिणामस्वरूप हैंडलिंग या उड़ान विशेषताओं में परिवर्तन होता है, से है;

(य)(ब) “मानवरहित विमान” से अभिप्रेत है जो ऐसे मानव रहित विमान से है, जिसे उड़ान में बिना किसी पायलट के प्रचालित किया जाना अभिप्रेत है;

(य)(भ) “मानवरहित विमान प्रणाली” से अभिप्रेत है जो एक मानव रहित विमान और इसके संबद्ध तत्वों से है, जिन्हें उड़ान में बिना किसी पायलट के प्रचालित किया जाता है;

(य)(म) “मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन” से अभिप्रेत है जो हवाई यातायात प्रबंधन के विनिर्दिष्ट पहलू से है जिसमें सभी पक्षकारों के सहयोग से निर्बाध सेवाओं और सुविधाओं के उपाबंध के जरिए संरक्षित, किफायती और कुशल रूप से मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालनों का प्रबंधन किया जाता है और जिसमें वायुजनित और भू-आधारित कार्यकलाप शामिल होते हैं;

(य)(य) “मानव रहित विमान यातायात प्रबंधन प्रणाली” से अभिप्रेत है जो ऐसी प्रणाली से है जो हवाई, भू या अंतरिक्ष-आधारित संप्रेषणों, दिक्चालन और सर्विलांस द्वारा समर्थित, मानवों, सूचना, प्रौद्योगिकी, सुविधाओं और सेवाओं के सहयोगी एकीकरण के मध्यम से मानव रहित विमान के लिए यातायात प्रबंधन उपलब्ध कराती है;

(य)(य)(क) “विशिष्ट प्राधिकार संख्या” से अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को आयातक या विनिर्माता या कारोबारी या स्वामी या प्रचालक के रूप में कार्य करने के लिए जारी की गई विशिष्ट प्राधिकार संख्या से है;

(य)(य)(ख) “विशिष्ट पहचान प्रमाण-पत्र” से अभिप्रेत है जो महानिदेशक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र से है जिसमें यह प्रमाणित होता है कि मानव रहित विमान समनुरूपता के विधिमान्य प्रमाण-पत्र के साथ निर्माता एवं उड़न योग्यता के प्रमाण-पत्र के अनुपालन में है तथा ऐसे मानव रहित विमान को विशिष्ट पहचान संख्या का प्रदान किया जाना भी शामिल है;

(य)(य)(ग) “विशिष्ट पहचान संख्या” से अभिप्रेत है जो मानव रहित विमान का भारत में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए जारी विशिष्ट पहचान संख्या से है;

(य)(य)(घ) “विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या” से अभिप्रेत है जो भारत में एक अधिकृत अनुसंधान एवं विकास संगठन या अधिकृत निर्माता या प्राधिकृत आयातक द्वारा विकसित प्रोटोटाइप मानव रहित विमान के लिए जारी किया गया पहचान संख्या;

(य)(य)(ड.) “दृश्य दृष्टिरेखीय प्रचालन” से अभिप्रेत है जो ऐसे प्रचालन से है जिसमें दूरस्थ पायलट या पर्यवेक्षक दूरस्थ संचालित विमान के साथ प्रत्यक्ष सहायता रहित दृश्य संपर्क अनुरक्षित करता है।

(2) उपर्युक्त शब्दों प्रयुक्त किंतु इसे परिभाषित नहीं किया गया है, जिन्हें वायुयान अधिनियम, 1934, वायुयान नियम, 1937 में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

भाग 2

वर्गीकरण तथा क्रम विन्यास

3. मानव रहित विमान प्रणाली का वर्गीकरण — (1) मानव रहित विमान प्रणाली को विमान, रोटरक्राफ्ट और हाइब्रिड मानव रहित विमान प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(2) ये वायुयान, रोटरक्राफ्ट और हाइब्रिड मानव रहित विमान प्रणाली को और निम्नानुसार उप-वर्गीकृत किया गया है —

(क) दूरस्थ चालित विमान प्रणाली;

(ख) मॉडल रिमोट चालित विमान प्रणाली;

(ग) मानव रहित स्वायत्त विमान प्रणाली।

4. मानव रहित विमान का क्रम वर्गीकरण — मानव रहित विमान (पक) का क्रम विन्यास मानव रहित विमान के समग्र भार (पेलोड सहित) के आधार पर निम्नानुसार किया जाना है:-

(i) अति सूक्ष्म (Nano) मानव रहित विमान: 250 ग्राम से कम अथवा समान;

(ii) सूक्ष्म (Micro) मानव रहित विमान: 250 ग्राम से अधिक तथा 2 किलोग्राम से कम अथवा समान;

(iii) लघु (Small) मानव रहित विमान: 2 किलोग्राम से अधिक तथा 25 किलोग्राम से कम अथवा समान;

(iv) मध्यम (Medium) मानव रहित विमान: 25 किलोग्राम से अधिक तथा 150 किलोग्राम से कम अथवा समान; और

(v) विशाल (Large) मानव रहित विमान: 150 किलोग्राम से अधिक

(2) नीचे उल्लिखित किसी भी निष्पादन मापदंड से अधिक होने की स्थिति में अति सूक्ष्म वर्ग के मानव रहित विमान का वर्गीकरण अगले उच्च वर्ग में किया जाएगा:-

(क) समस्तर उड़ान में अधिकतम गति 15 मीटर/सैकेंड तक सीमित होने पर; अथवा

(ख) दूरस्थ पायलट से अधिकतम साध्य ऊंचाई 15 मीटर तक सीमित होने तथा रेंज 100 मीटर तक सीमित होने पर;

भाग 3

आयातक, निर्माता, व्यापारी, स्वामी तथा प्रचालक को प्राधिकार प्रदान करना

5. प्राधिकार के लिए पात्रता शर्तें:— (1) कोई व्यक्ति को प्राधिकार प्रदान करने के लिए पात्र होगा:

(क) एक व्यष्टिक के मामले में, यदि वह-

(i) भारत का नागरिक है, और

(ii) जिसकी आयु 18 वर्ष अथवा अधिक है; अथवा

(ख) किसी भी कंपनी अथवा कारपोरेट निकाय को बशर्ते कि—

(i) वह रजिस्ट्रीकृत है और उसके कारोबार का मुख्य स्थल भारत में है, तथा

(ii) जिसके अध्यक्ष तथा कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हैं; अथवा

(ग) कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ अथवा व्यक्ति-निकाय अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई विधिक इकाई जिसके व्यवसाय का प्रमुख स्थल भारत में हो, भले ही निगमित हो अथवा न हो के मामले में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अथवा उनकी कोई अभिकरण।

(2) पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण, वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची 11 में उल्लिखितानुसार भारतीय नागरिकों में निहित होगा।

(3) उप-नियम (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति को महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा निर्बाधित अभिप्राप्त करेगा।

6. प्राधिकार के लिए प्रक्रिया — (1) कोई भी व्यक्ति प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली यथास्थिति - आयातक, निर्माता, व्यापारी, स्वामी या ऑपरेटर हो, के रूप में कार्य करना चाहता हो उसे नियम 65 में यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ प्रारूप पक-1 में और महानिदेशक को एक आवेदन होगा।

(2) आवेदक, आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा,-

(i) आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो

- (ii) आयु और पहचान का सबूत - पासपोर्ट अथवा आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड अथवा निर्वाचन फोटो पहचान पत्र अथवा चलन अनुज्ञप्ति की एक स्वप्रमाणित प्रति;
- (iii) निवास का सबूत- पासपोर्ट अथवा आधार कार्ड अथवा मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा बिजली बिल अथवा पानी बिल अथवा लैंडलाइन टेलीफोन के बिल अथवा उसकी पासबुक/बैंक विवरण जो वर्तमान पते को दर्शाने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी न हो की स्व-प्रमाणित प्रति।

(ख) एक कंपनी अथवा निकाय कारपोरेट के लिए-

- (i) निगमन का सबूत- कंपनी के निगमन के प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
- (ii) निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)- उनके डीआईएन के साथ निदेशकों के नाम;
- (iii) रजीस्ट्रीकृत पते का सबूत;
- (iv) कारोबार पते का सबूत।

(ग) स्थानीय प्राधिकरण, केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा उनका अभिकरण के लिए-

- (i) एक मानव रहित विमान को अधिग्रहित करने के लिए संगठन, इसके पते एवं इसके प्रयोजन का ब्यौरा देते हुए विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र;
- (ii) प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम, पदनाम और पता।

(घ) अन्य किसी व्यक्ति के लिए-

- (i) रजीस्ट्रीकृत/निगमन का प्रमाण;
- (ii) प्रबंधन कार्मियों के नाम, पदनाम एवं पते
- (iii) रजीस्ट्रीकृत/कारोबार पते का प्रमाण।

(3) आवेदक, यदि लागू हो तो अपने नंबर के साथ जीएसटी प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

(4) उचित मामलों में आवश्यक पाए जाने की स्थिति में, महानिदेशक द्वारा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आवेदक जिसमें कारपोरेट निकायों के मामले में निदेशक अथवा उच्च प्रबंधन पद प्राप्त अन्य व्यक्ति शामिल हैं, के संबंध में सम्बद्ध प्राधिकरण से निर्बाधन करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है:

परन्तु ऐसा निर्बाधन केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार अथवा उनकी अभिकरणों के लिए अपेक्षित नहीं होगी।

(5) लागू मामलों में सुरक्षा निर्बाधन प्राप्त करने के बाद तथा इस संबंध में समाधान होने पर कि आवेदक नियम 5 में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करता है, महानिदेशक, विशिष्ट प्राधिकरण संख्या के साथ प्राधिकरण प्रदान कर सकता है।

(6) उप-नियम (5) के अंतर्गत प्रदान किया गया एक प्राधिकार, जब तक कि निलंबित अथवा रद्द न कर दिया जाए, दस वर्षों की अधिकतम समयावधि के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट समयावधि तक विधिमान्य रहेगा तथा अधिकतम दस वर्षों की समयावधि के अधीन उसमें वर्णित समयावधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।

(7) उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राधिकार के लिए एक अनुरोध अथवा उप-नियम (6) के अधीन नवीकरण के मामले में, आवेदक नियम 65 में विनिर्दिष्ट फीस सहित प्रारूप पक-1 में महानिदेशक के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(8) समाधान होने पर महानिदेशक प्राधिकृत संख्या जारी कर सकते हैं अथवा प्राधिकृत संख्या की विधिमान्य को नवीकृत कर सकेंगे।

7. नए प्राधिकरण— (1) प्राधिकरण संख्या जारी किए जाने के तत्पश्चात अर्हता शर्तों की पात्रता के संबंध में प्रस्तुत प्रत्यय पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की सूचना महानिदेशक को तत्काल प्रस्तुत की जाएगी तथा पात्रता शर्तों को पूर्ण किए जाने के अधीन नयी प्राधिकार जारी की जा सकेगी, यथाविनिर्दिष्ट बशर्तें।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत नयी प्राधिकरण के लिए अनुरोध के मामले में आवेदक, नियम 65 में यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ प्रारूप पक में महानिदेशक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा।

भाग 4

मानव रहित विमान प्रणाली का विनिर्माण, आयात, उड़न योग्यता, और अनुरक्षण

8. प्रोटोटाइप मानव रहित विमान योजना का विनिर्माण और आयात — (1) कोई भी प्रोटोटाइप मानव रहित विमान प्रणाली महानिदेशक की पूर्व अनुज्ञा के बिना निर्मित या आयात नहीं किया जाएगा।

(2) एक प्रोटोटाइप मानव रहित विमान प्रणाली का उपयोग एक विशेष प्रकार और पक के वर्ग के लिए निर्माण और उड़न योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अलावा किसी भी प्रकार के लिए नहीं किया जा सकता है।

(3) एक प्रोटोटाइप मानव रहित विमान प्रणाली के निर्माण अथवा आयात, जैसा भी मामला हो, की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए एक प्राधिकृत निर्माता अथवा आयातक, प्ररूप यूए-2 में महानिदेशक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(4) प्रोटोटाइप मानव रहित विमान प्रणाली के निर्माण अथवा आयात जैसा भी मामला हो की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए महानिदेशक किसी अतिरिक्त तकनीकी अपेक्षा को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(5) इस विषय में आश्वस्त होने पर कि प्रोटोटाइप इन नियमों के तहत निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पुष्टि करता है, महानिदेशक, आवेदक द्वारा प्रोटोटाइप मानव रहित विमान प्रणाली के निर्माण अथवा आयात, जैसा भी मामला हो, की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।

(6) प्रत्येक प्रोटोटाइप मानव रहित विमान प्रणाली को एक विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या प्रदान की जाएगी।

(7) विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या को प्रोटोटाइप मानव रहित विमान पर एक पहचान योग्य तथा दर्शनीय रीति से चिपकाया जाएगा।

9. मानव रहित विमान प्रणाली के आयात के लिए निर्माण एवं उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र— (1) भारत में कोई भी मानव रहित विमान प्रणाली तब तक प्रचालित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके प्रकार और वर्ग के पास महानिदेशक द्वारा जारी किए गए निर्माण और उड्डयन योग्यता का विधिमान्य प्रमाणपत्र न हो।

(2) महानिदेशक निर्माण की अपेक्षाओं आवश्यकताओं के प्रमाण पत्र और मानव रहित विमान प्रणाली के अनुपालन का पता लगाने के लिए प्रोटोटाइप मानव रहित विमान प्रणाली का परीक्षण करने के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं या संगठनों की नियुक्ति कर सकते हैं ताकि विनिर्माण अपेक्षाओं के अनुसार मानव रहित विमान प्रणाली के अनुपालन का पता लगाया जा सके।

(3) उप-नियम (2) के अधीन ऐसी परीक्षण प्रयोगशालाओं या संगठनों की नियुक्ति महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार होगी।

(4) ऐसी परीक्षण प्रयोगशालाओं या संगठनों की सूची नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

(5) मानव रहित विमान के एक विशेष प्रकार और वर्ग के लिए निर्माण और उड्डयन योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, एक प्राधिकृत निर्माता अथवा आयातक, जैसा भी मामला हो, के द्वारा, नियम 65 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप यूए -3 में महानिदेशक को आवेदन किया जाएगा करेगा;

(6) आवेदक वरीयता क्रम देकर परीक्षण प्रयोगशालाओं या संगठनों का चयन कर सकता है;

(7) आवेदन प्राप्त होने के बाद, महानिदेशक, आवेदक को परीक्षण प्रयोगशाला या संगठन आवंटित कर सकेगा है।

(8) एक मानव रहित विमान निम्नलिखित उपकरणों से सुसज्जित होना चाहिए अर्थात्-

(क) क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति के प्रतिष्ठापन के लिए ग्लोबल नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) रिसीवर(स);

(ख) ऑटोनामस फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम या रिटर्न टू होम ऑप्सन (RTH);

(ग) जियो-फेंसिंग कैपेबिलिटी;

(घ) फ्लैशिंग एंटी-कोलिशन स्ट्रॉब लाइट;

- (ड) फ्लाइट कंट्रोलर;
- (च) फ्लाइट डेटा लागिंग कैपेबिलिटी;
- (छ) नो परमिशन - नो टेकऑफ (NPNT) अनुपालक;
- (ज) सेकेण्डरी सर्विलांस रडार (एसएसआर) ट्रांसपोंडर ('C' अथवा 'S' मोड) अथवा एडीएस-बी आउट इक्विपमेंट (यदि 400 फीट/120 मीटर एजीएल से अधिक प्रचालित करने की मंशा हो तो);
- (झ) रिलायेबल कमांड एण्ड कंट्रोल लिंक;
- (ञ) रीयल-टाइम ट्रेकिंग सिस्टम;
- (ट) बैरोमैट्रिक इक्विपमेंट विद कैपेबिलिटी फॉर दूरस्थ सब-स्केल सैटिंग;
- (ठ) डीटेक्ट एण्ड अवाइड (यदि 400 फीट/120 मीटर एजीएल से अधिक प्रचालित करने की मंशा हो तो);
- (ड) मैनुफैक्चरर सीरियल नंबर;
- (ढ) यूआईएन उत्कीर्णन के लिए अग्नि प्रतिरोधी पहचान प्लेट;
- (ण) टू-वे कम्युनिकेशन सिस्टम (यदि 400 फीट/120 मीटर एजीएल से अधिक प्रचालित करने की मंशा हो तो); और
- (त) 360 डिग्री कालीजन अवोइडेन्स सिस्टम।

(9) अनुज्ञा नहीं- नो टेकऑफ (NPNT) हार्डवेयर और फर्मवेयर टैंपर प्रूफ होंगे।

(10) अनुच्छेद (घ), (च), (छ), (ज), (ञ), (ट), (ठ), (ण) और (त) में निर्दिष्ट उपकरण अति सूक्ष्म श्रेणी के मानवरहित विमानों के संबंध में अनिवार्य नहीं हैं।

(11) अनुच्छेद (ज), (ठ) और (ण) में निर्दिष्ट उपकरण सूक्ष्म श्रेणी मानव रहित विमान के संबंध में अनिवार्य नहीं हैं।

(12) लघु, मध्यम और बड़े श्रेणी के प्रत्येक मानव रहित विमान को किसी भी विफलता की स्थिति में क्षति और सार्वजनिक चोट से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आपातकालीन पुनर्प्राप्ति प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा।

(13) निर्माता एवं उडनयोग्यता के प्रत्येक प्रमाण-पत्र को गैर-अनुज्ञप्ति प्राप्त फ्रीक्वेंसी बैंड(डों) तथा नियमित फ्रीक्वेंसी अथवा वायरलैस ऑपरेटिंग अनुज्ञप्ति जैसा भी मामला हो में प्रचालन करने के लिए एक इक्विपमेंट टाइप अनुमोदन की आवश्यकता होगी तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त फ्रीक्वेंसी बैंड(डों) में परिचालन के लिए दूरसंचार मंत्रालय के समन्वय स्कंध से, इस स्कंध द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(14) निर्माण एवं उडनयोग्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए मानव रहित विमान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तकनीकी अपेक्षाओं एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(15) उप-नियम (7) के अधीन आवंटित परीक्षण प्रयोगशाला अथवा संगठन में आवेदक डिजाइन दस्तावेजों के साथ प्रोटोटाइप मानव रहित विमान प्रणाली को, यह प्रदर्शित करने के लिए कि मानव रहित विमान प्रणाली डिजाइन पहलुओं तथा निर्माण एवं उडनयोग्यता अपेक्षाओं, जैसा भी मानव रहित विमान के विशिष्ट प्रकार तथा वर्ग के अनुपालन में हैं, प्रस्तुत करेगा।

(16) परीक्षण प्रयोगशाला या संगठन, उप-नियम (15) के अंतर्गत जमा किए गए दस्तावेजों को महानिदेशक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के पास तब तक उजागर नहीं करेंगे जब तक कि निर्माता अथवा आयातक, यथास्थिति हो ने इसकी लिखित सहमति न प्रदान कर दी हो।

(17) परीक्षण प्रयोगशाला अथवा संगठन परीक्षण रिपोर्ट और अपनी सिफारिशें महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगे;

(18) समाधान होने पर महानिदेशक, यथास्थिति परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, मानव रहित विमान प्रणाली के विशिष्ट प्रकार एवं वर्ग के लिए, निर्माण और आयात, का प्राधिकृत निर्माता एवं आयातक को निर्माण एवं उडनयोग्यता का प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

10. मानव रहित विमान प्रणाली का आयात — (1) कोई भी मानव रहित विमान प्रणाली भारत में आयात नहीं किया जाएगा जब तक कि प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली आयातक द्वारा मानव रहित विमान प्रणाली के विशिष्ट प्रकार और वर्ग का निर्माण और उड्डयन योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है।

(2) प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली आयातक के अलावा कोई भी व्यक्ति भारत में एक मानव रहित विमान प्रणाली या भाग या उपकरण का आयात नहीं करेगा।

(3) मानव रहित विमान प्रणाली का कोई भी भाग या उपकरण सिवाय महानिदेशक की पूर्व स्वीकृति के आयात नहीं किया जाएगा।

(4) महानिदेशक ऐसे भागों या उपकरणों को अधिसूचित कर सकता है जिन्हें किसी प्राधिकृत आयातक द्वारा आयात किया जा सकता है।

(5) मानव रहित विमान प्रणाली के आयात के लिए, प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली आयातक प्ररूप यूए-6, यूए-7 अथवा यूए-8, जैसा भी मामला हो में मानव रहित विमान प्रणाली अथवा इसके भागों अथवा घटकों के आयात की स्वीकृति के लिए महानिदेशक को आवेदन करेगा।

(6) आवेदक विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित आयात विनियमों का अनुपालन करेगा।

(7) महानिदेशक अपनी समाधान पर आयात स्वीकृति जारी करेगा तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय को सिफारिश करेगा।

(8) एक प्राधिकृत आयातक को इन नियमों के अंतर्गत आयात किये जाने वाले एक प्रोटोटाइप विमान प्रणाली के लिए प्रोटोटाइप मानव रहित विमान प्रणाली पहचान संख्या तथा निर्माण एवं उड्डयनयोग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(9) विदेश व्यापार महानिदेशालय, उनके मानदंडों के अनुसार मानव रहित विमान प्रणाली या उसके घटक के आयात के लिए एक आयात अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

11. मानव रहित विमान प्रणाली का विनिर्माण — प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली निर्माता 'के अलावा कोई भी व्यक्ति भारत में मानव रहित विमान प्रणाली या उसके किसी भाग या घटक का विनिर्माण नहीं करेगा।

12. प्राधिकृत विनिर्माता पर निगरानी — एक प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली निर्माता महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन करेगा और ऐसी इकाई महानिदेशक द्वारा निरीक्षण और सुरक्षा निरीक्षण के अधीन होगी।

13. प्राधिकृत निर्माता अथवा आयातक द्वारा सहमति प्रमाणपत्र।- (1) एक विशेष प्रकार तथा वर्ग की मानव रहित विमान प्रणाली के निर्माण और उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र के आधार पर, एक प्राधिकृत निर्माता अथवा आयातक उसी प्रकार एवं श्रेणी के एक अथवा अधिक मानव रहित विमान प्रणाली का निर्माण एवं आयात कर सकता है।

(2) प्रत्येक प्राधिकृत निर्माता अथवा आयातक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक निर्मित अथवा आयातित मानव रहित विमान प्रणाली, निर्माण एवं उड्डयनयोग्यता के प्रमाणपत्र के अनुरूप है।

(3) प्राधिकृत आयातक, समाधान होने पर कि एक मानव रहित विमान प्रणाली आयातित निर्माण और उड्डयनयोग्य प्रमाण पत्र के अनुरूप है, प्रत्येक ऐसे मानव रहित विमान प्रणाली के लिए प्ररूप यूए-4 में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

14. मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) का अनुरक्षण — (1) किसी मानव रहित विमान प्रणाली का प्रचालन भारत में तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक उसका अनुरक्षण इस नियम के उपाबंधों के अंतर्गत न किया गया हो।

(2) भारत में प्रचालन की जाने वाली मानव रहित विमान प्रणाली के प्रत्येक विनिर्माता अथवा आयातक द्वारा अनिवार्य तौर पर अनुरक्षण अपेक्षाओं तथा प्रक्रियाओं से युक्त अनुरक्षण पुस्तिका उपलब्ध करवाया जाएगा तथा ऐसे अनुरक्षण के लिए प्राधिकृत अनुरक्षण कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।

(3) अनुरक्षण पुस्तिका मानव रहित विमान प्रणाली से संबंधित दस्तावेजों का भाग होगा, जिसे किसी प्राधिकृत व्यापारी, स्वामी या प्रचालक के अनिवार्य बिक्री दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

- (4) यथास्थिति निर्माता अथवा आयातक, द्वारा विनिर्माता के अनुरक्षण पुस्तिका के प्रावधानों के अनुरूप मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों से युक्त, प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्रों की स्थापना भी की जाएगी।
- (5) मानव रहित विमान प्रणाली का विनिर्माता या आयातक, प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्रों के संबंध में सूचना प्रकाशित करेगा।
- (6) प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली निर्माता अथवा आयातक द्वारा उप-नियम (4) के अंतर्गत स्थापित प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्रों की जानकारी महानिदेशक को लिखित रूप में दी जाएगी तथा ऐसे केन्द्र महानिदेशक द्वारा संरक्षा निगरानी किए जाने के अध्यक्षीन होंगे।
- (7) प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्रों पर अनुरक्षण अभिलेखों का संधारण और प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्रों की सुरक्षा निगरानी महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप और प्रक्रिया के अनुसार होगा।
- (8) यह सुनिश्चित करने के बाद कि मानव रहित विमान प्रणाली के सभी रखरखाव अथवा मरम्मत अथवा संशोधन विनिर्माता के द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार हैं तथा सुरक्षित परिचालन की स्थिति में हैं, तो प्राधिकृत अनुरक्षण केंद्र प्ररूप यूए-5 में रखरखाव प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- (9) प्राधिकृत स्वामी अथवा प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी मानव रहित विमान प्रणाली का परिचालन प्रत्येक रखरखाव अथवा मरम्मत अथवा संशोधन के बाद बिना रखरखाव प्रमाण पत्र के न किया जाए।
- (10) प्राधिकृत स्वामी या प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि एक मानव रहित विमान प्रणाली अपना अनुरक्षण पुस्तिका के अनुसार बनाए रखे और ऐसे अनुरक्षण का अभिलेख महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार रखा जाएगा।
- (11) विनिर्माता द्वारा निर्दिष्ट निदेश के अनुसार अपना जीवन काल पूरा करने के बाद कोई मानव रहित विमान प्रणाली या उसके किसी भी घटक को संचालित नहीं किया जाएगा।

15. परीक्षण उड़ानें. — (1) मानव रहित विमान की परीक्षण उड़ानें निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की जा सकती हैं -

- (क) विनिर्माण और उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना; या
- (ख) अनुरूपता का प्रमाण पत्र जारी करना; या
- (ग) अनुरक्षण प्रमाण पत्र जारी करना; या
- (घ) अनुसंधान और विकास।
- (2) परीक्षण उड़ानें निम्नलिखित स्थानों में संचालित की जा सकेंगी अर्थात्—
- (क) महानिदेशक द्वारा नियुक्त परीक्षण प्रयोगशालाओं का परिसरों; या
- (ख) मानव रहित विमान के प्राधिकृत निर्माता का परिसर; या
- (ग) मानव रहित विमान के अधिकृत अनुरक्षण केंद्र का परिसरों; या
- (घ) अधिकृत अनुसंधान एवं विकास संगठन का परिसरों; या
- (ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित परीक्षण स्थल।
- (3) परीक्षण उड़ानों को उचित रूप से अनुज्ञप्ति प्राप्त दूरस्थ पायलट के प्रत्यक्ष प्रयवेक्षण में किया जाएगा।
- (4) उप-नियम (2) के रूप में परिसर के भीतर परीक्षण उड़ानों को अनियंत्रित हवाई क्षेत्र में 15 मीटर की ऊंचाई तक और असंबद्ध कर्मियों से कम से कम 50 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित किया जाएगा।
- (5) प्रत्येक परीक्षण उड़ान से पहले अभिहित परीक्षण स्थलों में परीक्षण उड़ानों के लिए स्थानीय प्राधिकरण से पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी और निकटतम एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्लियरेंस और एयर डिफेंस क्लियरेंस लेना अनिवार्य होगा।

(6) मानव रहित विमान प्रणाली, संस्थान एवं संबंधित कार्मिकों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित की जाएंगी।

(7) महानिदेशक द्वारा परीक्षण उड़ानों के संचालन के लिए कोई अन्य शर्त निर्दिष्ट की जा सकती है।

16. भारत से मानव रहित विमान प्रणाली का निर्यात—नियम 10 और 15 के सिवाए इस भाग के अंतर्गत अन्य कोई नियम निर्यात के एकमात्र प्रयोजन के लिए निर्मित मानव रहित विमान प्रणाली या भाग या उपकरण पर लागू नहीं होगा।

भाग 5

मानव रहित विमान प्रणाली की पहचान और हस्तांतरण

17. साधारण — भारत में किसी भी मानव रहित विमान प्रणाली को तब तक उपयोग या संचालन या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि यह महानिदेशक द्वारा रजिस्ट्रीकृत न हो और इसके पास प्राधिकृत आयातक या निर्माता द्वारा जारी अनुरूपता का प्रमाण पत्र न हो।

18. मानव रहित विमान का रजिस्ट्रीकरण—(1) एक प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली आयातक या निर्माता पंजीकरण के लिए नियम 65 में विनिर्दिष्ट आवश्यक फीस के साथ प्ररूप यूए-9 में महानिदेशक के समक्ष आवेदन करेगा।

(2) इस बात से समाधान होने पर कि मानव रहित विमान, निर्माण और उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र के अनुपालन में है और उसके पास विधिमान्य सहमति प्रमाण पत्र है, महानिदेशक, प्रत्येक ऐसे मानव रहित विमान को विशिष्ट पहचान प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है और वह प्रत्येक मानव रहित विमान प्रणाली को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा।

(3) एक मानव रहित विमान प्रणाली के लिए जारी किया गया विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र में विशिष्ट पहचान संख्या, श्रेणी, वर्ग, मॉडल संख्या, क्रम संख्या के साथ विनिर्माता का नाम, विनिर्माण का वर्ष तथा रजिस्ट्रीकरण की तारीख समाहित होगी।

19. मानव रहित विमान की पहचान — (1) विशिष्ट पहचान संख्या को पहचान योग्य और दृश्यमान तरीके से मानव रहित विमान पर संयोजित कर दिया जाएगा।

(2) अति सूक्ष्म वर्ग को छोड़कर मानव रहित विमान अपने विशिष्ट पहचान संख्या के आधार पर एक इलेक्ट्रॉनिक पहचान से सुसज्जित होगा।

20. मानव रहित विमान प्रणाली का व्यापार — (1) एक प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली आयातक या निर्माता या व्यापारी के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति भारत में मानव रहित विमान प्रणाली को या इसके एक भाग या एक उपकरण को पट्टे पर लेने, क्रय या विक्रय करने में शामिल नहीं होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति उस मानव रहित विमान प्रणाली को क्रय या विक्रय या पट्टे पर लेने या रखने में शामिल नहीं होगा जो एक रजिस्ट्रीकृत मानव रहित विमान प्रणाली नहीं है।

21. मानव रहित विमान प्रणाली का स्वामी — प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली स्वामी के अलावा कोई भी व्यक्ति भारत में मानव रहित विमान प्रणाली का स्वामी नहीं होगा।

22. भारत में आयातित या निर्मित मानव रहित विमान प्रणाली की बिक्री - एक अधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली आयातक या निर्माता भारत में 'अधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली व्यापारी' या 'अधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली स्वामी' को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को मानव रहित विमान प्रणाली नहीं बेचेंगे।

23. भारत में मानव रहित विमान प्रणाली को पट्टे पर देना — (1) एक अधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली आयातक या निर्माता या व्यापारी भारत में अधिकृत 'मानव रहित विमान प्रणाली व्यापारी' या 'अधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली स्वामी' अथवा 'अधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली परिचालक' को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को मानव रहित विमान प्रणाली पट्टे पर नहीं देगा।

(2) एक प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली स्वामी मानव रहित विमान प्रणाली को क प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली परिचालक को पट्टे पर दे सकेगा है।

24. मानव रहित विमान प्रणाली का हस्तांतरण — (1) एक प्राधिकृत व्यक्ति, एक मानव रहित विमान प्रणाली को हस्तांतरित करने के लिए नियम 65 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप यूए-10 में महानिदेशक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) किसी भी मानव रहित विमान प्रणाली का हस्तांतरण अन्य किसी और विधि से नहीं किया जाएगा जब तक कि प्राधिकृत व्यक्तियों के मध्य के संब्यवहार को महानिदेशक द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(3) महानिदेशक इस संबंध में समाधान होने पर मानव रहित विमान प्रणाली के हस्तांतरण को अनुमोदित कर सकता है और स्वामित्व में बदलाव को रिकार्ड में दर्ज करेगा।

(4) मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) का प्रत्येक लेन-देन विशिष्ट पहचान संख्या के अंतरिती के विशिष्ट प्राधिकृति संख्या के साथ जुड़ने पर परिणत होगा।

(5) मानव रहित विमान प्रणाली की विशिष्ट पहचान संख्या के साथ जुड़ी अंतरणकर्ता की विशिष्ट प्राधिकृति संख्या को अलग कर दिया जाएगा तथा मानव रहित विमान प्रणाली की विशिष्ट पहचान संख्या को अंतरिती की विशिष्ट प्राधिकृति संख्या से जोड़ दिया जाएगा।

(6) मानव रहित विमान प्रणाली के क्षतिग्रस्त अथवा खोने की सूचना के मामले में, महानिदेशक इस संबंध में समाधान होने पर विशिष्ट पहचान संख्या को बिना रजिस्ट्रीकृत कर सकता है और विशिष्ट पहचान संख्या के बिना रजिस्ट्रीकृत को रिकार्ड में दर्ज करेगा।

(7) मानव रहित विमान प्रणाली के हस्तांतरण को दर्शाती अंतरण रसीद अथवा रिकार्ड में ली गई सूचना अथवा विशिष्ट पहचान संख्या के बिना रजिस्ट्रीकृत को, व्यक्ति को जारी किया जाएगा।

25. मानव रहित विमान प्रणाली को क्षति या नुकसान — (1) मानव रहित विमान प्रणाली के रजिस्ट्रीकृत स्वामी, महानिदेशक को इस तरह से सूचित करेंगे, जैसे कि इन मामले में महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट

(क) मानव रहित विमान प्रणाली का क्षतिग्रस्त होकर मरम्मत योग्य न रहना; अथवा

(ख) मानव रहित विमान प्रणाली का खो जाना।

(2) मानव रहित विमान प्रणाली के नष्ट होने, स्थाई तौर पर सेवा से हटाए जाने, लापता होने तथा खोज न किए जा सकने अथवा स्वामी द्वारा मानव रहित विमान प्रणाली का विधिक धारण एवं नियंत्रण भारत से बाहर किसी व्यक्ति को अंतरित किए जाने के प्रति समाधान के पश्चात महानिदेशक द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत मानव रहित विमान की विशिष्ट पहचान संख्या का पंजीकरण किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

26. विद्यमान आयातित या निर्मित मानव रहित विमान प्रणाली की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया — (1) केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट किसी निश्चित तारीख पर या उससे पहले, गैर-अनुपालक मानव रहित विमान प्रणाली जिसे भारत में आयात किया गया हो, अथवा भारत में निर्मित किया गया हो, को महानिदेशक द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

(2) एक गैर-अनुपालक मानव रहित विमान प्रणाली का धारक स्वामी प्ररूप यूए-1 में एक विशिष्ट प्राधिकृत संख्या प्राप्त करेगा।

(3) गैर-अनुपालक मानव रहित विमान प्रणाली का धारक इस प्रकार का प्राधिकृत स्वामी नियम 65 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप -11 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(4) जब तक कि इसे विधिमान ड्रोन एक्रोउलेजमेंट नंबर (डीएएन) तथा ओत्रर एक्रोउलेजमेंट नंबर न जारी कर दिया गया हो किसी भी मौजूद अथवा निर्मित मानव रहित विमान प्रणाली को महानिदेशक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(5) ऐसे प्राधिकृत स्वामी, विशिष्ट श्रेणी तथा वर्ग के मानव रहित विमान प्रणाली लागू अपेक्षित उपकरणों से अपने मानव रहित विमान प्रणाली को सुसज्जित करने के लिए एक मानव रहित विमान प्रणाली निर्माता से संपर्क कर सकता है। अपने परिचालनों से पहले अति सूक्ष्म के अलावा सभी मौजूदा आयातित मानव रहित विमान प्रणाली के लिए अनुज्ञा नहीं-उड़ान नहीं (एनपीएनटी) अपेक्षा का अनुपालन अनिवार्य होगा।

- (6) अनुपालन प्रदर्शन, इस उद्देश्य के लिए महानिदेशक द्वारा नियुक्त किसी परीक्षण प्रयोगशाला अथवा संगठन में क्रियान्वित किया जाएगा।
- (7) मौजूदा आयातित/निर्मित मानव रहित विमान प्रणाली को अनुपालक बनाने के लिए पूरा किया जाने वाला कोई भी आवश्यक संशोधन (हार्डवेयर/साफ्टवेयर) को प्राधिकृत अनुरक्षण केंद्र पर पूरा किया जाएगा।
- (8) समाधान होने पर महानिदेशक स्वीकृति जारी कर सकता है।
- (9) ऐसा व्यक्ति मानव रहित विमान के पंजीकरण के लिए, नियम 65 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप यूए-9 में महानिदेशक के सम्मुख आवेदन करेगा।

भाग 6

मानव रहित विमान प्रणाली का प्रचालन

27. प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालक की भूमिका व जिम्मेदारी.- (1) मानव रहित विमान प्रणाली के सुरक्षित परिचालन के लिए एक प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली परिचालक निम्नलिखित कृत्यों को करने, किंतु उन्हीं तक सीमित न रहने के लिए उत्तरदायी होगा:

- (क) परिचालन कार्मिकों के द्वारा मानव रहित विमान प्रणालियों के उपयोग के लिए उन्हें आवश्यक अनुदेशों और मार्गदर्शन प्रदान करना;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि परिचालन करने वाले कार्मिक अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन से संबंधित विधियों, विनियमों एवं प्रक्रियाओं, तय किये जाने वाले क्षेत्र, उपयोग किये जाने वाले हवाई अड्डे एवं इससे जुड़ी हुई वायु दिक्चालन सुविधाओं से परिचित हों;
- (ग) परिचालनीय नियंत्रण का अभ्यास
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि मानव रहित विमान का परिचालन आवश्यक प्रशिक्षण एवं योग्यताओं के साथ अनुज्ञप्ति धारित पायलटों के द्वारा किया जाए;
- (ङ) यह सुनिश्चित करना कि मानव रहित विमान अनुज्ञा प्राप्त भौगोलिक क्षेत्रों अथवा अनुज्ञा प्राप्त संलग्न परिसरों में ही उड़ रहे हों;
- (च) उड़नयोग्यतानुकूल एवं परिचालन के लिए सुरक्षित स्थिति में रखने के लिए मानव रहित विमान प्रणाली का रखरखाव सुनिश्चित करना;
- (छ) यह सुनिश्चित करना कि मानव रहित विमान प्रणाली के किसी भाग का निर्माण करने वाले किसी रेडियो उपकरण का प्रचालन केवल इस प्रकार के रेडियो उपकरण के परिचालन के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारक के द्वारा ही किया जाए;
- (ज) परिचालन के दौरान व्यक्ति एवं इसकी संपत्ति की निजता सुनिश्चित करना;
- (झ) सभी विहित मैनुअलों एवं अभिलेखों को बनाए रखना; एवं
- (ञ) किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति को होने वाले किसी नुकसान, यदि कोई हो, उसकी जिम्मेदारी लेना।

(2) 'प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली परिचालक' महानिदेशक द्वारा परमिट में लगाई गई शर्तों के क्रम में ही अधिरोपित करेगा।

28. मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालक परमिट — (1) महानिदेशक द्वारा जारी परमिट के बगैर, भारत में कोई भी व्यक्ति, अति सूक्ष्म क्लास को छोड़कर अन्य किसी मानव रहित विमान प्रणाली का संचालन नहीं करेगा।

(2) एक मानव रहित विमान प्रणाली संचालक परमिट का इच्छुक एक प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली संचालक, नियम 65 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप यूए-12 (यूएएस परिचालक परमिट-I) अथवा प्ररूप यूए-13 (यूएएस परिचालक परमिट-II) जैसा भी मामला हो, में इस हेतु महानिदेशक के समक्ष आवेदन करेगा।

(3) बिना किसी सामान की ढुलाई के साथ दृष्टि की दृश्य रेखा तक सीमित, सूक्ष्म अथवा लघु मानव रहित विमान के परिचालन के लिए यूएएस परिचालक परमिट-I तथा उक्त के अलावा अन्य किसी परिचालन के लिए यूएएस परिचालक परमिट-II की आवश्यकता होगी।

(4) महानिदेशक, आवेदकों के लिए एक मार्गदर्शन के तौर पर यूएएस परिचालन परमिट-I के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं समाहित आदर्श मानक परिचालन प्रक्रिया जारी कर सकता है।

(5) यूएएस परिचालक परमिट-I (यूएओपी-I) के लिए एक आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी अर्थात्-

(i) परिचालन मात्र सूक्ष्म अथवा लघु मानव रहित विमानों हेतु सीमित होंगे।

(ii) यूएएस परिचालनों, प्राधिकृत यूएएस परिचालक द्वारा निर्मित तथा महानिदेशक द्वारा स्वीकृत मानक परिचालन प्रक्रिया के उपाबंधों के क्रम में संचालित किए जाएंगे।

(iii) यूएएस परिचालन केवल उपयुक्त वर्ग तथा श्रेणी के दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति धारक द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

(iv) यूएएस परिचालन दृष्टि की दृश्य रेखा तक सीमित होंगे।

(v) किसी भी प्रकार की डिलीवरी के लिए यूएएस परिचालनों की अनुज्ञा नहीं होगी।

(vi) यूएएस परिचालन किसी भी खतरनाक सामान की ढुलाई नहीं करेंगे।

(6) यूएएस परिचालक परमिट-II (यूएओपी- II) के लिए एक आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी अर्थात्:

(i) यूएएस परिचालन, प्राधिकृत यूएएस परिचालक द्वारा निर्मित तथा महानिदेशक द्वारा स्वीकृत मानक परिचालन प्रक्रिया के उपाबंधों के क्रम में संचालित किए जाएंगे।

(ii) यूएएस परिचालनों केवल उपयुक्त वर्ग तथा श्रेणी के दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति धारक द्वारा क्रियान्वित किए जाएंगे।

(iii) यूएएस परिचालन एयर टैफिक तथा एयर डिफेंस कंट्रोल से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बगैर पूरे नहीं किए जाएंगे।

(iv) परिचालकगण, सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए मानक व्यवहार के तौर पर एक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को क्रियान्वित करेंगे।

(v) अनुमोदित परिचालन मैनुअल के अनुसार सामान की ढुलाई की अनुज्ञा होगी।

(vi) मानव रहित विमान द्वारा खतरनाक सामान की ढुलाई वायुयान (खतरनाक सामान की ढुलाई) नियम, 2003 के अनुपालन के अधीन होगी।

(7) महानिदेशक, विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा किए जाने के प्रति समाधान होने पर एक मानव रहित विमान प्रणाली परिचालक परमिट I (यूएओपी-I) अथवा मानव रहित विमान प्रणाली परिचालक परमिट II (यूएओपी-II), यथास्थिति आवेदक को प्रदान कर सकता है।

(8) उप-नियम (7) के अंतर्गत दिया गया परमिट, जब तक कि निलंबित अथवा रद्द न हो दस वर्षों के लिए विधिमान्य होगा और इसे दस वर्ष से अधिक की समयावधि के लिए नवीकृत नहीं किया जा सकता है।

(9) मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालक परमिट के विधिमान्यता के नवीकरण के लिए व्यक्ति प्ररूप यूए-12 अथवा यूए-13, यथास्थिति में आवेदन करेगा।

(10) केंद्रीय सरकार किसी मंत्रालय/ केंद्रीय सरकार के किसी विभाग अथवा अभिकरण को भारत की सुरक्षा के हित में अथवा राष्ट्र हित में प्रचालक परमिट की अपेक्षाओं से छूट प्रदान कर सकेगी।

(11) मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालक परमिट अहस्तांतरणीय होगा।

- (12) मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालक परमिट धारक, मानक प्रचालन प्रक्रिया अथवा परिचालन पुस्तिका, यथास्थिति में किसी वांछित किन्हीं बदलावों के लिए महानिदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (13) मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालक परमिट की सतत विधिमान्यता महानिदेशक द्वारा परमिट में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।
- (14) मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालक परमिट धारक, मानव रहित विमान के उड़ान भरने तथा लैंड करने के लिए, भू-स्वामी अथवा संपत्ति-स्वामी अथवा ड्रोन पोर्ट स्वामी को बिना सम्यक रूप से सूचना प्रदान किए ऐसे क्षेत्र में परिचालन नहीं करेगा।
- (15) मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालक परमिट धारक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी विमानन सुरक्षा विनियमों का पालन करेगा।
- (16) मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालक, परिचालनों के दौरान उपयुक्त प्रक्रियाओं तथा उचित अनुप्रयोगों एवं हार्डवेयर से एकत्रित किए गए इस प्रकार के डेटा को सुरक्षित भंडार अथवा निपटान करने के लिए, इस डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
- (17) मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि परिचालनों के दौरान एकत्रित किए गए डेटा को, जिससे डेटा संबंधित है बिना उसकी पूर्व-अनुज्ञा के किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा।
- (18) मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालक परमिट धारक अन्य किसी स्थानीय अथवा राज्य विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।
- 29. उड़ान बाध्यताएं.-** (1) कोई भी सूक्ष्म मानव रहित विमान जमीन से 60 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अथवा 25 मीटर प्रति सेकेण्ड की गति से अधिक की उड़ान नहीं भरेगा।
- (2) कोई भी लघु श्रेणी का मानव रहित विमान जमीन से 120 मीटर की ऊंचाई से अधिक अथवा अधिकतम 25 प्रति सेकेण्ड की गति से अधिक की उड़ान नहीं भरेगा।
- (3) मध्यम अथवा बड़े श्रेणी के मानव रहित विमान महानिदेशक द्वारा जारी मानव रहित विमान प्रणाली परिचालन परमिट में विनिर्दिष्ट शर्तों के क्रम में उड़ान भरेंगे।
- (4) कोई भी मानव रहित विमान प्रतिविद्ध क्षेत्रों में उड़ान नहीं भरेगा।
- (5) जब तक कि महानिदेशक द्वारा विशेष तौर से अनुज्ञा प्रदान न की जाए कोई भी मानव रहित विमान एक प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ान नहीं भरेगा।
- (6) अति सूक्ष्म श्रेणी मानव रहित विमान के सिवाय किसी भी मानव रहित विमान का परिचालन ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा जो कि एक अनुज्ञप्ति धारक रिमोट पायलट न हो।
- (7) समावृत्त परिसरों में लघु अथवा मध्यम अथवा बड़े श्रेणी के किसी भी मानव रहित विमान को उड़ान भरने की अनुज्ञा नहीं होगी।
- 30. छात्र दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति -** (1) छात्र दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज / रोटारक्राफ्ट / हाइब्रिड) चाहने वाला व्यक्ति नियम 65 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप यूए -14 में महानिदेशक के सम्मुख आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (2) महानिदेशक किसी भी प्रशिक्षण संगठन को छात्र दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।
- (3) व्यक्ति की उम्र अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- (4) व्यक्ति ने मान्यताप्राप्त बोर्ड से Xवीं अथवा इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (5) व्यष्टिक महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करेगा।

- (6) दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण से गुजरने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित करने के लिए, प्रशिक्षण संगठन संबंधित सरकारी अभिकरण से प्रशिक्षु के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त करेगा। ऐसी सत्यापन रिपोर्ट अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन पत्र जमा करने के समय महानिदेशक को प्रस्तुत की जाएगी।
- (7) व्यक्ति महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार एक मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करेगा।
- (8) अपेक्षाओं से समाधान होने पर छात्र दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति ऐसे अधिकृत प्रशिक्षण संगठन द्वारा जारी किया जाएगा।
- (9) छात्र दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति मानवरहित विमान प्रणाली की विशिष्ट प्रवर्ग और मानव रहित विमान के विशिष्ट वर्ग के लिए जारी किया जाएगा।
- (10) अति सूक्ष्म मानवरहित विमान के परिचालन के लिए किसी छात्र दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं है।
- (11) दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी उड़ान प्रशिक्षण को शुरू करने से पहले छात्र के पास छात्र दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति होना चाहिए।
- (12) हवाईअड्डे पर या उसके आसपास मानवरहित विमान के मध्यम और बड़े श्रेणी पर उड़ान प्रशिक्षण शुरू करने से पहले अथवा नियंत्रित हवाई क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु वर्ग के मानव रहित विमान के मामले में व्यक्ति के पास, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी नियम, 1954 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी या मान्यता प्राप्त एयरोमोबाइल सेवा के लिए प्रवीणता और अनुज्ञप्ति का एक मान्य रेडियो ऑपरेटर प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- (13) उप-नियम (9) के अधीन एक छात्र को जारी किया गया दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति, जब तक निलंबित अथवा रद्द न कर दिया गया हो, अधिकतम पाँच वर्ष की समयावधि के साथ वह उसमें वर्णित समयावधि तक विधिमान्य रहेगा और अधिकतम दो वर्ष की समयावधि के अधीन उसमें वर्णित समयावधि के बाद नवीकृत किया जा सकता है।
- (14) छात्र के दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए एक व्यक्ति को नियम 65 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप यूए-14 में एक प्राधिकृत प्रशिक्षण संगठन के समक्ष आवेदन करना होगा।
- (15) इस प्रकार प्रदान अथवा नवीकृत किए गए अनुज्ञप्तियों की सूचना को प्रशिक्षण संगठन, महानिदेशक द्वारा रीति प्रणाली के अनुरूप महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा।
- 31. दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति** – (1) दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति (एइरोप्लेन/रोटोरक्राफ्ट/हाइब्रिड) चाहने वाला एक व्यक्ति नियम 65 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप यूए-15 में महानिदेशक के समक्ष आवेदन करेगा।
- (2) व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- (3) व्यक्ति ने मान्यताप्राप्त बोर्ड से Xवीं अथवा इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (4) महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार, चिकित्सा परीक्षण पूरा करके व्यक्ति को विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- (5) मानव रहित विमान प्रणाली की समुचित प्रवर्ग तथा मानव रहित विमान के वर्ग के लिए व्यक्ति प्राधिकृत प्रशिक्षण संगठन से महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के क्रम में एक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा एक कौशल परीक्षण रिपोर्ट जमा करेगा।
- (6) प्रशिक्षण, एक दूरस्थ पायलट निदेशक के पर्यवेक्षण में पूरा किया जाएगा और कौशल परीक्षा को महानिदेशक द्वारा अनुमोदित परीक्षक के द्वारा संचालित किया जाएगा।
- (7) व्यक्ति को उपयुक्त मानव रहित विमान प्रणाली की श्रेणी तथा मानव रहित विमान के वर्ग हेतु महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट और संचालित परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा।
- (8) व्यक्ति को मध्यम तथा बड़े मानव रहित विमान के मामले में भारतीय बेतार तारयांत्रिकी नियम, 1954 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अथवा आयोजित एक विधिमान्य एइरोमोबाइल सेवा दक्षता रेडियो आपरेटर्स प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

- (9) पैंसठ वर्ष से अधिक की आयु का व्यक्ति वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा।
- (10) विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के मानव रहित विमान प्रणाली तथा विशेष वर्ग के मानव रहित विमान के लिए दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति जारी किया जाएगा।
- (11) समाधान होने पर महानिदेशक दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति (एइरोप्लेन /रोटोरक्राफ्ट/हाइब्रिड) जारी अथवा नवीकृत करेगा।
- (12) महानिदेशक द्वारा प्रदान किया गया अनुज्ञप्ति विशेष श्रेणी के मानव रहित विमान प्रणाली तथा विशेष वर्ग के मानव रहित विमान के परिचालन के लिए होगा।
- (13) अति सूक्ष्म मानव रहित विमान के परिचालन के लिए किसी दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है।
- (14) एक आवेदक को एक अथवा अधिक श्रेणी और प्रवर्गों के मानव रहित विमान के परिचालन के लिए दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति प्रदान किया जा सकता है बशर्ते वे मानव रहित विमान के ऐसे प्रवर्ग के पात्रता व शर्तों को पूरा करता हो।
- (15) उप-नियम (11) के अंतर्गत जारी एक दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति जब तक कि निलंबित अथवा रद्द न कर दिया गया हो, अधिकतम दस वर्षों की समयावधि के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट समयावधि तक के लिए विधिमान्य रहेगा तथा अधिकतम दस वर्ष की समयावधि के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।
- (16) दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के नवीकरण के लिए एक व्यष्टिक नियम 65 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप यूए-15 में महानिदेशक के समक्ष आवेदन करेगा।
- (17) मानवरहित विमान प्रणाली के एक अतिरिक्त श्रेणी अथवा वर्ग को शामिल करने के लिए मानवरहित विमान प्रणाली की रेटिंग के विस्तारण के लिए, आवेदक प्ररूप यूए-16 में आवेदन करेगा तथा उन अपेक्षाओं को पूरा करेगा जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हों।
- (18) अपेक्षाओं के पूरा होने के प्रति समाधान होने पर महानिदेशक मानवरहित विमान प्रणाली के लिए आवेदक को विस्तार प्रदान कर सकेंगे।
- 32. दूरस्थ पायलट अनुदेशक रेटिंग.-** (1) दूरस्थ पायलट अनुदेशक रेटिंग अथवा दूरस्थ पायलट अनुदेशक रेटिंग के नवीकरण का इच्छुक व्यष्टिक इन नियमों के अधीन नियम 65 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप यूए-17 में महानिदेशक के समक्ष आवेदन करेगा।
- (2) व्यष्टिक उपयुक्त प्रवर्ग व वर्ग के विधिमान्य दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति का धारक होना चाहिए।
- (3) व्यष्टिक की आयु बीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- (4) व्यष्टिक को महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट व संचालित पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करेगा।
- (5) व्यष्टिक एक प्राधिकृत प्रशिक्षण संगठन से मानव रहित विमान प्रणाली एवं मानव रहित विमान प्रवर्ग के लिए समुचित दूरस्थ पायलट अनुदेशक पाठ्यक्रम के लिए एक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा एक कौशल परीक्षा रिपोर्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (6) महानिदेशक समाधान होने पर दूरस्थ पायलट अनुदेशक रेटिंग जारी अथवा नवीकृत कर सकेगा।
- (7) दूरस्थ पायलट अनुदेशक रेटिंग अधिकतम दस वर्षों की समयावधि के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट समयावधि तक के लिए विधिमान्य रहेगा और अधिकतम दस वर्ष की समयावधि के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।
- 33. दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण -** (1) दूरस्थ पायलट अनुज्ञप्ति का आवेदक महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षित प्रशिक्षण को पूरा करेगा।
- (2) मानवरहित विमान की विभिन्न प्रवर्ग और वर्ग के संचालन के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्टानुसार होंगे।

(3) उप-नियम (2) में उल्लेखित प्रशिक्षण को एक अनुज्ञप्ति प्राप्त दूरस्थ पायलट अनुदेशक के पर्यवेक्षण में पूरा किया जाएगा।

34. प्राधिकृत प्रशिक्षण संगठन.- (1) एक प्रशिक्षण संगठन को संचालित करने के लिए प्राधिकृति चाहने वाला व्यक्ति नियम 65 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप यूए-18 में महानिदेशक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) आवेदक आवेदन पत्र के साथ मानव रहित विमान प्रणाली के लिए प्रशिक्षण एवं प्रक्रिया मैनुअल (टीपीएम) तथा परिचालन मैनुअल प्रस्तुत करेगा।

(3) आवेदक द्वारा जमा किए जाने वाले किन्हीं अतिरिक्त दस्तावेजों का निर्धारण महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) महानिदेशक समाधान होने पर प्रशिक्षण संगठन की प्राधिकार जारी कर सकेंगे।

(5) दूरस्थ पायलट के तौर पर अर्हक प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को प्राधिकृत प्रशिक्षण संगठन के अलावा कोई अन्य संगठन प्रशिक्षण प्रदान नहीं करेगा।

(6) इस प्रशिक्षण संगठन महानिदेशक के निरीक्षण एवं निगरानी के अधीन होंगे।

(7) महानिदेशक द्वारा उप-नियम (4) के अधीन प्रदान की गई प्राधिकृति अधिकतम दस वर्षों की समयावधि के अधीन जब तक कि निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है, उसमें वर्णित समयावधि के लिए विधिमान्य रहेगा और नवीकरण का आवेदन प्राप्त होने पर अगले दस वर्ष की अवधि के अधीन उसमें वर्णित समयावधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।

(8) प्राधिकार की विधिमान्यता के नवीकरण के लिए आवेदक प्ररूप यूए-18 में महानिदेशक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा।

35. उड़ान के लिए अनुज्ञा - (1) कोई भी प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली परिचालक अति सूक्ष्म वर्ग को छोड़कर किसी भी मानव रहित विमान को तब तक परिचालित नहीं करेगा जब तक कि महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट तरीके और प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मध्यम से एक दिन में एक उड़ान अथवा उड़ानों की श्रृंखला के लिए पूर्व अनुज्ञा प्राप्त न कर ली गई हो।

(2) उड़ान के दौरान, ऑपरेटर या दूरस्थ पायलट अथवा दूरस्थ ली पाइलेटेड एयरक्राफ्ट (आरपीए) प्रेक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि मानव रहित विमान की उड़ान विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर ही रहे, जिसके लिए अनुज्ञा प्राप्त की गई थी।

(3) प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली परिचालक प्रत्येक उड़ान के बाद, परिचालक, महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मध्यम से उड़ान की लॉग को प्रस्तुत करेगा।

36. ड्रोन स्वार्म का संचालन.- (1) ड्रोन स्वार्म के एक भाग के रूप में अति सूक्ष्म अथवा सूक्ष्म श्रेणी मानव रहित विमान के अलावा अन्य कोई भी मानव रहित विमान, परिचालन नहीं करेगा;

(2) एक ड्रोन स्वार्म महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और अनुमोदन के अनुसार केवल परिचालन करेगा।

37. प्रचालन क्षेत्र - (1) कोई केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में किसी भी मानव रहित विमान को न तो उड़ाएगा और न ही उड़ाने में सहायता करेगा।

(2) कोई भी मानव रहित विमान निम्नलिखित स्थिति में उड़ान नहीं भरेगा:

क) मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एवं हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की परिधि से 5 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत;

ख) उपरोक्त खंड(क) में उल्लिखित के अलावा किसी भी सिविल, निजी अथवा सुरक्षा हवाई अड्डों की परिधि से 3 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत;

ग) एक प्रचालनीय हवाई अड्डे, ऊंचाई प्रतिबंधों से संबंधित विनिर्दिष्ट नियमों के लिए विमान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए आबस्टैकल लिमिटेशन सरफेसेज (ओएलएस) अथवा पैन्स-ओपीएस सतहों, जो भी नीचे हो, के ऊपर;

- घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एआईपी में अधिसूचित किए अनुसार टीआरए, एवं टीएसए जोखिम क्षेत्रों को शामिल करते हुए स्थायी अथवा अस्थायी प्रतिबंधित, निषिद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत;
- ङ) अंतर्राष्ट्रीय सीमारेखा जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी), लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) एवं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन (एजीपीएल) समाहित हैं के 25 किलोमीटर के अंतर्गत
- च) समुद्रतटीय रेखा से समुद्र में 500 मीटर (क्षैतिज) बशर्ते की ग्राउंड स्टेशन की लोकेशन जमीन पर विनिर्दिष्ट प्लेटप्रारूप पर हो;
- छ) भारतीय तटरक्षक बल के डीजीएलएल लाइटहाउसों तथा समुद्रतटीय रडार स्टेशन;
- ज) जब तक कि स्थानीय सेना संस्थानों/सुविधा से निकासी न प्राप्त कर ली गई हो, सेना संस्थानों/सुविधाओं/जहाँ सेना क्रियाकलापों/अभ्यास निष्पादित किए जा रहे हों से 3 किलोमीटर की परिधि के भीतर।
- झ) दिल्ली के विजय चौक से 5 किलोमीटर के घेरे के अंतर्गत। तथापि, यह सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय कानून प्रवर्तन अभिकरणों/प्राधिकरणों के द्वारा लगाई जाने वाली अतिरिक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन है।
- ञ) जब तक कि गृह मंत्रालय से निकासी न प्राप्त कर ली जाए, गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित रणनीतिक स्थानों/महत्वपूर्ण संस्थानों से 2 किलोमीटर की परिधि में।
- ट) राज्य राजधानियों में राज्य सचिवालय परिसर के 3 किलोमीटर की परिधि में।
- ठ) एक चलायमान प्लेटप्रारूप जैसे कि चलती हुई गाड़ी, पानी का जहाज अथवा मेकसिफ्ट फ्लोटिंग प्लेटप्रारूप सोर एयरक्राफ्ट सहित सभी प्रकार के वायुयान से तथा
- ड) बिना पूर्व अनुज्ञा के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण के आस-पास ईको-सेंसिटिव क्षेत्र के ऊपर।

(3) अपवादजन्य परिस्थितियों में किसी भी सरकारी अथवा हवाई अड्डा प्रचालक के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार या केंद्र सरकार ओर से इस संबंध में प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति मानव रहित विमान को चयनित प्रतिबंधित क्षेत्रों में उड़ान भरने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।

38. उड़ान में यूए से फोटोग्राफी एवं डेटा संग्रहण - (1) मानव रहित विमान में कोई भी व्यक्ति किसी चित्र को लेने अथवा नियम 37 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के डेटा अथवा प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों के चित्र लेने, चित्र लेने का कारण बनने अथवा चित्र लिए जाने हेतु अनुज्ञा प्राप्त होने का कारण नहीं बनेगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई व्यक्ति ने इस प्रकार के लिखित आदेश के द्वारा कि इस प्रकार की बाध्यताएं, चित्र लेने अथवा नियम 37 के उप-नियम (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट गैर प्रचालनीय क्षेत्र के डेटा या चित्र को लेने पर लागू नहीं होंगी।

(2) एक मानव रहित विमान द्वारा किसी व्यक्ति, उसकी संपत्ति की निजता को सुनिश्चित करने के उपरांत चित्र या डेटा को लिया जा सकता है तथा यह कानून के अधीन अनुज्ञेय (permissible) है।

39. पे लोड का वहन — कोई भी मानव रहित विमान महानिदेशक द्वारा जारी किए गए उत्पाद एवं उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किए गए के अलावा किसी भी पे लोड का वहन नहीं करेगा।

40. हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटकों, सैन्य भंडारों आदि को ले जाने पर प्रतिबंध - (1) किसी भी व्यक्ति को किसी भी मानव-रहित विमान में, भारत से या भारत में, भारत के भीतर या बाहर, किसी भी हथियार, गोला-बारूद, युद्ध उपकरण, विस्फोटक और अन्य सैन्य भंडारों को ले जाने या चलाने की अनुज्ञा नहीं होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार की लिखित अनुज्ञा न हो और यह, ऐसी अनुज्ञा के नियमों और शर्तों के अधीन होगी।

(2) जहां केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के पास इस संबंध में यह विश्वास करने के कारण हैं कि इस नियम के उपाबंधों का उल्लंघन किया जा रहा है अथवा किया जाना है, तो वह माल की प्रकृति या मामले में कार्रवाई किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिए जाने तक इसकी विस्तृत जांच पड़ताल होने तक इस तरह के सामान को अपनी हिरासत में रख सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी भी मानव रहित विमान प्रणाली का उपयोग युद्ध करने व युद्ध प्रारंभ करने के प्रयास के लिए अथवा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध में सहयोग करने के लिए नहीं करेगा।

41. वस्तुओं को गिराना — किसी भी व्यक्ति को महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया से इतर किसी भी चीज को गतिशील मानव रहित विमान प्रणाली से गिराने या प्रक्षेपित करने की अनुज्ञा नहीं है।

42. खतरनाक सामान की ढुलाई- कोई भी व्यक्ति मानव रहित विमान में खतरनाक सामान की ढुलाई तब तक नहीं करेगा जब तक कि इस प्रकार के प्रचालन वायुयान (खतरनाक सामान की ढुलाई) नियम, 2003 के अनुपालन में न हो।

43. विमान के नियम - मानव रहित विमान प्रणाली के संचालन में लगा प्रत्येक व्यक्ति महानिदेशक द्वारा जारी किए गए नियमों का अनुपालन करेगा, जो उस व्यक्ति पर लागू हैं।

44. खतरनाक उड़ान - (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति या संपत्ति या विमान से निकटता के कारण, या किसी अन्य कारण से ऐसी परिस्थितियों में किसी भी मानव रहित विमान प्रणाली को नहीं उड़ाएगा जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति या विमान के लिए अनावश्यक खतरा उत्पन्न हो।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी मानव रहित विमान प्रणाली को खराब शारीरिक या मानसिक स्थिति में या नशीले पदार्थों और मनोक्रियाशील (psychomatic) पदार्थों के प्रभाव में संचालित नहीं करेगा जो मानव रहित विमान प्रणाली के सुरक्षित संचालन में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

45. साधारण सुरक्षा — कोई भी व्यक्ति किसी भी रीति से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे -

(क) मानव रहित विमान प्रणाली या मानव रहित विमान प्रणाली संचालन की संरक्षा और सुरक्षा खतरे में हो;

(ख) मानव रहित विमान प्रणाली के सुरक्षित और संरक्षित संचालन के लिए स्थापित किसी भी सुविधा के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप का कारण बनता है; या

(ग) मानव रहित विमान प्रणाली के सुरक्षित और संरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सौंपे गए कार्य बाधित या विचलित होते हैं;

(घ) किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति का बचाव और सुरक्षा खतरे में पड़े; तथा

(ङ) मानवयुक्त विमान और इसके प्रचालन का बचाव और सुरक्षा खतरे में पड़े

परंतु मानव रहित विमान प्रणाली संचालन के मध्यम से किसी भी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप को रोकने के लिए किसी भी कानून प्रवर्तन अभिकरण द्वारा अथवा नियम 64 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई से इस नियम का उल्लंघन नहीं होगा।

भाग 7

ड्रोन पोर्ट

46. साधारण — अनुज्ञा प्राप्त क्षेत्रों में ड्रोन पोर्ट स्थापित किए जा सकते हैं, यदि मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालन की प्रकृति और जरूरतों के अनुसार ऐसी आवश्यकता हो।

47. ड्रोन पोर्ट की अनुज्ञापन या प्राधिकार — मानव रहित विमान के आगमन, प्रस्थान, सतही संचालन और संबद्ध रखरखाव या वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए किसी ड्रोन पोर्ट का उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि:

(क) उसे इस प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन प्राप्त हो, एवं वह अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार हो; अथवा

(ख) महानिदेशक द्वारा मानव रहित विमान के अल्पकालिक प्रचालन हेतु जरूरती शर्तों के अधीन प्राधिकृत किया गया हो।

48. ड्रोन पोर्ट अनुज्ञप्ति के लिए पात्रता की शर्तें - निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर किसी व्यक्ति को ड्रोन पोर्ट के लिए प्राधिकार या अनुज्ञप्ति प्रदान किया जा सकेगा-

(क) कोई व्यक्ति, जो कि —

- (i) भारत का नागरिक हो, और
- (ii) 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो; अथवा

(ख) कोई कंपनी या कारपोरेट निकाय, बशर्ते कि-

- (i) वह रजिस्ट्रीकृत हो और उसके कारोबार का प्रमुख क्षेत्र भारत में स्थित हो, और
- (ii) वह केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट इक्विटी होल्डिंग मानदंडों को पूरा करता हो; अथवा

(ग) कोई फर्म या संघ या निकाय अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी इकाई जिसके व्यापार का प्रमुख क्षेत्र भारत में स्थित हो, चाहे निगमित हो या न हो, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार या उसकी कोई अभिकरण:

परंतु इस नियम के धारा (ख) और (ग) के लिए केन्द्रीय सरकार कोई अन्य शर्त विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

परंतु यह और कि महानिदेशक के निर्देशानुसार, इस नियम के धारा (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति(यों) ने विनिर्दिष्ट सुरक्षा मंजूरी प्राप्त कर ली हो।

49. ड्रोन पोर्ट के लिए प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति का अनुदान — (1) कोई भी व्यक्ति जो कि नियम 48 के अंतर्गत दिये गए शर्तों को पूरा कर रहा हो, प्ररूप यूए-19 के साथ नियम 65 में दिए गए विनिर्दिष्ट फीस सहित महानिदेशक को आवेदन भेज सकता है।

(2) आवेदन के साथ आवेदक को ज़मीन या संपत्ति का विवरण, संबंधित अधिकारियों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं ड्रोन पोर्ट मेनुअल प्रस्तुत करना होगा।

(3) ड्रोन पोर्ट के प्राधिकृति या अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु महानिदेशक अतिरिक्त आवश्यकताओं का शर्त भी रख सकते हैं।

(4) नियम 48 के अंतर्गत दिए गए शर्तों, जैसे कि वर्ग के अनुरूप क्षेत्र की उपयुक्तता एवं प्रचालन हेतु मानव रहित विमान की श्रेणी, से संतुष्ट होने पर महानिदेशक यथास्थिति आवेदक को प्राधिकार या अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकते हैं।

(5) उपयुक्त मामलों में आवश्यक समझने पर, महानिदेशक आवेदक को संबंधित अधिकारियों से उक्त व्यक्ति के लिए, जिसमें कॉर्पोरेट निकायों के निदेशक या शीर्ष प्रबंधक वर्ग के अन्य व्यक्ति शामिल हैं, सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने का निर्देश दे सकते हैं:

परंतु केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा उनके किसी अभिकरण को ऐसे किसी अनुज्ञा कि आवश्यकता न हो।

(6) मानव रहित विमान प्रणाली के अल्पकालिक प्रचालन हेतु ड्रोन पोर्ट प्राधिकृति किसी भी अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है जो तीन महीने से अधिक न हो।

(7) उप-नियम (4) के अंतर्गत प्रदान किया गया अनुज्ञप्ति, जब तक निलंबित या रद्द न कर दिया गया हो, अधिकतम दस वर्षों के लिए विधिमान्य है एवं एक बार में इसका नवीकरण अधिकतम दस वर्षों के समयावधि के लिए की जा सकती है।

(8) ड्रोन पोर्ट अनुज्ञप्ति के विधिमान्यता का नवीकरण करवाने हेतु इच्छुक व्यक्ति को प्ररूप यूए-19 के मध्यम से महानिदेशक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

भाग 8

मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन (यूटीएम)

50. साधारण— मानव-रहित विमान प्रणाली प्रचालन के प्रकृति एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ज़रूरी समझने पर, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई संगठन, भारतीय विमान क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग में मानव-रहित विमानप्रणाली यातायात प्रबंधनकी स्थापना कर सकता है।

51. मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन (यूटीएम) — (1) जो संगठन मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन (यूटीएम) के प्रावधान उपाबंध अनुज्ञप्ति की मांग करना चाहते हैं, वह प्ररूप यूए-20 के साथ नियम 65 में दिए गए विनिर्दिष्ट फीस सहित महानिदेशक को आवेदन भेज सकते हैं।

(2) मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन भाग ले रहे मानव रहित एवं मानव सहित विमान को मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालन के बचाव और सुरक्षा हेतु यूटीएम सेवा प्रदान करेगी।

(3) मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन सेवा मुख्यतः नामोद्दिष्ट हवाई क्षेत्र में केन्द्र सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी संगठन द्वारा तय किए गए ऊंचाई तक प्रदान की जाएगी।

(4) मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन, महानिदेशक के निर्देशानुसार मानव रहित एवं मानव सहित विमान प्रचालकों को रजस्ट्रिकरण, उड़ान से पूर्व, उड़ान के दौरान और उड़ान के बाद की सेवाएँ प्रदान करेगा।

(5) मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन सेवा प्रदाता यूटीएम प्रणाली सेवा मेनुअल प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित आवश्यकताएँ भी शामिल होंगे:

(क) प्रचालन संबंधी ज़रूरतें

(i) यूटीएम हवाई क्षेत्र का वर्गीकरण

(ii) वायु संबंधित नियम;

(iii) मानव रहित विमानों के बीच पृथक्करण मानक एवं मानव रहित और मानव रहित विमान के पृथक्करण मानक;

(iv) यूए के लिए न्यूनतम भूखंड और बाधा परिहार मानक;

(v) असंबद्ध व्यक्तियों के सुरक्षा के लिए न्यूनतम परिहार मानक;

(vi) शोर उपशमन हेतु न्यूनतम परिहार मानक;

(vii) मानक संचालन प्रक्रिया; और

(viii) आपातकालीन संचालन प्रक्रिया।

(ख) तकनीकी विनिर्देश और उनके मानक

(i) यूटीएम आर्किटेक्चर

(ii) संचार के तकनीकी मानक

(iii) यूएस-यूएस, यूएस-यूटीएम, यूटीएम-यूटीएम, यूटीएम-एसडीएसपी, यूएस-एसडीएसपी, यूटीएम-एनएसपी, यूटीएम-एटीएम और यूटीएम-सीयूएस संचार के लिए संचार प्रोटोकॉल; एवं

(iv) विनिमय किए जाने वाले डाटा अंशों का न्यूनतम संग्रह।

(ग) कोई भी अतिरिक्त संचालन आवश्यकताएँ, तकनीकी विनिर्देश और महानिदेशक द्वारा दिए गए निर्दिष्ट मानक।

(6) आवेदक, आवेदन पत्र के साथ मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन सेवा मेनुअल, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मेनुअल, मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण मेनुअल, मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन अवसंरचना दस्तावेज़ और मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन प्रचालक एवं वायु यातायात सेवा प्रदाता के बीच हुए मानक संचालन प्रक्रिया से जुड़े समझौते की प्रति भी प्रस्तुत करेंगे।

(7) कुछ समुचित मामलों में आवश्यक समझने पर महानिदेशक आवेदक को संबंधित अधिकारियों से उक्त व्यक्तियों के लिए, जिसमें कॉर्पोरेट निकायों के निदेशक या शीर्ष प्रबंधक वर्ग के अन्य व्यक्ति शामिल हैं, सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने का निर्देश दे सकते हैं:

परंतु कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा उनके किसी अभिकरणों को ऐसे किसी अनुमति कि आवश्यकता न हो।

(8) मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन सेवा प्रदाता के अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु महानिदेशक अतिरिक्त आवश्यकताओं के शर्त भी रख सकते हैं।

(9) सुरक्षा मंजूरी प्राप्त होने के उपरांत एवं उससे संतुष्ट होने पर महानिदेशक आवेदक को मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन सेवा प्रदाता का अनुज्ञप्ति सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति में संलग्न शर्तों के अधीन प्रदान कर सकेंगे।

(10) उप-नियम (9) के अंतर्गत प्रदान किया गया अनुज्ञप्ति, जब तक निलंबित या रद्द न कर दिया गया हो, निर्धारित अवधि अनुसार अधिकतम दस वर्षों के लिए विधिमान्य है एवं एक बार में इसका नवीकरण अधिकतम दस वर्षों के समयावधि के लिए की जा सकती है।

(11) मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय होगा।

(12) मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति की निरंतर विधिमान्यता महानिदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

(13) जरूरत पड़ने पर, मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन सेवा प्रदाता मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन का डाटा कानून प्रवर्तन अभिकरणों से साझा करेंगे एवं अपने कर्मियों को मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति-धारक द्वारा निर्मित आधारीक संरचना पर आकड़ों पे निगरानी एवं डाटा की कार्रवाई करने का प्रशिक्षण भी देंगे।

(14) मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के नवीनीकरण के लिए संगठन प्ररूप यूए-20 के मध्यम से महानिदेशक को आवेदन भेजेंगे।

52. मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन कार्मिक के लिए अनुज्ञप्ति— (1) कोई भी व्यक्ति भारतीय विमानक्षेत्र अथवा भारतीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर किसी भी विमान क्षेत्र में, जिसके लिए भारत ने, किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत यूटीएम सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की हो, यूटीएम सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते जब तक उनके पास मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन कार्मिक का विधिमान्य अनुज्ञप्ति न हो।

(2) यूटीएम सेवाएँ प्रदान करने हेतु मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन कार्मिक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में इच्छुक आवेदक नियम 65 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फीस सहित प्ररूप यूए-21 के मध्यम से महानिदेशक को आवेदन भेज सकते हैं।

(3) आवेदक आवेदन की तारीख के समय इक्कीस वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए।

(4) आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स स्नातक और दूरसंचार या कंप्यूटर विज्ञान सहित विज्ञान की स्नातक डिग्री अथवा इसके समतुल्य अन्य कोई डिग्री होनी चाहिए।

(5) महानिदेशक द्वारा बताए गए निर्दिष्ट रीति से चिकित्सा परीक्षा करवाने के उपरांत आवेदक को निर्धारित प्ररूप में मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) आवेदक को अधिकृत प्रशिक्षण संगठन से प्राप्त यूटीएम सेवा संबंधित उपयुक्त प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(7) आवेदक को निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के तहत महानिदेशक द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा।

(8) कोई विशिष्ट यूटीएम सेवा प्रदान करने हेतु मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन कार्मिक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए किसी भी अतिरिक्त अर्हताएं, प्रशिक्षण या अनुभव की आवश्यकता होने पर महानिदेशक द्वारा इसकी जानकारी दे दी जाएगी।

(9) जरूरती आवश्यकताओं की पूर्ति से समाधान होने पर महानिदेशक आवेदक को यूटीएम सेवा प्रदान करने हेतु मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन कार्मिक अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकते हैं।

(10) जब तक कि निलंबित या रद्द न किया गया हो, उप-नियम (9) के अंतर्गत प्रदान किया गया अनुज्ञप्ति अधिकतम दस वर्षों के लिए विधिमान्य रहेगा एवं अनुज्ञप्ति की नवीकरण विनिर्दिष्ट समयावधि के अंतर्गत अधिकतम दस वर्षों के लिए किया जा सकता है।

(11) यूटीएम कार्मिक अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के नवीकरण हेतु आवेदक को प्ररूप यूए-21 के अंतर्गत महानिदेशक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(12) साठ वर्ष की आयु से अधिक कोई भी व्यक्ति यूटीएम कार्मिक अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता।

53. प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन प्रशिक्षण संगठन -(1) किसी भी यूटीएम कार्मिक को अधिकृत यूटीएम प्रशिक्षण संगठन से प्रशिक्षण प्राप्त करनी होगी।

(2) प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन प्रशिक्षण संगठन के अतिरिक्त कोई अन्य संगठन यूटीएम कार्मिक को प्रशिक्षण प्रदान नहीं करेगा।

(3) कोई भी संगठन जो यूटीएम कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्राधिकृति प्राप्त करना चाहती है, उन्हें निर्धारित फीस सहित प्ररूप यूए-22 के मध्यम से महानिदेशक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(4) यूटीएम प्रशिक्षण संगठन के लिए आवेदक को आवेदन पत्र के साथ प्रशिक्षण एवं कार्यप्रणाली मनुअल और संचालन मनुअल प्रस्तुत करना होगा।

(5) जरूरती आवश्यकताओं की पूर्ति से समाधान होने पर महानिदेशक आवेदक को यूटीएम कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्राधिकृति प्रदान कर सकते हैं।

(6) ऐसे प्रशिक्षण संगठन महानिदेशक के निरीक्षण एवं निगरानी के अधीन होंगे।

(7) जब तक कि निलंबित या रद्द न किया गया हो, उप-नियम(5) के अंतर्गत प्रदान की गई प्राधिकृति अधिकतम दस वर्षों के लिए विधिमान्य रहेगी एवं इसका नवीकरण विनिर्दिष्ट समयावधि के अंतर्गत अधिकतम दसवर्षों के लिए किया जा सकता है।

(8) प्रशिक्षण संगठन के प्राधिकृति की विधिमान्यता के नवीकरण हेतु संगठन को प्ररूप यूए-22 के मध्यम से महानिदेशक को आवेदन भेजना पड़ेगा।

54. मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधनकार्मिक प्रशिक्षण -(1) कोई व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति-धारक यूटीएम कार्मिक बनना चाहता हो, उसे अधिकृत यूटीएम प्रशिक्षण संगठन से अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(2) यूटीएम के प्रशिक्षण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक पाठ्यक्रम का समावेश होगा।

(3) सैद्धांतिक और व्यावहारिक पाठ्यक्रम का पाठ्य-विवरण महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

55. मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधनसेवा प्रदाता - (1) यूटीएम सेवा प्रदाता अपनी सेवाएँ केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ही प्रदान करेंगे।

(2) यूटीएम सेवा प्रदाता उप-नियम(1) में उल्लेखानुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में संचालित होंगे।

(3) यूटीएम सेवा प्रदाता भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 के 55) में दिये गए उपयुक्त नियामक उपाबंधों का अनुपालन करेंगे।

भाग 9

मानव-रहित विमान प्रणाली का अनुसंधान और विकास

56. साधारण - (1) प्राधिकृत अनुसंधान एवं विकास संगठन के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति मानव रहित विमान प्रणाली के अनुसंधान एवं विकास का कार्य नहीं करेगा।

(2) अनुसंधान एवं विकास के प्रयोजन से विकसित किसी भी मानव रहित विमान प्रणाली प्रोटोटाइप का व्यावसायिक अनुप्रयोगों हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा।

57. प्राधिकार के लिए योग्य अनुसंधान और विकास संगठन —मानव रहित विमान प्रणालियों के अनुसंधान एवं विकास के लिए निम्न संस्थान/संगठन योग्य हैं -

(क) उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स;

(ख) प्राधिकृत मानव रहित विमान प्रणाली विनिर्माता;

(ग) भारत में स्थित उच्च शिक्षा के लिए मान्यताप्राप्त कोई संस्थान जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदान करता हो; तथा

(घ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अनुसंधान एवं विकास संगठन।

58. प्राधिकार प्रदान करना—(1) मानव रहित विमान प्रणाली के अनुसंधान एवं विकास हेतु प्राधिकृति प्राप्त के लिए योग्य अनुसंधान एवं विकास संगठन को नियम 57 के अंतर्गत प्ररूप यूए-23 के मध्यम से नियम 65 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ महानिदेशक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(2) समाधान होने पर महानिदेशक मानव रहित विमान प्रणाली के अनुसंधान एवं विकास के लिए प्राधिकार प्रदान कर सकते हैं।

(3) जब तककि निलंबित या रद्द ना किया गया हो, उप-नियम (2) के अंतर्गत प्रदान की गई प्राधिकृति, अधिकतम दस वर्षों की समयावधि के लिए विधिमान्य रहेगा और एक समय पर इसका नवीकरण अधिकतम पाँच वर्षों के समयावधि के लिए किया जा सकता है।

(4) ऐसे प्राधिकृति की विधिमान्यता के नवीकरण के लिए, प्राधिकृत अनुसंधान एवं विकास संगठन प्ररूप यूए-23 के मध्यम से महानिदेशक को आवेदन भेज सकते हैं।

59. विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या—(1) मानव रहित विमान प्रणाली के अनुसंधान एवं विकास हेतु प्राधिकृति प्राप्त के लिए योग्य अनुसंधान एवं विकास संगठन को नियम 57 के अंतर्गत प्ररूप यूए-23 के मध्यम से नियम 65 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ महानिदेशक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(2) विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या प्रदान करने हेतु महानिदेशक अतिरिक्त तकनीकी आवश्यकताएँ विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

(3) समाधान होने पर महानिदेशक प्राधिकृत अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किए गए प्रत्येक मानव रहित विमान प्रणाली के प्रोटोटाइप को एक विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या प्रदान कर सकेंगे।

(4) अनुसंधान एवं विकास के प्रयोजन के लिए निर्मित प्रोटोटाइप पर विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या को सहज रूप से पहचाने जाने योग्य एवं दृश्यमान रीति से चिपकाया जाएगा।

60. प्रोटोटाइप मानव रहित विमान प्रणाली परीक्षण उड़ान—नियम 15 के उपाबंधों के अनुसार प्राधिकृत अनुसंधान एवं विकास संगठन परीक्षण उड़ानों का प्रचालन करेंगे।

61. अनुसंधान एवं विकास मानव रहित विमान प्रणाली पर लागू नियम—(1) भाग 3, 4 (नियम 10 एवं 15 के अलावा), 5, 6 (नियम 37 से 45 के अलावा), 7, 8 एवं 10 में निहित नियम अनुसंधान एवं विकास मानव रहित विमान प्रणाली पर लागू नहीं होंगे।

(2) उप-नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के अंतर्गत मानव रहित विमान प्रणाली के हस्तांतरण से जुड़े उपाबंध प्रोटोटाइप मानव रहित विमान प्रणाली पर लागू नहीं होंगे।

भाग 10

सुदूर प्रचालित मॉडल विमान प्रणाली एवं स्वायत्त मानव रहित विमान प्रणाली

62. सुदूर प्रचालित मॉडल विमान प्रणाली पर लागू नियम—(1) सुदूर प्रचालित मॉडल विमान, इसके मालिक के परिसरों या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट परीक्षण क्षेत्रों में ही प्रचालित किए जाएंगे, बशर्ते कि इन परिसरों के अंदर उड़ान भरने वाले विमान अनियंत्रित विमान क्षेत्र में 15 मीटर की ऊंचाई तक सीमित हों।

(2) सुदूर प्रचालित मॉडल विमान को उचित रूप से प्रमाणित सुदूर पायलट के सीधे देखरेखके अंतर्गत असंबद्ध कर्मियों से कम-से-कम 50 मीटर की दूरी पर उड़ाया जाएगा।

(3) भाग III, IV, V, VI (नियम 37 से 45 के अलावा), VII, VIII, IX, X (सिवाय इस नियम के), एवं 11 (नियम 64, 68, 69, 70, 73 से 80 के अलावा) में निहित नियम सुदूर प्रचालित विमान प्रणाली पर लागू नहीं होंगे।

(4) कोई भी सुदूर प्रचालित मॉडल विमान ड्रोन स्वार्म के भाग के रूप में प्रचालित नहीं किया जाएगा।

(5) सुदूर प्रचालित मॉडल विमान प्रणाली महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों, यदि हो तो, के अनुसार प्रचालित होगा।

(6) उप-नियम (3) में निहित किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के अंतर्गत मानव रहित विमान प्रणाली के हस्तांतरण से जुड़े उपाबंधों सुदूर प्रचालित मॉडल विमान प्रणाली पर लागू नहीं होंगे।

63. स्वायत्त मानव रहित विमान प्रणाली पर लागू नियम – स्वायत्त मानव रहित विमान प्रणाली का प्रचालन केवल महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट शर्तों के अनुसार एवं परिभाषित क्षेत्रों में ही होगा।

भाग 11

साधारण

64. नियमों के उल्लंघन में उड़ानों पर प्रतिबंध — (1) मानव रहित विमान प्रणाली को रोकने के लिए वायुयान अधिनियम के धारा 8 के तहत प्राधिकृत, रोके जाने वाले विमान के पायलट या अन्य कोई व्यक्ति जो उस समय मानव रहित विमान प्रणाली का प्रभारी हो, उसे लिखित निर्देश जारी कर विमान पर रोक लगा सकता है। अथवा प्रतिबंध या रुकावट को कारगर बनाने हेतु प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कदम उठाया जा सकता है, जिसमें बल-प्रयोग, मानव रहित विमान प्रणाली में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर निषेध, मानव रहित विमान प्रणाली के किसी भाग या अंग का निष्कासन अथवा बाधा डाल रहे अन्य पहलू भी शामिल हैं।

(2) मानव रहित विमान प्रणाली पर प्रतिबंध या रुकावट को प्रभावी बनाने के लिए, सशस्त्र बलों के अधिकारियों सहित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी संबद्ध प्राधिकार की सहायता करेंगे और प्रतिबंध को कारगर बनाने के लिए प्राधिकार द्वारा ठीक समझे गए आवश्यक कदम उठाने में उनकी सहायता करेंगे।

(3) किसी भी व्यक्ति द्वारा इस नियम के अंतर्गत दिए गए किसी भी निर्देश के उल्लंघन में कार्य करने पर, उस पर लगने वाले किसी भी अन्य दंड की पूर्वधारणा किए बिना, यह माना जाएगा कि उसने इन नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया है।

65. फीस— (1) इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकार, प्रमाणीकरण, विशिष्ट पहचान संख्या, अनुज्ञप्ति, परमिट या अन्य सेवाओं के लिए फीस निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार देय होंगे:

I. विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क:

(क) (अ) प्राधिकरण के लिए शुल्क:

(i) आयातक, उत्पादक, या व्यापारी के लिए मात्र दस हज़ार रुपये होंगे;

(ii) 10 या उससे अधिक मानव रहित विमान प्रणाली बेड़ा-धारक प्रचालक के लिए मात्र पाँच हज़ार रुपये;

(iii) 10 या उससे कम मानव रहित विमान प्रणाली बेड़ा-धारक प्रचालक के लिए मात्र एक हज़ार रुपये;

(iv) स्वामी के लिए मात्र पाँच हज़ार रुपये; और

(v) प्रशिक्षण संगठन के लिए मात्र पाँच हज़ार रुपये।

(vi) अनुसंधान एवं विकास संगठन के लिए मात्र एक हज़ार रुपये।

(आ) नवीकरण या यथास्थिति, ऐसे प्राधिकृति की अन्य भिन्नता, के लिए धारा (क) की उप-धारा (क) के अधीन देय शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

(ख) प्राधिकृत अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित मानव रहित विमान के किसी भी वर्ग के लिए विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या जारी करने का शुल्क मात्र पाँच हज़ार रुपये है।

(ग) किसी विशेष मानव रहित विमान प्रणाली मॉडल के लिए उत्पाद और उड़नयोग्यता का प्रमाण पत्र जारी करने का शुल्क :

(अ) मानव रहित विमान का वर्ग	शुल्क (रू.)
(i) अति सूक्ष्म	1,000/-
(ii) सूक्ष्म	2,000/-
(iii) लघु	4,000/-
(iv) मध्यम	6,000/-
(v) बड़े	10,000/-

(आ) प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार के भिन्नता के लिए शुल्क धारा (ग) की उप-धारा (क) के अधीन देय शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

(घ) मौजूदा आयातित या उत्पादित मानव रहित विमान प्रणाली का स्वीकृति शुल्क इस प्रकार होगा :

मानव रहित विमान की श्रेणी	शुल्क (रू.)
(i) अति सूक्ष्म	500/-
(ii) सूक्ष्म	1,000/-
(iii) लघु	1,500/-
(iv) मध्यम	2,000/-
(v) बड़े	2,500/-

(ङ) प्रत्येकमानव रहित विमान के लिए विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या (यूआईएन) जारी करने का शुल्क इस प्रकार होगा :

- (i) अति सूक्ष्म मानव रहित विमान के लिए मात्र सौ रूपये;
- (ii) सूक्ष्म मानव रहित विमान के लिए मात्रदो सौ रूपये;
- (iii) लघु मानव रहित विमान के लिए मात्र पाँच सौ रूपये;
- (iv) मध्यम मानव रहित विमान के लिए मात्र एक हज़ार रूपये;
- (v) बड़े मानव रहित विमान के लिए मात्र दो हज़ार रूपये;

(च) मानव रहित विमान प्रणाली प्रचालन करने की अनुज्ञा प्रदान करने का शुल्क इस प्रकार होगा :

(क) मानव रहित विमान की श्रेणी	शुल्क (रू.)
(i) सूक्ष्म	2,000/-
(ii) लघु	5,000/-
(iii) मध्यम	10,000/-
(iv) बड़े	25,000/-

(ख) अनुज्ञा में नवीकरण या किसी भी प्रकार के भिन्नता के लिए निर्धारित शुल्क धारा (च) की उप-धारा (क) के अधीन देय शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

(छ) छात्र सुदूर पायलट अनुज्ञप्ति जारी करने का शुल्क इस प्रकार होगा:

(क) मानव रहित विमान की श्रेणी	शुल्क (रू.)
-------------------------------	-------------

(i) लघु	500/-
(ii) मध्यम	1,000/-
(iii) बड़े	1,500/-

(ख) छात्र सुदूर पायलट अनुज्ञप्तिके नवीकरण या उसमें किसी भी प्रकार के भिन्नता के लिए निर्धारित शुल्क धारा (छ) की उप-धारा (क) के अधीन देय शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

(ग) सुदूर पायलट अनुज्ञप्ति जारी करने का शुल्क इस प्रकार होगा:

मानव रहित विमान की श्रेणी	शुल्क (रू.)
(i) लघु	1,000/-
(ii) मध्यम	2,000/-
(iii) बड़े	3,000/-

(घ) सुदूर पायलट अनुज्ञप्ति के नवीकरण या उसमें किसी भी प्रकार के भिन्नता के लिए निर्धारित शुल्क धारा (छ) की उप-धारा (ग) के अधीन देय शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

(ज) (क) मानव-रहित विमानप्रणाली यातायात प्रबंधन सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति जारी करने का शुल्क मात्र दस हजार रुपये होगा।

(ख) नवीकरण या अनुज्ञप्ति में किसी भी प्रकार के भिन्नता के लिए निर्धारित शुल्क धारा (ज) की उप-धारा (क) के अधीन देय शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

(झ) (क) परीक्षा शुल्क सहित मानव-रहित विमानप्रणाली यातायात प्रबंधन कर्मी अनुज्ञप्ति जारी करने का शुल्क मात्र एक हजार रूपए होगा।

(ख) नवीकरण या अनुज्ञप्ति में किसी भी प्रकार के भिन्नता के लिए निर्धारित शुल्क धारा (झ) की उप-धारा (क) के अधीन देय शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

(ज) अति सूक्ष्म और सूक्ष्मानव रहित विमान के मानव रहित विमान प्रणाली के हस्तांतरण का शुल्क मात्र पाँच सौ रूपए होगा और अन्य मानव रहित विमान के लिए मात्र एक हजार रूपए होगा।

(ट) किसी भी परीक्षा के प्रत्येक पेपर का शुल्क मात्र एक हजार पाँच सौ रूपए होगा।

II. ड्रोन पोर्ट की स्थापना का शुल्क - (क) निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करने का शुल्क :

(i) ड्रोन पोर्ट की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का शुल्क मात्र दस हजार रूपए होगा।

(ii) ड्रोन पोर्ट की प्राधिकृति प्रदान करने का शुल्क मात्र दो हजार रूपए होगा।

(ख) अनुज्ञप्ति के नवीकरण का शुल्क धारा (क) के उप-धारा (i) के अधीन प्रभार्य शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

III. इन नियमों के अधीन अपील फाइल करने का शुल्क मात्र एक हजार रूपए होगा।

IV. अपराधों की शमनीयता हेतु आवेदन के लिए शुल्क मात्र एक हजार रूपए होगा।

(2) शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट ढंग और प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।

66. मानव रहित विमान प्रणाली का बीमा — (1) भारत में कोई भी मानव रहित विमान, सिवाय अति सूक्ष्मवर्ग यान के, तब तक प्रचालित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास इस मानव रहित यान के दुर्घटना ग्रस्त होने पर और इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक आघात अथवा संपत्ति की हानि होने पर, ऐसे स्थिति से बचाव प्रदान करने हेतु विधिमामन्य तृतीय पक्षीय बीमा पालिसी मौजूद न हो।

(2) ऐसे मामले में देय प्रतिकर का आंकलन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दी गई यथा विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

67. 300 किलोग्राम से अधिक वजन के बड़ेमानव रहित विमानों पर लागू नियम — (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकतम 300 किलोग्राम से अधिक के कुल भार वाली मानव रहित विमान के मामले में, उड़ान योग्यता, रेडियो टेलीग्राफ उपकरण एवं वायुयान नियम, 1937 के भाग VI, VII, एवं XII ग के अधीन प्रदान किए गए संगठनों के अनुमोदन से संबंधित उपबंध लागू होंगे।

(2) ऐसे बड़ेमानव रहित विमानों के लिए महानिदेशक अतिरिक्त आवश्यकताओं का शर्त रख सकते हैं।

68. अभिसमय और अनुबंधों का अभिग्रहण -महानिदेशक, तारीख 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हुए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय और उसके अनुबंधों के शर्तों को पूरा करते हुए एवं वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) और उसके अधीन दिए गए नियमों से असंगत न होते हुए, आवश्यक मानक एवं प्रक्रियाएँ अधिकथित कर सकती है।

69. महानिदेशक द्वारा दिए गए निदेश — (1) महानिदेशक, नागर विमानन अपेक्षाओं अथवा परिपत्रों के प्रकाशन के माध्यम से, वायुयान अधिनियम, 1934 अथवा मानव रहित विमान प्रणाली के आयात, निर्यात, उत्पादन, बिक्री, उपयोग, प्रचालन, कब्जा, अनुरक्षण या भारत में या उसके आसमानों में उड़ान भर रहे मानव रहित विमानों के दिक्चालन अथवा भारत में रजिस्ट्री मानव रहित विमान प्रणाली से जुड़े इन नियमों के असंगत विशेष निदेश जारी कर सकती है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नागर विमानन अपेक्षाएँ इसके उपयुक्त ड्राफ्ट के नागर विमानन महानिदेशालय के वेबसाइट पर तीस दिनों तक प्रकाशित होने और प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने के बाद ही जारी किए जाएंगे :

परन्तु महानिदेशक, लोकहित में और लिखित आदेश जारी कर, इस तरह की आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने और उन्हे प्रस्तुत करने की अवधि को कम करने का निर्णय ले सकते हैं।

(3) उप-नियम (1) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक निर्देश का उक्त व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पालन किया जाएगा।

(4) महानिदेशक, साधारण या लिखित में विशेष आदेश द्वारा इस नियम के अधीन किसी मानव रहित विमान प्रणाली अथवा मानव रहित विमान प्रणाली के किसी वर्ग अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग को 'नागर विमानन अपेक्षाएँ' नामक प्रकाशन में दिए गए ऐसे निर्देशों के संचालन से, पूर्णतः या अंशतः, ऐसी शर्तों के अधीन, जैसे भी हो, छूट प्रदान कर सकते हैं।

70. छूट की सामान्य शक्ति — केन्द्रीय सरकार, साधारण या लिखित में विशेष आदेशों के द्वारा, किसी मानव रहित विमान प्रणाली अथवा मानव रहित विमान प्रणाली के किसी वर्ग अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग को इन नियमों के संचालन से, पूर्णतः या अंशतः, ऐसी शर्तों के अधीन, जैसे भी हो, छूट प्रदान कर सकते हैं।

71. अनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र, प्राधिकरण, परमिट अथवा अनुमोदन पर प्रतिबंध — (1) महानिदेशक निम्नलिखित किसी भी शर्तों के अधीन अनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र, प्राधिकरण, परमिट अथवा अनुमोदन पर प्रतिबंध लगा सकता है -

(क) उक्त अनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र, प्राधिकरण, परमिट अथवा अनुमोदन पर लगाई गई किसी भी शर्त का अनुपालन न करने पर;

(ख) यदि निरीक्षण के दौरान सामने आए किसी सुरक्षा-संबंधित मामले को महानिदेशक द्वारा दिये गए निर्दिष्ट समयावधि के अधीन हल न किया गया हो।

(2) किसी निरीक्षण के दौरान पर्याप्त कारणों के आधार पर और उनसे संतुष्ट होने पर महानिदेशक किसी भी व्यक्ति को उनके अनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र, प्राधिकरण, परमिट अथवा अनुमोदन के विशेषाधिकारों का प्रयोग न करने का निर्देश दे सकते हैं तथा ऐसे निर्देशों को कारण सहित लिखित में जमा कर, उक्त व्यक्ति द्वारा उनके विलयाधिकारों को पुनः प्रयोग करने की अनुमति से जुड़े आगे की कार्रवाई से महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार तत्पश्चात अवगत कराया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) के अधीन प्रतिबंध तीन माह तक लगाए जा सकते हैं, तथा जिन्हें लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के चलते और छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

72. अनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र, प्राधिकरण, परमिट या अनुमोदन का रद्द या निलंबित किया जाना — जहाँ महानिदेशक अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी, सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, संतुष्ट हो कि किसी व्यक्ति ने इन नियमों के उपबंधों अथवा नियम 69 के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन या उल्लंघन किया है तो, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, वे इन नियमों के अधीन जारी किए गए किसी भी अनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र, प्राधिकरण, परमिट अथवा अनुमोदन को रद्द अथवा निलंबित कर सकते हैं।

73. निरीक्षण — (1) महानिदेशक अथवा उनके द्वारा लिखित रूप में साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत नागर विमानन महानिदेशालय का कोई अधिकारी, इन नियमों अथवा वायुयान अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण, प्रमाण-पत्र अथवा अनुज्ञप्ति प्रदान करने के उद्देश्य से, मानव रहित विमान प्रणाली, मानव रहित विमान प्रणाली विनिर्माण, स्टोरेज, अनुरक्षण की सुविधा, मानव रहित विमान प्रणाली ट्रेफिक प्रबंध सुविधा अथवा संबंधित किसी अन्य सुविधा का निरीक्षण कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारीगण इन नियमों का सतत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु इन सुविधाओं के अधोषित निरीक्षणों सहित निगरानी भी कर सकते हैं।

(3) महानिदेशक किसी व्यक्ति को, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन, उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति अथवा मानव रहित विमान प्रणाली की जाँच और परीक्षण के लिए अथवा किसी दस्तावेज़ या सुविधा के निरीक्षण के लिए, प्राधिकृत कर सकते हैं और ये प्राधिकृत महानिदेशक की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किए गए व्यक्ति के कार्यों को निर्दिष्ट करेगा और यह प्राधिकृति उसमें वर्णित समयावधि के लिए होगा।

(4) उप-नियम (1) तथा (3) के अधीन इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्यय पत्र जारी किए जाएंगे और वे प्राधिकरण में उन्हें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेंगे।

(5) उप-नियम (1) तथा उप-नियम (3) में संदर्भित महानिदेशक अथवा व्यक्तियों को—

(क) मानव रहित विमान प्रणाली तथा संबंधित सुविधाओं, जो भी लागू हों, के लिए इन नियमों के अधीन अपने कार्यों एवं कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए अप्रतिबंधित तथा असीमित पहुँच होगी;

(ख) किसी मानव रहित विमान प्रणाली अथवा मानव रहित विमान प्रणाली ट्रेफिक प्रबंध सेवाओं सहित किसी संबंधित सुविधा का निरीक्षण और खोजबीन कर सकते हैं, किसी कार्मिक के साथ बातचीत कर सकते हैं तथा इन नियमों और वायुयान अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों तथा अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं।

(6) मानव रहित विमान प्रणाली का आयातक, विनिर्माता, व्यापारी, स्वामी अथवा प्रचालक, अथवा प्रशिक्षण संस्थान अथवा मानव रहित विमान प्रणाली ट्रेफिक प्रबंध सुविधा द्वारा, महानिदेशक अथवा उप-नियम (1) तथा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को मानव रहित विमान प्रणाली के किसी भी भाग, संगठन अथवा उपकरण, अभिलेखों, दस्तावेजों और कर्मियों सहित हवाई दिक्चालन सुविधा का उपयोग करने की अनुमति होगी तथा उप-नियम (1) और (3) में निर्दिष्ट गतिविधियों के संचालन में वह सहयोग करेंगे।

74. दस्तावेजों का जालसाजी दुरुपयोग -इन नियमों के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखे से कोई अनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र, प्राधिकृति, परमिट या अनुमोदन जारी नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन दस्तावेजों का अन्यथा प्रयोग नहीं करने देगा।

75. प्राधिकृत व्यक्ति के कार्य में बाधा देना -इन नियमों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अपने शक्तियों के अधीन कार्य करने में या कर्तव्य निर्वहन में कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से बाधा नहीं डालेगा।

76. अपराधों का वर्गीकरण और अपराधों का शमन - (1) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन किया हो या उनका अनुपालन करने में असफल रहा हो, नीचे सारणी में उल्लिखित अधिनियम, की धारा 10 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 29 का उप-नियम (6), नियम 37 का उप-नियम (1), नियम 40 का उप-नियम (1) या (3), नियम 41, नियम 44, नियम 73 का उप-नियम (6), नियम 74, और नियम 75 का उल्लंघन संज्ञेय होगा।

(3) यदि यह स्थापित किया गया कि यह उल्लंघन या असफलता ऐसे कारकों या परिस्थितियों के कारण हुए हैं, जो उक्त व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर था या उसके जानकारी या दोष के बिना हुआ है, तो इस तर्क को इन नियमों के उल्लंघन या इनका पालन करने में असफल होने पर किए जाने वाले कार्यवाही की सफाई के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। ऐसे परिस्थितियों में खराब मौसम, वास्तविक भूल या कोई अन्य अपरिहार्य कारण या परिस्थितियाँ सम्मिलित हो सकती हैं।

(4) अधिनियम की धारा 10, 11, 11-क और 12 के अधीन दंडनीय अपराधों के शमन की राशि नीचे दिये गए सारणी में यथा उल्लिखित के अनुसार होगा।

सारणी

क्र.सं.	अपराध और सुसंगत धारा	व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के शमन की राशि (रू. में)
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध (हथियार और विस्फोटक साथ रखने संबंधित अपराधों को छोड़कर)	पाँच लाख
2.	धारा 11 के अधीन दण्डनीय अपराध	पाँच लाख
3.	धारा 11-क के अधीन दण्डनीय अपराध	पाँच लाख
4.	धारा 12 के अधीन अपराध करने हेतु उत्प्रेरण करना और अपराध का प्रयास करना	दुष्प्रेरण या अपराध करने के प्रयास से संबंधित शमन की राशि इस सारणी में दिए गए विवरण और उप-नियम (5) के सारणी में समान अपराध के लिए दिए गए विवरण के अनुसार होगा।

(5) नीचे दिए गए सारणी के स्तंभ (2) और (3) में निर्दिष्ट नियमों के अधीन दंडनीय अपराधों का शमन महानिदेशक या अधिनियम के खंड 4-क के उप-खंड (4) के अधीन अधिकृत किसी विशिष्ट प्राधिकार या अधिकारी द्वारा, कोई अभियोग उठाने से पूर्व या उसके पश्चात, सारणी के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट राशि प्राप्त होने पर, किया जा सकता है।

सारणी

क्र.सं.	अपराध की प्रकृति	सुसंगत नियम	व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के शमन की राशि (रू. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मानव रहित विमान प्रणाली या इसके किसी भाग या पुर्जे का अनाधिकृत आयात	नियम 10 का उप-नियम (2)	पच्चीस हजार

2.	मानव रहित विमान प्रणाली या इसके किसी भाग या पुर्जे का अनाधिकृत निर्माण	नियम 11	पचास हज़ार
3.	मानव रहित विमान प्रणाली या इसके किसी भाग या पुर्जे की अनाधिकृत खरीद या बिक्री या लीजिंग	नियम 20 का उप-नियम (1)	पच्चीस हज़ार
4.	ऐसे व्यक्ति द्वारा मानव रहित विमान का प्रचालन जो अनुज्ञप्ति-धारक रिमोट पायलट नहीं है।	नियम 29 का उप-नियम (6)	पच्चीस हज़ार
5.	नियम 34 के उप-नियम (5) का उल्लंघन	नियम 34 का उप-नियम (5)	पचास हज़ार
6.	गैर-प्रचालन क्षेत्र में मानव रहित विमान प्रचलित करना।	नियम 37 का उप-नियम (1)	पचास हज़ार
7.	नियम 38 के किसी भी उपबंध का उल्लंघन	नियम 38	दस हज़ार
8.	नियम 40 के उप-नियम (1) या (3) का उल्लंघन	नियम 40 का उप-नियम (1) या (3)	शमन संभव नहीं है।
9.	नियम 41 का उल्लंघन	नियम 41	पच्चीस हज़ार
10.	नियम 42 का अननुपालन	नियम 42	पाँच लाख
11.	नियम 44 के किसी भी उपबंध का उल्लंघन	नियम 44	पचास हज़ार
12.	नियम 41 का उल्लंघन	नियम 45	पच्चीस हज़ार
13.	नियम 53 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 53 का उप-नियम (2)	पचास हज़ार
14.	नियम 64 के उप-नियम (1) के अधीन जारी किए गए निदेशों का अननुपालन	नियम 64 का उप-नियम (1)	पच्चीस हज़ार
15.	बिना विधिमान्य तृतीय पक्षीय बीमा के मानव रहित विमान का प्रचालन	नियम 66 का उप-नियम (1)	दस हज़ार
16.	नियम 73 के उप-नियम (6) का उल्लंघन	नियम 73 का उप-नियम (6)	पच्चीस हज़ार
17.	किसी दूसरे व्यक्ति को धोखे से कोई अनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र, प्राधिकृति, परमिट या अनुमोदन जारी करना या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन दस्तावेजों का अन्यथा प्रयोग करने देना	नियम 74	पचास हज़ार

18.	मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2020 के उपबंधों के अधीन किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा देना	नियम 75	पच्चीस हजार
-----	---	---------	-------------

(6) किसी भी रीति से सम्मिलित अति सूक्ष्म, सूक्ष्म, मध्यम और बड़े मानव रहित विमान के अपराधों के शमन की राशि, व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट राशि के क्रमशः 100, 200, 300, 400 और 500 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

(7) यदि किसी अपराध में मानव रहित विमान के कई वर्ग सम्मिलित हो, तो, शमन की राशि मानव रहित विमान के उच्चतम श्रेणी के लिए लागू दर से लगाई जाएगी।

(8) जहां इस प्रकार के अपराध संगठन द्वारा किए गए हो, तो अपराध शमन की राशि नीचे दिए गए सारणी के अनुसार होगी :

सारणी

क्र.सं.	उल्लंघन करने वाला	कर्मचारियों की संख्या	अपराध के शमन की राशि (रू. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संगठन (छोटा)	पचास कर्मचारियों तक	उप-नियम 4, 5 और 6 में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अपराधों के लिए निर्धारित की गई राशि का 200प्रतिशत, जैसा लागू हो
2.	संगठन (मध्यम)	पचास से अधिक और दो सौ तक मानव	उप-नियम 4, 5 और 6 में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अपराधों के लिए निर्धारित की गई राशि का 300प्रतिशत, जैसा लागू हो
3.	संगठन (बड़े)	दो सौ से ज़्यादा मानव	उप-नियम 4, 5 और 6 में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अपराधों के लिए निर्धारित की गई राशि का 400प्रतिशत, जैसा लागू हो

टिप्पणी— 1. "व्यष्टि" से प्राकृतिक व्यक्तित्व अभिप्रेत है।

2. "संगठन" से सामाजिक निकाय या व्यक्तियों का संघ अभिप्रेत है, चाहे वह रजिस्ट्री हो या नहीं।

3. "मानव" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे संगठन द्वारा समझौते के तहत, अस्थायी या स्थायी रूप से नियुक्त, कार्यरत या काम में लगाया गया हो।

(9) अपराधों के शमन की प्रक्रिया -

(क) अपराध के शमन हेतु आवेदनकर्ता द्वारा प्ररूप यूए-24 के साथ नियम 65 में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क सहित अधिनियम की धारा 4-क की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक या किसी अधिकारी अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) शमन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, महानिदेशक या ऐसे अधिकारी या इस निमित्त सशक्त किए गए विशेष रूप से प्राधिकार प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और आवेदनों में की गई प्रस्तुतियों के आधार पर आवेदन की जांच करेंगे।

(ग) अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक या ऐसे अधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त विशेषज्ञ से प्राधिकरण आवेदक से किसी भी प्रकार की जानकारी, रिकॉर्ड या किसी अन्य दस्तावेज मांग सकते हैं। यदि उल्लंघनकर्ता मांगी गई अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो शमन के आवेदन की अस्वीकृति संभाव्य है।

(घ) अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (4) के अधीन ऐसे अधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त विशेष रूप से प्राधिकरण, कार्यवाही में भाग लेने हेतु, मामले से जुड़े सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना जारी कर सकते हैं।

(ङ) अपराध शमन के कार्यवाही के दौरान, महानिदेशक या अधिनियम की धारा 4-क की उप-धारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किसी अधिकारी या प्राधिकार द्वारा, आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के उपरांत, उप-नियम (4), (5), (6), (7) और (8) के अनुसार अपराध के शमन की राशि निर्धारित करेंगे। अगर महानिदेशक या उक्त अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए राशि का निर्णय आवेदक को स्वीकार्य नहीं हो, तो आवेदक तीन दिन के भीतर महानिदेशक अथवा ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर महानिदेशक अथवा उक्त अधिकारी या प्राधिकरण को लिखित में यह सूचना देंगे।

(च) आवेदक द्वारा ऐसी प्रस्तुति प्रदान करने या उचित समय के भीतर प्रस्तुति प्रदान न करने के पश्चात्, अपराध शमन की कार्यवाही रुक जाएगी और मामले की और कार्यवाही अधिनियमके उपबंधों और इन नियमों के अनुसार किया जाएगा। अधिनियम की धारा 4 क की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक या किसी अधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया प्राधिकरण इन कार्यवाही के संबंध में रिपोर्ट तैयार करेंगे।

(छ) उल्लंघन किए जाने की राशि का भुगतान महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट रीति से अपराध शमन के निर्णय की तारीख के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(ज) यदि कोई व्यक्ति अपराध शमन की राशि का भुगतान आदेश जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर करने में असफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अधिनियम, और इन नियमों के उपबंधों के अधीन अपराध के शमन हेतु कभी कोई आवेदन नहीं किया है।

(झ) अपराधों शमन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा और आवेदन की तारीख से 60 दिनों के बाद नहीं। असाधारण परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक या किसी अधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किए गए प्राधिकरण द्वारा यह 60 दिनों की अवधि 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

77. शास्ति.-(1) ऐसा कोई भी व्यक्ति नीचे दिए गए सारणी में वर्णित किसी भी नियम का उल्लंघन किया हो अथवा इन नियमों का अनुपालन करने में असफल रहा हो, उस पर निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा सारणी के स्तंभ (4) में दिये गए राशि की सीमा तक शास्ति लागू किया जाएगा और अधिनियम की धारा 10-क के उपबंधों के अनुसार दंडित किया जाएगा।

सारणी

क्र.सं.	अपराध की प्रकृति	सुसंगत नियम	व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघन के जुर्माने की राशि (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्राधिकरण संख्या जारी किए जाने के उपरांत पात्रता शर्तों के प्रमाणिकता में परिवर्तन से संबंधित सूचना उपलब्ध न कराना	नियम 7	पच्चीस हजार

2.	नियम 8 के उप-नियम (1) या (2) का अननुपालन	नियम 8 का उप-नियम (1) या (2)	एक लाख
3.	नियम 9 के उप-नियम (1) या (16) का उल्लंघन	नियम 9 का उप-नियम (1) या (16)	एक लाख
4.	नियम 10 के उप-नियम (1) या (3) का उल्लंघन	नियम 10 का उप-नियम (1) या (3)	एक लाख
5.	नियम 12 के उपबंधों का अननुपालन	नियम 12	एक लाख
6.	नियम 13 के उप-नियम (2) का अननुपालन	नियम 13 का उप-नियम (2)	एक लाख
7.	नियम 14 के किसी भी उपबंधों का अननुपालन	नियम 14	पचास हजार
8.	नियम 15 के किसी भी उपबंधों का अननुपालन	नियम 15	दस हजार
9.	नियम 17 का उल्लंघन	नियम 17	पचास हजार
10.	नियम 19 के किसी भी उपबंधों का अननुपालन	नियम 19	पचास हजार
11.	किसी रजिस्ट्री मानव रहित विमान प्रणाली को खरीदना या बेचना या पट्टे पर देना या कब्जा करना	नियम 20 का उप-नियम (2)	पचास हजार
12.	किसी मानव रहित विमान प्रणाली का अनाधिकृत स्वामी	नियम 21	दस हजार
13.	मानव रहित विमान प्रणाली का किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को अंतरित करना या इसका उल्लंघन करना	नियम 22 का उप-नियम (1) और (2)	पच्चीस हजार
14.	नियम 23 के उप-नियम (1) का अननुपालन	नियम 23 का उप-नियम (1)	दस हजार
15.	किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को मानव रहित विमान प्रणाली अंतरित करना	नियम 24 का उप-नियम (1) और (2)	पच्चीस हजार
16.	नियम 25 के उप-नियम (1) का अननुपालन	नियम 25 का उप-नियम (1)	दस हजार
17.	नियम 27 के किसी भी उपबंधों का अननुपालन	नियम 27	एक लाख

18.	नियम 28 के उप-नियम (1) का अननुपालन	नियम 28 का उप-नियम (1)	पचास हजार
19.	नियम 29 के किसी भी उपबंधों [उप-नियम (6) के अलावा] का अननुपालन	नियम 29 के उप-नियम (1) से (5) या (7)	पचास हजार
20.	नियम 35 के किसी भी उपबंधों का अननुपालन	नियम 35	पच्चीस हजार
21.	नियम 36 के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन	नियम 36	पचास हजार
22.	नियम 39 का अननुपालन	नियम 39	पचास हजार
23.	नियम 43 का अननुपालन	नियम 43	दस हजार
24.	गैर-अनुमत्त क्षेत्रों में ड्रोन पोर्ट की स्थापना	नियम 46	एक लाख
25.	नियम 47 का उल्लंघन	नियम 47	एक लाख
26.	नियम 52 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 52 का उप-नियम (1)	पच्चीस हजार
27.	नियम 55 के किसी भी उपबंध का उल्लंघन	नियम 55	एक लाख
28.	नियम 56 के किसी भी उपबंध का उल्लंघन	नियम 56	एक लाख
29.	नियम 60 का अननुपालन	नियम 60	दस हजार
30.	नियम 62 के उप-नियम (1),(2),(4) या (5) का अननुपालन	नियम 62 का उप-नियम (1),(2),(4) या (5)	दस हजार
31.	नियम 63 का अननुपालन	नियम 63	पचास हजार
32.	नियम 69 के उप-नियम (3) के अधीन जारी किए गए किसी भी निदेश का अनुपालन करने में असफलता	नियम 69 का उप-नियम (3)	पच्चीस हजार
33.	नियम 71 के अधीन लगाए गए प्रतिबंधों का अननुपालन	नियम 71	पचास हजार

(2) किसी भी रीति से सम्मिलित अति सूक्ष्म, सूक्ष्म, मध्यम और बड़ेमानव रहित विमान के ज़रूमे की राशि, व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट राशि के क्रमशः 100, 200, 300, 400 और 500 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

(3) यदि नियम के उल्लंघन में मानव रहित विमान के कई वर्ग सम्मिलित हो, तो, शमन की राशि मानव रहित विमान के उच्चतम श्रेणी के लिए लागू दर से लगाई जाएगी।

(4) जहां इस प्रकार के नियम का उल्लंघन संगठन द्वारा किया गया हो, तो शास्ति की राशि निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	उल्लंघन करने वाला	कर्मचारियों की संख्या	शास्ति की राशि (रू. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संगठन (छोटा)	पचास कर्मचारियों तक	उप-नियम 1, 2 और 3 में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे उल्लंघन के लिए निर्धारित की गई राशि का 200प्रतिशत, जैसा लागू हो
2.	संगठन (मध्यम)	पचास से अधिक और दो सौ तक मानव	उप-नियम 1, 2 और 3 में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे उल्लंघन के लिए निर्धारित की गई राशि का 300प्रतिशत, जैसा लागू हो
3.	संगठन (बड़े)	दो सौ से ज़्यादा मानव	उप-नियम 1, 2 और 3 में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे उल्लंघन के लिए निर्धारित की गई राशि का 400प्रतिशत, जैसा लागू हो

टिप्पण— 1. "व्यष्टि" से प्राकृतिक व्यक्तित्व अभिप्रेत है।

2. "संगठन" से सामाजिक निकाय या व्यक्तियों का संघअभिप्रेत है, चाहे वह

पंजीकृत हो या नहीं।

3. "मानव" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे संगठन द्वारा समझौते के अधीन,

अस्थायी या स्थायी रूप से नियुक्त, कार्यरत या काम में लगाया गया हो।

(5) अभिहीत अधिकारियों द्वारा शास्ति के न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया:-

क. अभिहीत अधिकारी, इस बात का समाधान होने पर, कि किसी व्यक्ति ने उपरोक्त अनुसूची - II में दिये गए किसी भी नियम का उल्लंघन किया है, वे, उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के उपरांत, उप-नियम (1), (2), (3) और (4) के अनुसार, लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति पर शास्ति लगा सकते हैं, जिसमें उल्लंघन की प्रकृति, उल्लंघन किए गए नियमों के अपबन्ध और माँग सूचना सहित ऐसी शास्ति लागू करने के कारणों का उल्लेख हो।

ख. अभिहीत अधिकारी को यह सूचना प्राप्त हो कि अधिनियम की धारा 10-ख के अनुसरण में किसी व्यक्ति के विरुद्ध अनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र या अनुमोदन के रद्दीकरण या निलंबन हेतु, जैसा भी हो, की कार्यवाही किसी समान नियम के उल्लंघन करने पर समान कारवाई के कारण शुरू किया गया है, तो वह अधिकारी उल्लंघनकर्ता पर शास्ति लागू नहीं करेगा।

ग. अभिहीत अधिकारी द्वारा पारित शास्ति आदेश की एक प्रति उल्लंघनकर्ता को सेवा के किसी मान्यता प्राप्त माध्यम से भेजी जाएगी।

घ. खंड (क) के अधीन जारी किए गए आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति, नियम 78 के अधीन, आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है।

ङ. अपीलीय अधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अभिहीत अधिकारी द्वारा पारित जारी किए गए आदेश की पुष्टि, उपांतरण या उसे एक पक्षीय करने हेतु मौखिक आदेश जारी कर सकता है।

च. अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश की प्रति अपीलकर्ता और संबंधित अभिहीत अधिकारी को प्रदान किया जाएगा।

छ. निर्दिष्ट अधिकारी, अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, आदेश में अधिरोपित किए गए जुर्माने की राशि के लिए उल्लंघनकर्ता को पुनरीक्षित माँग सूचना जारी कर, आदेश का निष्पादन सुनिश्चित करेगा।

ज. उल्लंघनकर्ता द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से माँग नोटिस सौंपे जाने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

झ. यदि उल्लंघनकर्ता माँग सूचना में दिये गए निर्धारित समयावधि के भीतर शास्ति के भुगतान में असफल रहता है, तो इन नियमों के अधीन, किसी भी यथास्थितिअनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र, प्राधिकृति, परमिट या अनुमोदन, को रद्द या निलंबित करने जाने की कार्यवाही शुरू कर सकता है।

78. अपील— (1) यदि कोई व्यक्ति नियम 71, 72, या नियम 77 के उप-नियम (5) के खंड (क) के अधीन, महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार किसी प्राधिकृत अधिकारी या अभिहीत अधिकारी द्वारा, वायुयान अधिनियम, 1934 या इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए पारित आदेश से असंतुष्ट है, तो नियम 65 में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ प्ररूप-25 मेंमामले में अधिकारीता रखने वाले अपीलीय अधिकारी को और जिसने ऐसा देश पारित किया हो अपील कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील, अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति असंतुष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त होने तीस दिनों के भीतर किया जाएगा।

(3) अपीलीय अधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, जारी किए गए आदेश की पुष्टि, उपांतरण या उसे एकपक्षीय करने हेतु आदेश जारी कर सकता है।

परन्तु महानिदेशक द्वारा आदेश पारित किये जाने के मामले में, यह अपील नागर विमानन मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव के समक्ष की जाएगी।

79. व्यावृत्ति -इन नियमों की कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक हित में अथवा विमानों के सुरक्षित प्रचालन के संबंध में जारी किए गए किसी आदेश को सीमित प्रभावित नहीं करेगा।

प्ररूप यूए -1 (नियम 6.7 और 26 देखें)	
आयातक, विनिर्माता, व्यापारी, स्वामी या प्रचालक को प्राधिकृति संख्या जारी करने या नवीकरण के लिए आवेदन	पासपोर्ट आकार की फोटो लगाए(व्यक्ति के मामले में)
-	-
-	हस्ताक्षर
-	
उपयुक्त श्रेणी का चयन करें	
1. विनिर्माता	-
2. आयातक	-
3. व्यवसायी	
4. स्वामी	
5. प्रचालक	
भाग क व्यष्टि के लिए विशेष हेतु	
1. नाम	-

2. पिता क नाम	-	
3. लिंग	-	
4. राष्ट्रियता	-	
5. जन्म तिथि	-	
6. पता	-	
7. ई-मेल	-	
8. दूरभाष	-	
9. पहचान साक्ष्य के दस्तावेज़ इनमे से कोई एक	पासपोर्ट संख्या	-
	आधारकार्ड संख्या	-
	पैन कार्ड संख्या	-
	मतदाता पहचान पत्र संख्या	-
	चालकअनुज्ञप्तिसंख्या	
10. पता साक्ष्य का दस्तावेज़ इनमे से कोई एक	पासपोर्ट संख्या	-
	आधार कार्ड संख्या	-
	मतदाता पहचान पत्र संख्या	-
	बिजली बिल / पानी का बिल / लैंडलाइन टेलीफोन बिल / बैंक खाता विवरण जो तीन महीने से अधिक पुराना न हो	-
11. जीएसटी नं, यदि लागू हो	-	
भाग ख एक कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय के लिए		
12. कंपनी का नाम	-	
13. कंपनी का पिछला नाम, यदि कोई हो	-	
14. व्यवसायिक पता	-	
15. रजिस्ट्री पता	-	
16. ई-मेल	-	
17. दूरभाष	-	
18. निगमन क प्रमाण- कंपनी के निगमन का प्रमाण पत्र	-	
19. निदेशक का उनके डीआईएन संख्या सहित नाम	-	
20. जीएसटी नं, लागू होने पर	-	

भाग ग स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्रीय या राज्य सरकार या इसकी एजेंसी के लिए		
21. संगठन का नाम		
22. व्यावसायिक पता		
23. रजिस्ट्री पता		
24. ईमेल		
25. दूरभाष		
26. विभाग के प्रमुख से प्राप्त संगठन के विवरण, उसका पता और यूएएन प्राप्त करने की उसकी स्वेच्छा का प्रमाणपत्र।		
27. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	क.	
	ख.	
	ग.	
	घ.	
	ड०.	
28. जीएसटी संख्या, लागू होने पर	-	
भाग घ किसी अन्य व्यक्ति के लिए		
29. संगठन का नाम	-	
30. व्यावसायिक पता	-	
31. पंजीकृत पता	-	
32. ईमेल	-	
33. दूरभाष	-	
34. पंजीकरण/निगमन का प्रमाण-पंजीकरण/निगमन प्रमाण पत्र (अपलोड)	-	
35. प्रबंधन समिति के नाम, पदनाम, पता और दूरभाष	क.	-
	ख.	-
	ग.	-
	घ.	
36. जीएसटी संख्या, लागू होने पर	-	
भाग ड० सामान्य		
37. पुराना प्राधिकरण संख्या (क्रेडेंशियल्स में किसी भी परिवर्तन के कारण नए प्राधिकरण अनुरोध के मामले में)	-	
38. शुल्क और संव्यवहार संख्या (अपलोड संव्यवहार रसीद)		

श्रेणी	श्रेणी का चयन	शुल्क	संव्यवहार का ब्योरा
विनिर्माणकर्ता			
आयातक			
व्यवसायी			
स्वामी			
प्रचालक			

नोट: प्राधिकृति के लिए एक से अधिक वर्ग में, उपयुक्त बॉक्स चुने जा सकते हैं एवं तदनुसार प्रलेखन और शुल्क प्रदान किया जाएगा।

घोषणा

क) मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

(ख) नए प्राधिकृति हेतु, प्रमाण पत्र में परिवर्तन क्रम संख्या में दर्शाया गया है (सूची प्रदान करें) – [लागू नहीं होने पर हटा दें।]

नाम और हस्ताक्षर

तिथि:

स्थान:

प्ररूप यूए- 2 (नियम 8 और 59 देखें)		
विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या के लिए आवेदन		
1.	प्राधिकृत विनिर्माता या आयातक प्राधिकृत अनुसंधान और विकास संगठन का नाम (यथा लागू)	
2.	विशिष्ट प्राधिकृत संख्या, यथा लागू	
3.	व्यवसायिक पता	
4.	रजिस्ट्री पता	
5.	ईमेल आईडी	
6.	दूरभाष	
7.	प्रोटोटाइप नाम	
8.	प्रोटोटाइप मानवरहित विमान प्रणाली की श्रेणी	
9.	प्रोटोटाइप यूए का वर्ग	

10.	प्रोटोटाइप का विवरण: क) प्रोटोटाइप के 3डी चित्र ख) सामान्य व्यवस्था / चित्र विन्यास ग) डब्ल्यूपीसी से ईटीए घ) मूल डेटा ङ) उपकरण का विवरण च) डिजाइन विशेषताओं का विवरण छ) परिचालन विशेषताएं, और ज) प्रस्तावित परिचालन सीमाएँ	
11.	नई डिजाइन विशेषताएं, यदि कोई हो	
12.	प्रोटोटाइप क्रम संख्या	
13.	शुल्क और लेनदेन संख्या (अपलोड लेनदेन रसीद)	

टिप्पण- क्रम संख्या 10 के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

तिथि:

स्थान:

प्ररूप यूए-3 (नियम 9 देखें)		
निर्माण और उड़ान योग्य के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन		
1.	प्राधिकृत मानवरहित विमान प्रणाली आयातक या विनिर्माता का नाम (यथा लागू)	
2.	विशिष्ट प्राधिकृत संख्या	
3.	व्यवसायिक पता	
4.	रजिस्ट्री पता	
5.	ईमेल आईडी	
6.	दूरभाष	
7.	अधिमानित परीक्षण प्रयोगशाला या संगठन: (i) (ii) (iii)	

8.	<p>मानवरहित विमान प्रणाली का विवरण:</p> <p>क) श्रेणी:</p> <p>ख) वर्गीकरण:</p> <p>ग) मॉडल नाम /संख्या:</p> <p>घ) विमान/ हेलिकॉप्टर/ हाइब्रिड मानवरहित विमान प्रणाली:</p> <p>ङ) अधिकतम समग्र भाग:</p> <p>च) इंजन/मोटर:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) टाइप</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) पावर रेटिंग</p> <p style="padding-left: 20px;">iii) इंजन/मोटर की संख्या</p> <p>छ) कुल ईंधन क्षमता (किलो) / बैटरी क्षमता (एम ए एच):</p> <p>ज) संगत पेलोड:</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) निश्चित या परिवर्तनशील या दोनों</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) पेलोड का अधिकतम भार (किलो)</p> <p style="padding-left: 20px;">(iii) घन सेंटीमीटर में आयतन</p> <p>झ) लॉन्च और पुनर्प्राप्ति टाइप (यथा लागू)</p> <p>ण) समग्र आयाम (l x b x h) (एक 3डी चित्र अपलोड की गई है)</p>													
9.	तीन विभिन्न कोण से मानवरहित विमान की तीन छायाचित्र (अपलोड)													
10.	भाग संख्या के साथ भागों या घटकों की सूची													
11.	डब्ल्यूपीसी विंग से ईटीए संख्या, संचार मंत्रालय (अपलोड)													
12.	यदि लागू हो, तो आपातकालीन रिकवरी सिस्टम का विवरण:													
13.	<p>उपकरणों एवं प्रणालियों की सूची (उचित बॉक्स में करें) ✓</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> जीएनएसएस</td> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> आरटीएच</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> भू-बाड़</td> <td><input type="checkbox"/> टकराव रोधी प्रकाश</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> उड़ान नियंत्रक</td> <td><input type="checkbox"/> उड़ान डेटा लॉगिंग क्षमता</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> एनपीएनटी</td> <td><input type="checkbox"/> एसएसआर प्रेषणही/ एडीएस-बीआउट</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> कमांड और कंट्रोल लिंक</td> <td><input type="checkbox"/> वास्तविक समय ट्रैकिंग प्रणाली</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> बैरोमीटर के उपकरण</td> <td><input type="checkbox"/> पता लगाएँ और बचें</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> जीएनएसएस	<input type="checkbox"/> आरटीएच	<input type="checkbox"/> भू-बाड़	<input type="checkbox"/> टकराव रोधी प्रकाश	<input type="checkbox"/> उड़ान नियंत्रक	<input type="checkbox"/> उड़ान डेटा लॉगिंग क्षमता	<input type="checkbox"/> एनपीएनटी	<input type="checkbox"/> एसएसआर प्रेषणही/ एडीएस-बीआउट	<input type="checkbox"/> कमांड और कंट्रोल लिंक	<input type="checkbox"/> वास्तविक समय ट्रैकिंग प्रणाली	<input type="checkbox"/> बैरोमीटर के उपकरण	<input type="checkbox"/> पता लगाएँ और बचें	
<input type="checkbox"/> जीएनएसएस	<input type="checkbox"/> आरटीएच													
<input type="checkbox"/> भू-बाड़	<input type="checkbox"/> टकराव रोधी प्रकाश													
<input type="checkbox"/> उड़ान नियंत्रक	<input type="checkbox"/> उड़ान डेटा लॉगिंग क्षमता													
<input type="checkbox"/> एनपीएनटी	<input type="checkbox"/> एसएसआर प्रेषणही/ एडीएस-बीआउट													
<input type="checkbox"/> कमांड और कंट्रोल लिंक	<input type="checkbox"/> वास्तविक समय ट्रैकिंग प्रणाली													
<input type="checkbox"/> बैरोमीटर के उपकरण	<input type="checkbox"/> पता लगाएँ और बचें													

	<input type="checkbox"/> विनिर्माता क्रम संख्या <input type="checkbox"/> अग्नि प्रतिरोधी पहचान प्लेट <input type="checkbox"/> दोतरफा संचार प्रणाली <input type="checkbox"/> 360 डिग्री टकराव परिहार प्रणाली (जीएनएसएस -वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली; एन पी एन टी - अनुमति नहीं – कोई टेकऑफ़ नहीं; आर टी एच- रिटर्न टू होम)	
14.	प्रलेखीकरण (अपलोड): क) मानव रहित विमान उड़ान नियमावली; तथा ख) अनुरक्षण नियमावली।	
15.	मूल प्रदर्शन पैरामीटर: क) गति ख) अनुक्रम ग) स्थायित्व घ) प्रचालनीक ऊंचाई ड.) प्रचालनीक आवरण च) सुरक्षित प्रचालन के लिए प्रोपेलर / रोटर गति और पिच	
16.	विशिष्ट प्रोटोटाइप मानवरहित विमान प्रणाली पहचान संख्या	
17.	शुल्क और संब्यवहार संख्या (अपलोड लेनदेन रसीद)	

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

प्ररूप यूए-4 (नियम 13 देखें)		
अनुरूपता प्रमाणपत्र ग का ग संख्या -----		
1.	विनिर्माता या आयातक का नाम (यथा लागू)	
2.	विनिर्माता या आयातक का पता	

3.	यूए प्रकार / मॉडल	
4.	निर्माण और उड्डनयोग्यता संख्या का प्रमाण पत्र	
5.	यूए का क्रमांक संख्या	
6.	बैच संख्या	
7.	तीन अलग-अलग कोणों से मानवरहित विमान प्रणाली की तीन छायाचित्र (संलग्न करें)	
8.	भाग संख्याओं के साथ भागों या घटकों की सूची (संलग्न करें)	
<p>पुष्टि विवरण:</p> <p>इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण और उड्डनयोग्यता प्रमाण पत्र के लिए इस यूए के निर्माण की पुष्टि की गई है।</p> <p>यूए सुरक्षित प्रचालन के लिए एक स्थिति में है।</p>		
हस्ताक्षर	नाम	तारीख

<p>प्ररूप यूए-5 (नियम 14 देखें)</p>	
अनुरक्षण संख्या का प्रमाणपत्र:	यूआईएन
स्वामी:	
प्रचालक:	
प्राधिकृत अनुरक्षण केंद्र का नाम:	

	विनिर्माता	टाइप	क्रम संख्या	नए समय अनुसार	पिछले मरम्मत से समय	अंतिम निरीक्षण के पश्चात का समय।
यूए						
इंजन						
प्रोपेलर/ रोटर						
यूएएयूडबल्यू:						

यदि अपेक्षित हो, तो अतिरिक्त शीट संलग्न करें

अनुरक्षण टाइप:		अनुसूची	असूचीबद्ध	मरम्मत / संशोधन
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
अनुरक्षण डेटा				
मद सं.	किया गया कार्य: (अनुरक्षण का विस्तृत विवरण, प्रतिस्थापित भाग, अनुमोदित मरम्मत / संशोधन, आदि)			
1				
2				
3				
4				
5				
आस्थगित त्रुटि/ मद:				
परिसीमन				
तीन अलग-अलग कोणों से मानवरहित विमान प्रणाली की तीनचित्र (संलग्न करें)				
प्रमाणित किया जाता है कि निर्दिष्ट कार्य के अलावा, जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, विनिर्माता द्वारा अनुमोदित आंकड़ों के अनुसार किया गया था और मानवरहित विमान सेवा के लिए जारी किया गया था।				
नाम	हस्ताक्षर	तारीख		

प्ररूप यूए-6

(नियम 10 देखें)

प्रोटोटाइप मानवरहित विमान प्रणाली के आयात के क्लियरेंस के लिए आवेदन

1.	प्राधिकृत मानवरहित विमान प्रणाली आयातक का नाम	
2.	विशिष्ट पहचान संख्या	
3.	कंपनी के मामले में निदेशकों के नाम प्रदान करते हैं	i.
		ii.
		iii.
		iv.
		v.
4.	अन्य व्यक्तियों के मामले में शीर्ष प्रबंधन के नाम उपलब्ध कराते हैं	i.
		ii.
		iii.

		iv.
		v.
5.	व्यवसायिक पता	
6.	रजिस्ट्री पता	
7.	ईमेल आईडी	
8.	दूरभाष	
9.	राष्ट्रियता	
10.	सुरक्षा क्लियरेंस संख्या (अपलोड), यदि लागू हो	
प्रोटोटाइप मानवरहित विमान प्रणाली का विवरण		
11.	विमान/ हेलिकॉप्टर/हाइब्रिड मानवरहित विमान प्रणाली	
12.	परिमाण	
13.	विनिर्माता का नाम और पता	
14.	मॉडल नाम/संख्या	
15.	निर्माण की तिथि और वर्ष	
16.	अधिकतम समग्र भार:	
17.	वर्गीकरण:	
18.	मानवरहित विमान प्रणाली का विवरण: क) इंजन/मोटर: i) टाइप ii) पावर रेटिंग iii) इंजन/मोटर की संख्या ख) कुल ईंधन क्षमता (किलो) / बैटरी क्षमता (एम ए एच): ग) संगत पेलोड: (i) निश्चित या परिवर्तनशील या दोनों (ii) पेलोड का अधिकतम भार (किलो) iii) घन सेंटीमीटर में आयतन घ) लॉन्च और पुनर्प्राप्ति टाइप (यथा लागू) (ड०) समग्र आयाम (l x b x h) (एक 3डी चित्र अपलोड की गई है)	

19.	मूल प्रदर्शन पैरामीटर: क) गति ख) अनुक्रम ग) स्थायित्व घ) प्रचालनीक ऊंचाई ड.) प्रचालनीक आवरण च) सुरक्षित प्रचालन के लिए प्रोपेलर / रोटर गति और पिच	
20.	उपकरण और स्थापित प्रणाली की सूची	

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

प्ररूप यूए-7 (नियम 10 देखें)		
अनुवर्ती मानवरहित विमान प्रणाली के आयात क्लियरेंस के लिए आवेदन		
1.	प्राधिकृत मानवरहित विमान प्रणाली आयातक का नाम	
2.	विशिष्ट प्राधिकृत संख्या	
3.	कंपनी के मामले में निदेशकों के नाम उपलब्ध कराते हैं	i.
		ii.
		iii.
		iv.
		v.
4.	अन्य व्यक्तियों के मामले में शीर्ष प्रबंधन के नाम उपलब्ध कराते हैं	i.
		ii.
		iii.
		iv.
		v.
5.	व्यावसायिक पता	

6.	रजिस्ट्री पता	
7.	ईमेल आईडी	
8.	दूरभाष	
9.	राष्ट्रियता:	
10.	सुरक्षा क्लियरेंस संख्या (अपलोड), यदि लागू हो	
अनुवर्ती मानवरहित विमान प्रणाली का विवरण		
11.	निर्माण और उड़नयोग्यता संख्या का प्रमाणपत्र (अपलोड)	
12.	विमान/ हेलिकॉप्टर/ हाइब्रिड मानवरहित विमान प्रणाली	
13.	वर्गीकरण	
14.	मानवरहित विमान प्रणाली का परिमाण	
15.	विनिर्माणकर्ता का नाम और पता	
16.	मॉडल नाम/संख्या	
17.	निर्माण की तारीख और वर्ष	
18.	अधिकतम समग्र भार	
19.	अधिकतम ऊंचाई प्राप्य	
20.	पेलोड विवरण	
21.	समग्र आयाम (l x b x h) (3डी- चित्र)	
22.	नया / पूर्व स्वामित्व वाला	
23.	आयात का मोड (लीज/सीधी खरीद)	
24.	लीज संबन्धित मालिक का नाम और पता	
25.	लीज के मामले में ऋणदाता का नाम और पता	
26.	डब्ल्यूपीसी से ईटीए संख्या, संचार मंत्रालय (अपलोड)	

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

तिथि:

स्थान:

प्ररूप यूए-8 (नियम 10 देखें)		
भागों और घटकों के आयात की क्लियरेंस के लिए आवेदन		
1.	प्राधिकृत मानवरहित विमान प्रणाली आयातक का नाम	
2.	विशिष्ट पहचान संख्या	
3.	कंपनी के मामले में निदेशकों के नाम दिये जाते हैं	i. ii. iii. iv. v.
4.	अन्य व्यक्तियों के मामले में शीर्ष प्रबंधन के नाम उपलब्ध कराते हैं	i. ii. iii. iv. v.
5.	व्यवसायिक पता	
6.	रजिस्ट्री पता	
7.	ईमेल आईडी	
8.	दूरभाष	
9.	राष्ट्रियता:	
10.	सुरक्षा क्लियरेंस संख्या (अपलोड), यथा लागू	
भागों और घटकों का विवरण		
11.	आयात का उद्देश्य	विनिर्माण <input type="checkbox"/> अपलोड i. विनिर्माता प्राधिकरण ii. संबंधित मानवरहित विमान प्रणाली के निर्माण और योग्यता का प्रमाण पत्र अनुसंधान और विकास <input type="checkbox"/> अपलोड i. अनुसंधान और विकास प्राधिकरण ii. प्रोटोटाइप पहचान संख्या

		अनुरक्षण <input type="checkbox"/> अपलोड i. स्वामी प्राधिकरण ii. संबंधित मानवरहित विमान प्रणाली के निर्माण और उड़न योग्यता का प्रमाण पत्र
भागों एवं घटकों का विवरण		
क्र. सं.	भाग संख्या सहित भागों एवं घटकों का नाम	परिमाण

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

प्ररूप यूए-9 (नियम 18 और 26 देखें)		
विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन		
1.	प्राधिकृत मानवरहित विमान आयातक या विनिर्माता का नाम	
2.	स्वामी या प्रचालक का नाम (मौजूदा आयातित या निर्मित मानवरहित विमान प्रणाली के मामले में)	
3.	विशिष्ट प्राधिकृत संख्या	
4.	व्यवसायिक पता	
5.	रजिस्ट्रीकृत पता	
6.	ईमेल आईडी	
7.	दूरभाष	
8.	आयात अनुज्ञप्ति/अनुमति संख्या (आयातक के मामले में) (अपलोड)	
9.	निर्माण और उड़नयोग्यता या टाइप प्रमाणपत्र संख्या का प्रमाणपत्र, यथा लागू (अपलोड)	

10.	महानिदेशक द्वारा जारी स्वीकृति (मौजूदा आयातित या निर्मित मानवरहित विमान प्रणाली के मामले में) (अपलोड)	
11.	अनुरूपता संख्या का प्रमाण पत्र (अपलोड)	
12.	मॉडल संख्या	
13.	निर्माण की तारीख और वर्ष	
14.	विनिर्माण क्रमांक संख्या	
15.	शुल्क और संव्यवहार संख्या (अपलोड लेनदेन रसीद)	

टिप्पण: क्रम संख्या 1, 8, 9 और 11 भारत में विद्यमान आयातित या निर्मित मानवरहित विमान प्रणाली के संबंध में यूआईएन प्राप्त करने के मामले में लागू नहीं होंगे।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

प्ररूप यूए-10 (नियम 24 देखें)	
मानवरहित विमान प्रणाली के अंतरण हेतु आवेदन	
कृपया अंतरण के लागू मोड या स्वामित्व में परिवर्तन का चयन करें	
<input type="checkbox"/> बिक्री <input type="checkbox"/> पट्टा <input type="checkbox"/> स्थानांतरण का अन्य कोई साधन	-
भाग क : अंतरणकर्ता विवरण	
क. वैयक्तिक मामले में	
1. नाम	-
2. पिता का नाम	-
3. पता	-
4. राष्ट्रियता	-
5. जन्मतिथि	-
6. ईमेल	-
7. फोन नं.	-
8. विशिष्ट प्राधिकरण सं (यूएएन)	-

9. जीएसटी सं, यदि लागू हो	-
ख. कंपनी या निगम के मामले में	
10. कंपनी का नाम	-
11. कंपनी का कोई पिछला नाम, यदि हो तो	-
12. व्यवसाय का पता	-
13. राजिस्ट्रीकृत पता	-
14. ईमेल	-
15. फोन नं.	-
16. निगमन का प्रमाण - कंपनी के निगमन का प्रमाणपत्र	-
17. उनके डीआईएन के साथ उनके निदेशकों के नाम	-
18. विशिष्ट प्राधिकरण संख्या (यूएएन)	-
19. जीएसटी सं. यदि लागू हो	-
ग. स्थानीय प्राधिकरण के मामले में, केंद्रीय अथवा राज्य सरकार या एजेंसी	
20. संगठन का नाम	-
21. व्यावसायिक पता	-
22. राजिस्ट्रीकृत पता	-
23. ईमेल	-
24. फोन नं.	-
25. विशिष्ट प्राधिकरण सं. (यूएएन)	-
26. संगठन का विवरण, इसका पता प्रदान करते हुए विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र	-
27. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	-
28. जीएसटी नं. यदि लागू हो तो	-
घ. किसी और व्यक्ति के मामले में	
29. संगठन का नाम	-
30. व्यावसायिक पता	-
31. ईमेल	-
32. फोन नं.	-
33. विशिष्ट प्राधिकरण सं (यूएएन)	-
34. राजिस्ट्रीकरण/निगमन का प्रमाण	-

35. अध्यक्ष और प्रबंधन समिति के सदस्यों का नाम, पदनाम, पता और फोन नं	-
36. जीएसटी सं. यदि लागू हो तो	-
भाग ख: अंतरिती विवरण	
क. वैयक्तिक मामले में	
37. नाम	-
38. पिता का नाम	
39. पता	
40. राष्ट्रियता	-
41. जन्मतिथि	-
42. ईमेल	-
43. फोन नं.	-
44. विशिष्ट प्राधिकरण सं. (यूएएन)	-
45. जीएसटी सं. यदि लागू हो	-
कंपनी या निगम के मामले में	-
46. कंपनी का नाम	-
47. कंपनी का कोई पिछला नाम, यदि हो तो	-
48. व्यवसाय का पता	-
49. रजिस्ट्रीकृत पता	-
50. ईमेल	-
51. फोन नं.	-
52. निगमन का प्रमाण - कंपनी के निगमन का प्रमाणपत्र	-
53. उनके डीआईएन के साथ उनके निदेशकों के नाम	-
54. विशिष्ट प्राधिकरण संख्या (यूएएन)	-
55. जीएसटी सं. यदि लागू हो	-
ग. स्थानीय प्राधिकारी के मामले में, केंद्रीय अथवा राज्य सरकार या एजेंसी	
56. संगठन का नाम	-
57. व्यावसायिक पता	-
58. रजिस्ट्रीकृत पता	-
59. ईमेल	-

60. फोन नं.	-
61. विशिष्ट प्राधिकरण संख्या (यूएएन)	-
62. संगठन का विवरण, इसका पता प्रदान करते हुए विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र	-
63. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	-
64. जीएसटी नं, यदि लागू हो तो	-
घ. किसी अन्य व्यक्ति के मामले में	
65. संगठन का नाम	-
66. व्यावसायिक पता	-
67. ईमेल	-
68. फोन नं.	-
69. विशिष्ट प्राधिकरण सं (यूएएन)	-
70. रजिस्ट्रीकरण/निगमन का प्रमाण	-
71. अध्यक्ष और प्रबंधन समिति के सदस्यों का नाम, पदनाम, पता और फोन नं	-
72. जीएसटी सं. यदि लागू हो तो	-
भाग ग: सामान्य	
73. विशिष्ट पहचान पत्र संख्या (यूआईएन)	-
74. रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा मानवरहित विमान प्रणाली का पूर्ण स्वामीत्व खत्म हो जाता है (शेयरधारिता में परिवर्तन अपलोड करें)	-
75. बिक्री, पट्टा अथवा अंतरण (अंतरण विलेख अपलोड करें)	-
76. शुल्क और कार्य संचालन संख्या (कार्य संचालन रसीद अपलोड करें)	-

टिप्पणी- अंतरणकर्ता और अंतरिती दोनों के लिए निगमन का प्रमाणपत्र (कंपनी के मामले में) और नाम, पता, विशिष्ट प्राधिकरण संख्या (यूएएन) के समर्थन में स्वप्रमाणित दस्तावेज, और, मानवरहित विमान प्रणाली की विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन), और मानवरहित विमान प्रणाली को मरम्मत न हो सकने वाली क्षति अथवा खोने का प्रमाण अपलोड होने की सूचना के मामले में।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

प्ररूप यूए-11 (नियम 26 देखें)	
मौजूदा आयातित अथवा निर्मित मानव रहित यान प्रणाली के स्वीकरण हेतु आवेदन	
मानवरहित विमान प्रणाली स्वामी का विवरण	
1. प्राधिकृत स्वामी का नाम	-
2. विशिष्ट प्राधिकरण संख्या	
3. ड्रोन स्वीकृति संख्या (डीएएन)	-
4. स्वामी स्वीकृति संख्या (ओएएन)	-
5. पता	-
6. ई-मेल आईडी	-
7. फोन नं०	-
मानवरहित विमान प्रणाली आयातक/विविनिर्माता का विवरण	
8. प्राधिकृत मानवरहित विमान प्रणाली आयातक/ विनिर्माता का नाम	
9. विशिष्ट प्राधिकरण सं०	
10. पता	
11. ई-मेल आईडी	
12. फोन नं०	
13. वरीय टेस्टिंग प्रयोगशाला अथवा संगठन:	
i).	
ii).	
iii).	
वायुयान प्रणाली का विवरण:	
14. श्रेणी	
15. वर्गीकरण	
16. मॉडल का नाम / संख्या	
17. एरोप्लेन/ हेलीकॉप्टर/ हाइब्रिड मानवरहित विमान प्रणाली	
18. अधिकतम समग्र वजन	
19. इंजन/ मोटर:	
i). प्रकार	
ii). पावर रेटिंग और	

iii). इंजन/मोटरो की संख्या			
20. ईंधन की कुल क्षमता (कि.ग्रा.)/ बैटरी क्षमता (एमएएच)			
21. अनुरूप पेलोड:			
(i) निश्चित अथवा परिवर्तनशील या दोनों			
(ii) पेलोड का अधिकतम वजन (कि॰ग्रा॰)			
(iii) क्यूबिक सेंटीमीटर में आयतन			
22. लॉच और वसूली का प्रकार (यथा लागू)			
23. समग्र विमा (लं॰ x चौ॰ x ऊँ॰) (3 दृश्य चित्र संलग्न करें।)			
24. संचार मंत्रालय, डबल्यूपीसी विंग से ईटीए नंबर (अपलोड करें)			
25. आपातकालीन वसूली प्रणाली का विवरण			
26. उपकरणों और प्रणाली की सूची (उपयुक्त स्तंभ में √ लगाएँ):			
<input type="checkbox"/>	जीएनएसएस	<input type="checkbox"/>	आरटीएच
<input type="checkbox"/>	जियो-फेंस	<input type="checkbox"/>	एंटी-कोलाइसन लाइट
<input type="checkbox"/>	विमान नियंत्रक	<input type="checkbox"/>	फ्लाइट डेटा लॉगिंग केपेबिलिटी
<input type="checkbox"/>	एनपीएनटी	<input type="checkbox"/>	एसएसआर ट्रांसपोंडर/एडीएस-बी आउट
<input type="checkbox"/>	कमांड एंड कंट्रोल लिंक	<input type="checkbox"/>	रियल-टाइम ट्रेकिंग सिस्टम
<input type="checkbox"/>	बारोमेट्रिक इक्विपमेंट	<input type="checkbox"/>	डिटेक्ट एंड अवाइड केपेबिलिटी
<input type="checkbox"/>	विनिर्माता क्रम सं॰	<input type="checkbox"/>	फायर रेजीज़ेंट आइडेंटिफिकेशन प्लेट
<input type="checkbox"/>	टू-वे कम्यूनिकेशन सिस्टम	<input type="checkbox"/>	360 डिग्री कोलाइसन अवाइडेंस सिस्टम
(जीएनएसएस –ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम; एनपीएनटी – अनुज्ञा नहीं – नो टेकऑफ; आरटीएच- रिटर्न टू होम)			
27. मानवरहित विमान प्रणाली की विशिष्ट श्रेणी और वर्ग के लिए लागू उपकरण अपेक्षाओं का अनुपालन			
28. शुल्क और अंतरण संख्या (अंतरण रसीद अपलोड करें)			

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

प्ररूप यूए-12 (नियम 28 देखें)	
मानवरहित विमान प्रणाली ऑपरेटर परमिट को जारी करने या नवीकरण के लिए आवेदन (यूएओपी - I)	
भाग-क: सामान्य	
1. प्रचालक का नाम	-
2. विशिष्ट प्राधिकरण संख्या	-
3. पता	-
4. ईमेल	-
5. फोन नं०	-
6. मानवरहित विमान प्रणाली की संख्या	-
7. रिमोट पायलटों की संख्या	-
8. सुरक्षा कार्यक्रम अनुमोदन विवरण	-
भाग-ख: प्रत्येक मानवरहित विमान प्रणाली का विवरण	
9. मेक एंड मॉडल	
10. निर्माण क्रम संख्या	
11. यूआईएन	
12. श्रेणी और वर्ग	
13. डबल्यूपीसी विंग, संचार मंत्रालय से प्राप्त ईटीए नं० (अपलोड करें)	
14. पेलोड विवरण	
15. बीमा (अपलोड करें)	
भाग-ग: प्रत्येक रिमोट पायलट का विवरण	
16. नाम	
17. रिमोट पायलट लाइसेंस नं०	
18. योग्यता (श्रेणी/ वर्ग/ रेटिंग)	
19. अनुभव विवरण (किए गए रोल और प्रचालन)	
भाग-घ: माँगे गए परमिट का विवरण	
20. मानक प्रचालनिक प्रक्रिया (एसओपी) (दस्तावेज़ पहचान संख्या प्रदान करें)	
21. भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण जहाँ प्रचालन करना चाहते	

हों (मानवरहित विमान प्रणाली की विशेषताओं और एसओपी के साथ अनुरूप होना चाहिए)	
22. मांगे गए अनुमोदन का विवरण (यथा विडियोग्राफी/ सर्वेक्षण आदि - एसओपी के साथ अनुरूप होना चाहिए)	
23. शुल्क और समझौता संख्या (समझौता रसीद अपलोड करें)	
24. मौजूदा यूएओपी संख्या(नवीकरण आवेदन के मामले में)	

टिप्पण: स्वीकृति के लिए सभी अपेक्षित दस्तावेज़ यथा विशिष्ट प्राधिकरण संख्या, ईटीए, यूआईएन, रिमोट पायलट प्रमाणपत्र अथवा रिमोट पायलट लाइसेंस (यथा लागू), बीसीएएस अनुमोदन और मसौदा एसओपी अपलोड किए जाएंगे। यूएओपी-1 के नवीकरण के लिए, प्ररूप यूए-9 के भाग ख और ग अथवा घ में किसी भी परिवर्तन को अपलोड किया जाएगा।

घोषणापत्र

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

प्ररूप यूए-13 (नियम 28 देखें)	
मानवरहित विमान प्रणाली प्रचालक परमिट II को जारी करने या नवीकरण के लिए आवेदन (यूएओपी-II)	
भाग-क: सामान्य	
1. प्रचालक का नाम	-
2. विशिष्ट प्राधिकरण संख्या	-
3. पता	-
4. ईमेल	-
5. फोन नं०	-
6. मानवरहित विमान प्रणाली की संख्या	-
7. रिमोट पायलटों की संख्या	-

भाग-ख: प्रत्येक मानवरहित विमान प्रणाली का विवरण	
8. मानवरहित विमान प्रणाली की संख्या	
9. मानवरहित विमान प्रणाली का मेक एंड मॉडल	
10. निर्माण क्रम संख्या	
11. यूआईएन	
12. श्रेणी और वर्ग	
13. अधिकतम साध्य गति	
14. अधिकतम साध्य ऊँचाई	
15. अधिकतम एयूडब्ल्यू	
16. डब्लूपीसी विंग, संचार मंत्रालय से प्राप्त ईटीए संख्या (अपलोड)	
17. पेलोड विवरण	
18. बीमा (अपलोड)	
भाग-ग: प्रत्येक रिमोट पायलट का विवरण	
19. रिमोट पायलट लाइसेंस होल्डर का नाम	
20. रिमोट पायलट लाइसेंस नंबर	
21. योग्यता (श्रेणी/ वर्ग/रेटिंग)	
22. अनुभव विवरण (निभाई गई भूमिकाएँ और प्रचालन)	
भाग-घ: जमा किए गए दस्तावेजों और माँगे गए अनुमोदन का विवरण	
23. प्रचालन नियम पुस्तिका (दस्तावेज पहचान संख्या प्रदान करें)	
24. बीसीएस सुरक्षा कार्यक्रम अनुमोदन उद्धरण (यदि लागू हो)	
25. खतरनाक पदार्थों को वहन करने की आज्ञा (यदि लागू हो)	
26. भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण जहाँ प्रचालन करने की मंशा हो	

(यथा अंतर्देशीय/ अंतर्राष्ट्रीय /आरवीएसएम/ एमएनपीएस इत्यादि),	
27. माँगे गए विशेष अनुमोदनों का विवरण (यथाखतरनाक पदार्थ, कम दृश्यता प्रचालन, आरवीएसएम, पीवीएन, ईडीटीओ, ईएफ़वी, अन्य कोई)	
28. शुल्क और अंतरण संख्या (कार्य-सम्पादन रसीद अपलोड करें)	
29. मौजूदा यूएओपी संख्या (नवीकरण आवेदन के मामले में)	

टिप्पण: सभी अपेक्षित दस्तावेज़ यथा विशिष्ट प्राधिकरण संख्या, ईटीए, यूआईएन, रिमोट पायलट लाइसेंस (यथा लागू), बीसीएस से सुरक्षा कार्यक्रम अनुमोदन और प्रचालन मसौदा नियमावली अपलोड की जानी चाहिए।

यूएओपी-II, फॉर्म यूए-10 के भाग ख, ग, और घ में कोई भी परिवर्तन अपलोड किया जाना चाहिए।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान :

प्ररूप यूए-14 (नियम 30 देखें)		
छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया एवं अपेक्षाएँ (वायुयान/रोटरक्राफ्ट/हाइब्रिड)		
1.	नाम	हाल ही में खींची गई फोटो
2.	पिता का नाम	
3.	जन्मतिथि	
4.	राष्ट्रीयता	
5.	ईमेल-आईडी	
6.	फोन नंबर	
7.	स्थायी पता	
8.	पत्राचार का पता	हस्ताक्षर
9.	शैक्षणिक योग्यता	

10. प्रशिक्षण संगठन				
परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम		पास करने वाला वर्ष	
X कक्षा अथवा समकक्ष				
XI कक्षा अथवा समकक्ष				
अन्य कोई				
11. मेडिकल फिटनेस				
मेडिकल केंद्र	चिकित्सीय जाँच की तारीख		वैधता तिथि	
12. मानवरहित विमान प्रणाली की श्रेणी और यूए का वर्ग				
मानवरहित विमान प्रणाली की श्रेणी		यूए का वर्ग		
13. संबंधित सरकारी एजेंसी से व्यक्ति के चरित्र और पूर्वपद के सत्यापन पर रिपोर्ट (अपलोड)				
14. आरटीआर का विवरण (क), यदि उपलब्ध हो तो				
लाइसेंस	संख्या	जारी करने की तारीख	वैधता तारीख	टिप्पणी यदि कोई हो
आरटीआर(क)				

टिप्पण - नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, मेडिकल फिटनेस और आरटीआर (क) के समर्थन में स्व-प्रमाणित दस्तावेज़ यदि उपलब्ध हो तो, अपलोड करें।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा-लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

तिथि:

स्थान :

प्ररूप यूए-15 (नियम 31 देखें)		
रिमोट पायलट लाइसेंस (वायुयान/रोटोकॉप्टर/हाइब्रिड) को जारी या नवीकरण करने हेतु आवेदन		
1	नाम	हाल में खींचा गया फोटो
2	पिता का नाम	हस्ताक्षर
3	जन्म की तारीख	
4	राष्ट्रीयता	

5	ईमेल आईडी			
6	फ़ोन संख्या			
7	स्थायी पता			
8	पत्राचार का पता			
9. शैक्षिक योग्यता				
परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष		
कक्षा X अथवा समकक्ष				
कक्षा XII अथवा समकक्ष				
अन्य कोई				
10. चिकित्सा स्वस्थता				
चिकित्सा केंद्र	चिकित्सा परीक्षा की तारीख	वैधता की तारीख		
11. मानवरहित विमान प्रणाली की श्रेणी एवं यूए का वर्ग				
मानवरहित विमान प्रणाली की श्रेणी	यूए की कक्षा			
12. नागर विमानन महानिदेशालय की परीक्षा				
प्रश्न पत्र	अनुक्रमांक	परीक्षा परिणाम की तारीख	वैधता तारीख	
13. प्रशिक्षण				
प्रशिक्षण संगठन का नाम	से तारीख	तक तारीख	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संख्या	
14. कौशल परीक्षण				
प्रशिक्षण संगठन का नाम	कौशल परीक्षण की तारीख	वैधता तारीख		
15. आरटीआर (ए) का विवरण				
लाइसेंस	संख्या	जारी करने की तारीख	वैधता तारीख	टिप्पणियां, यदि कोई हों तो
आरटीआर(ए)				
16.	क्या आप पिछले 5 वर्षों में किसी मानवरहित विमान प्रणाली दुर्घटना/घटना में शामिल रहे			हां/नहीं

	हैं।	
	यदि हां, तो की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो तो उसका विवरण दें;	
17.	यदि, कोई फ्लाइट कू अथवा रिमोट पायलट लाइसेंस धारित करते हों तो उसका विवरण दें	
	लाइसेंस का नाम एवं संख्या	जारी करने की तारीख
		वैधता तारीख
18.	शुल्क और लेन-देन संख्या (लेन-देन रसीद अपलोड करें)	
19.	नवीकरण	
	रिमोट पायलट लाइसेंस विवरण	लाइसेंस संख्या
	मानवरहित विमान प्रणाली की श्रेणी	वैधता तारीख
	यूए का वर्ग	

टिप्पण.- नाम, पता, जन्म तारीख, शैक्षिक योग्यता, चिकित्सा स्वस्थता, प्रशिक्षण, डीजीसीए परीक्षाओं, कौशल परीक्षा और आरटीआर(ए) के समर्थन में स्वप्रमाणित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं। रिमोट पायलट लाइसेंस के नवीकरण के लिए, मौजूदा रिमोट पायलट लाइसेंस की कापी, अद्यतन प्रशिक्षण अभिलेख तथा चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र अपलोड किये जाने हैं।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा-लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम तथा हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप यूए -16			
(नियम 31 देखें)			
मानवरहित वायुयान प्रणाली की श्रेणी एवं मानवरहित वायुयान वर्ग के विस्तार हेतु आवेदन			
1. रिमोट पायलट लाइसेंस का विवरण			
लाइसेंस का संख्या	श्रेणी	यूए का वर्ग	वैधता तारीख
2. मानवरहित विमान प्रणाली की श्रेणी अथवा यूए के वर्ग के विस्तार का विवरण			
श्रेणी (उपरोक्त 1 के अनुसार)			यूए का वर्ग

3. नागर विमानन महानिदेशालय की परीक्षा			
प्रश्नपत्र	अनुक्रमांक सं.	परीक्षा परिणाम की तारीख	वैधता तारीख
4. प्रशिक्षण			
प्रशिक्षण संगठन का नाम	तारीख से	तारीख तक	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संख्या
5. कौशल परीक्षण			
प्रशिक्षण संगठन का नाम	कौशल परीक्षण की तारीख	वैधता तारीख	
6.	क्या आप पिछले 5 वर्षों में किसी मानवरहित विमान प्रणाली दुर्घटना/घटना में शामिल रहे हैं।	हां/नहीं	
	यदि हां, तो की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो तो उसका विवरण दें;		
7. शुल्क एवं लेन-देन संख्या (लेन-देन रसीद अपलोड करें)			

टिप्पण.- चिकित्सा स्वस्थता, प्रशिक्षण, डीजीसीए परीक्षाओं तथा कौशल परीक्षा के संबंध में स्वप्रमाणित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा-लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम तथा हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप यूए -17 (नियम 32 देखें) रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर रेटिंग जारी व नवीकृत करने हेतु आवेदन			
1. रिमोट पायलट लाइसेंस का विवरण			
लाइसेंस संख्या	श्रेणी	यूए का वर्ग	वैधता तारीख

2. रिमोट पायलट अनुभव का विवरण			
श्रेणी (उपरोक्त 1 के समान)	यूए का वर्ग	अनुभव का विवरण	
3. नागर विमानन महानिदेशालय की परीक्षा			
प्रश्नपत्र	अनुक्रमांक सं.	परीक्षा परिणाम की तारीख	वैधता तारीख
4. प्रशिक्षण			
प्रशिक्षण संगठन का नाम	तारीख से	तारीख तक	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संख्या
5. कौशल परीक्षण			
प्रशिक्षण संगठन का नाम	कौशल परीक्षण की तारीख	वैधता तारीख	
6.	क्या आप पिछले 5 वर्षों में किसी मानवरहित विमान प्रणाली दुर्घटना/घटना में शामिल रहे हैं।		हां/नहीं
	यदि हां, तो की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो तो उसका विवरण दें;		
7. शुल्क एवं लेन-देन संख्या (लेन-देन रसीद अपलोड करें)			
8. नवीकरण			
रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर रेटिंग विवरण	संख्या	वैधता तारीख	

टिप्पण.- रिमोट पायलट लाइसेंस, चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण, डीजीसीए परीक्षाओं, कौशल परीक्षा तथा अनुभव के समर्थन में स्वप्रमाणित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं। रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर रेटिंग के नवीकरण के लिए, मौजूदा रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर रेटिंग के साथ मौजूदा रिमोट पायलट लाइसेंस की कापी, अद्यतन प्रशिक्षण अभिलेख तथा चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र अपलोड किये जाने हैं।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा-लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम तथा हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप यूए-18 (नियम 34 देखें)	
मानवरहित विमान प्रणाली प्रशिक्षण संगठन के प्राधिकरण के लिए आवेदन	
भाग क: कंपनी अथवा कारपोरेट निकाय के लिए	
1. कंपनी का नाम	
2. कंपनी का पूर्व का नाम, यदि कोई हो तो	
3. व्यावसायिक पता	
4. रजिस्ट्रीकृत पता	
5. ई मेल	
6. फोन नं.	
7. निगमीकरण का सबूत- कंपनी के निगमीकरण का प्रमाण पत्र	
8. उनके डीआईएन के साथ निदेशकों का नाम	
9. जीएसटी सं., यदि लागू हो तो	
भाग ख: न्यास अथवा सोसाइटी के लिए	
10. न्यास अथवा सोसाइटी का नाम	
11. व्यावसायिक पता	
12. रजिस्ट्रीकृत पता	
13. ई मेल	
14. फोन नं.	
15. रजिस्ट्रीकरण का सबूत- न्यास एवं सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र	
16. न्यासी एवं सदस्यों के नाम	
17. जीएसटी सं., यदि लागू हो तो	
भाग ग: केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा उनकी एजेन्सी	
18. संगठन का नाम	
19. व्यावसायिक पता	
20. रजिस्ट्रीकृत पता	
21. ई मेल	
22. फोन नं.	
23. संगठन एवं इसके पते का व्यौरा प्रदान करता हुआ विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र	
24. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम	
25. जीएसटी सं., यदि लागू हो तो	
भाग घ: सामान्य	

26. मानवरहित विमान प्रणाली की श्रेणी तथा यूए का वर्ग जिस पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा			
27. मानवरहित विमान प्रणाली का विवरण	मेक व मॉडल	यूआईएन	स्वामित्व का/पट्टे पर
28. यूए के विभिन्न वर्गों के लिए मानवरहित विमान प्रणाली अनुदेशक (कों) की संख्या			
29. प्रचालन का मुख्य आधार			
30. दस्तावेजीकरण (अपलोड): i. प्रशिक्षण एवं प्रक्रिया मैनुअल; (टीपीएम) एवं ii. मानवरहित विमान प्रणाली के लिए प्रचालन मैनुअल			
31. शुल्क एवं लेन-देन संख्या (लेन-देन रसीद अपलोड करें)			
32. प्रशिक्षण संगठन (नवीकरण के आवेदन के संबंध में) का मौजूदा प्राधिकरण संख्या			

टिप्पण.- बांछित दस्तावेज तथा संगठन के नाम, पते एवं निगमीकरण/रजिस्ट्रीकरण के समर्थन में स्वप्रमाणित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा-लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम तथा हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप यूए-19 (नियम 49 देखें)	
ड्रोन पोर्ट के प्राधिकरण अथवा लाइसेंस अथवा लाइसेंस के नवीकरण का आवेदन पत्र	(व्यक्ति के संबंध में) हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो हस्ताक्षर
भाग क: एक व्यक्ति के लिए	
1. नाम	
2. पिता का नाम	
3. लिंग	
4. राष्ट्रियता	
5. जन्म तारीख	
6. पता	
7. ई-मेल	

8. फोन नं.		
9. मतदाता की सबूत का दस्तावेज कोई एक जमा करें	पासपोर्ट संख्या	-
	आधार कार्ड संख्या	-
	पैन कार्ड संख्या	-
	मतदाता पहचान पत्र कार्ड संख्या	-
	ड्राइविंग लाइसेंस संख्या	-
10. पते के सबूत के लिए दस्तावेज कोई एक जमा करें	पासपोर्ट संख्या	
	आधार कार्ड संख्या	
	मतदाता पहचान पत्र कार्ड संख्या	
	पिछले तीन महीनों के पते को प्रदर्शित करता बिजली का बिल/पानी का बिल/लैंडलाइन टेलीफोन बिल/बैंक खाते का विवरण	
11. जीएसटी नं., यदि लागू हो तो		
भाग ख: कंपनी अथवा कारपोरेट के लिए		
12. कंपनी का नाम		
13. कंपनी का पिछला नाम, यदि कोई हो तो		
14. व्यावसायिक पता		
15. रजिस्ट्रीकृत पता		
16. ई मेल		
17. फोन नं.		
18. निगमन का सबूत कंपनी के निगमीकरण का प्रमाण पत्र		
19. डीआईएन के साथ निदेशकों के नाम		
20. जीएसटी सं., यदि लागू हो तो		
भाग ग:स्थानीय प्राधिकरण, केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा उनकी एजेन्सी के लिए		
21. संगठन का नाम		
22. व्यावसायिक पता		
23. रजिस्ट्रीकृत पता		
24. ई मेल		
25. फोन संख्या		
26. संगठन एवं इसके पते का ब्यौरा प्रदान करता हुआ विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र		
27. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम		
28. जीएसटी सं., यदि लागू हो तो		

भाग घ:सामान्य	
29. शुल्क एवं लेन-देन संख्या (लेन-देन रसीद अपलोड करें)	
30. ड्रोन पोर्ट (नवीकरण के आवेदन के संबंध में) का मौजूदा लाइसेंस संख्या	
भाग ङ दस्तावेजीकरण (अपलोड)	
31. भूमि अथवा संपत्ति का विवरण	
32. संबंधित प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र	
33. ड्रोन पोर्ट मैनुअल	

टिप्पण.- वांछित दस्तावेज तथा संगठन के नाम, पते एवं निगमीकरण/रजिस्ट्रीकरण के समर्थन में स्वप्रमाणित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा-लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम तथा हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप यूए-20 (नियम 51 देखें)	
यूटीएम सेवा प्रदाता लाइसेंस को जारी करने अथवा उसके नवीकरण हेतु आवेदन पत्र	
भाग क: कंपनी या निगमित निकाय के लिए	
1. कंपनी का नाम	
2. कंपनी का पिछला नाम, यदि कोई हो तो	
3. कंपनी का पता	
4. रजिस्ट्रीकृत पता	
5. ई-मेल	
6. फोन न.	
7. निगमीकरण का सबूत- कंपनी के निगमीकरण का प्रमाण पत्र	
8. उनके डीआईएन के साथ निदेशकों के नाम	
9. जीएसटी सं., यदि लागू हो तो	

भाग ख: न्यास अथवा सोसाइटी के लिए	
10. न्यास अथवा सोसाइटी का नाम	
11. व्यावसायिक पता	
12. रजिस्ट्रीकृत पता	
13. ई मेल	
14. फोन नं.	
15. रजिस्ट्रीकरण का सबूत न्यास अथवा सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र	
16. न्यासी एवं सदस्यों के नाम	
17. जीएसटी सं., यदि लागू हो तो	
भाग ग:केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा उनकी एजेन्सी	
18. संगठन का नाम	
19. व्यावसायिक पता	
20. रजिस्ट्रीकृत पता	
21. ई मेल	
22. फोन नं.	
23. संगठन एवं इसके पते का ब्यौरा प्रदर्शित करता हुआ विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र	
24. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम	
25. जीएसटी सं., यदि लागू हो तो	
भाग घ:सामान्य	
26. यूटीएम सेवा प्रदाता के तौर पर अनुभव	
27. दस्तावेजीकरण (अपलोड) i. यूटीएम सेवा मैनुअल ii. एसएमएस मैनुअल iii. यूटीएम कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल iv. यूटीएम अवसंरचना दस्तावेज v. नजदीकी क्षेत्र में यूटीएम प्रचालक तथा विमान परिवहन सेवा प्रदाताओं के मध्य समझौता तथा उनके मध्य सहमति प्राप्त मानक प्रचालन प्रक्रियाएं	
28. शुल्क एवं लेन-देन संख्या (लेन-देन रसीद अपलोड करें)	
29. मौजूदा लाइसेंस संख्या (आवेदन के नवीकृत किए जाने के मामले में)	

टिप्पण.- संगठन के नाम, पते एवं निगमीकरण/रजिस्ट्रीकरण के समर्थन में स्वप्रमाणित दस्तावेज व आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम तथा हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप यूए-21 (नियम 52 देखें) यूटीएम कार्मिक लाइसेंस को जारी करने या नवीकरण हेतु आवेदन				
1	नाम		अद्यतन पासपोर्ट आकार की फोटो (व्यक्ति के मामले में)	
2	पिता का नाम		हस्ताक्षर	
3	लिंग			
4	जन्म तारीख			
4	राष्ट्रीयता			
5	पता			
6	ईमेल आईडी			
7	फोन नंबर			
8. शैक्षिक योग्यता				
डिग्री	संस्थान / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	परिणाम	
9. चिकित्सा स्वस्थता				
चिकित्सा केंद्र का नाम और पता	चिकित्सा परीक्षा की तारीख	उपयुक्त/अनुपयुक्त		
10. नागर विमानन महानिदेशालय की परीक्षा				
परीक्षा का नाम	उत्तीर्णता तारीख	अनुक्रमांक	परिणाम की तारीख	वैधता की तारीख

11. प्रशिक्षण			
प्रशिक्षण संगठन का नाम	तारीख से	तारीख तक	सफल समापन पर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संख्या
12. शुल्क विवरण और संव्यवहार संदर्भ संख्या			
13. मौजूदा लाइसेंस संख्या (नवीकरण आवेदन के मामले में)			

टिप्पण:- नाम, पता, जन्मतारीख, शैक्षिक योग्यता, चिकित्सा स्वस्थता और प्रशिक्षण के समर्थन में स्व-सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाएं।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा-लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

प्ररूप यूए – 22 (नियम 53 देखें)	
यूटीएम प्रशिक्षण संगठन के प्राधिकारक के जारी करने या नवीकरण के लिए आवेदन	
भाग क: किसी कम्पनी या निगमित निकाय के लिए	
1. कम्पनी का नाम	•
2. कम्पनी का पिछला नाम, यदि कोई हो	•
3. व्यापार का पता	•
4. रजिस्ट्रीकृत पता	•
5. ईमेल	•
6. फोन नं.	•
7. निगमीकरण का प्रमाण – कम्पनी के निगमीकरण का प्रमाण पत्र	•
8. निदेशकों के नाम उनके डीआईएन सहित	•
9. जीएसटी संख्या, यदि लागू हो	•
भाग ख: न्यास या सोसायटी के लिए	
10. न्यास या सोसायटी का नाम	•

11. व्यापार का पता	•
12. रजिस्ट्रीकृत पता	•
13. ईमेल	•
14. फोन नं.	•
15. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण – न्यास या सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र	•
16. न्यासी और सदस्यों के नाम	•
17. जीएसटी संख्या, यदि लागू हो	•
भाग ग: केंद्रीय या राज्य सरकार या इनकी एजेंसी	
18. संगठन का नाम	•
19. व्यापार का पता	•
20. रजिस्ट्रीकरण पता	•
21. ईमेल	•
22. फोन नं.	•
23. विभागाध्यक्ष से प्रमाण पत्र जिसमें संगठन का ब्यौरा और इसका पता प्रदान किया गया हो	•
24. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	•
25. जीएसटी संख्या, यदि लागू हो	•
भाग घ: सामान्य	
26. यूटीएम प्रशिक्षक (प्रशिक्षकों) की संख्या	•
27. प्रचालन का मुख्य आधार	•
28. दस्तावेजन (अपलोड करें): i. प्रशिक्षण और प्रक्रिया मेनुअल (टीपीएम); और ii. मानवरहित विमान प्रणाली के लिए प्रचालनिक मेनुअल	•
29. शुल्क और संव्यवहार संख्या (संव्यवहार की रसीद अपलोड करें)	•
30. प्रशिक्षण संगठन का मौजूदा प्राधिकार संख्या (नवीकरण आवेदन के मामले में)	•

टिप्पण: संगठन के नाम, पते और निगमनीकरण/रजिस्ट्रीकरण के समर्थन में स्व-सत्यापित दस्तावेज और अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाएं।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूं कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा-लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

प्ररूप यूए – 23 (नियम 58 देखें)		
अनुसंधान एवं विकास संगठन के रूप में प्राधिकार जारी करने के लिए आवेदन		
भाग क: स्टार्टअप के लिए		
1. स्टार्टअप का नाम		•
2. व्यापार का पता		•
3. रजिस्ट्रीकृत पता		•
4. ईमेल		•
5. फोन नं.		•
6. स्टार्टअप की मान्यता का प्रमाण – (दस्तावेजी प्रमाण अपलोड करें)		•
7. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (किसी व्यक्ति के मामले में, कोई भी मतदाता का प्रमाण)		•
क) मतदाता के प्रमाण के लिए दस्तावेज (कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करें)	पासपोर्ट संख्या	•
	आधार कार्ड संख्या	•
	पैन कार्ड संख्या	•
	मतदाता मतदाता कार्ड संख्या	•
	ड्राइविंग लाइसेंस संख्या	•
ख) पते के प्रमाण का दस्तावेज (कोई एक दस्तावेज संलग्न करें)	पासपोर्ट संख्या	•
	आधार कार्ड संख्या	•
	मतदाता मतदाता कार्ड संख्या	•
	बिजली बिल/पानी का बिल/लैंडलाइन टेलीफोन बिल/बैंक खाते का विवरण जिसमें अंतिम पता दर्शाया गया हो जो तीन महीने से पुराना न हो	•
8. निगमनीकरण का प्रमाणपत्र (स्टार्टअप कम्पनी के मामले में)		•
9. जीएसटी संख्या, यदि लागू हो		•
भाग ख: कम्पनी या निगमित निकाय के लिए		

10. कम्पनी का नाम	•
11. कम्पनी का पिछला पता, यदि कोई हो	•
12. व्यापार का पता	•
13. रजिस्ट्रीकृत पता	•
14. ईमेल	•
15. फोन नं.	•
16. यूएन (प्राधिकृत मानवरहित विमान प्रणाली विनिर्माता के लिए)	•
17. निगमन का प्रमाण – कम्पनी के निगमनीकरण का प्रमाण पत्र	•
18. डी आई एन सहित निदेशकों	•
19. जीएसटी संख्या, यदि लागू हो	•
भाग ग: उच्चतर शिक्षा संस्थान	
20. संस्थान का नाम	•
21. व्यापार का पता	•
22. रजिस्ट्रीकृत पता	•
23. ईमेल	•
24. फोन नं.	•
25. किसी राष्ट्रीय तौर पर मान्यताप्राप्त प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायन का प्रमाण	•
26. विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अकादमिक क्षेत्रों में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का ब्यौरा	•
27. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम	
भाग घ: केंद्रीय या राज्य सरकार का अनुसंधान एवं विकास संगठन	
28. संगठन का नाम	
29. व्यापार का पता	
30. रजिस्ट्रीकृत पता	
31. ईमेल	
32. फोन नं.	
33. विभागाध्यक्ष से प्रमाणपत्र जिसमें संगठन का ब्यौरा, इसका पता और अनुसंधान तथा विकास संगठन के लिए प्राधिकार प्राप्त करने का इसका आशय प्रदान किया गया हो	

34. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
35. जीएसटी संख्या, यदि लागू हो	
भाग ड: सामान्य	
36. पुराना प्राधिकार संख्या (नवीकरण के अनुरोध के संबंध में)	•
37. शुल्क और संव्यवहार संख्या (संव्यवहार की रसीद अपलोड करें)	•

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा-लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

प्रपत्र यूए-24 (नियम 27 देखें) अपराध के शमन के लिए आवेदन	
1.	आवेदक का (के) नाम
2.	पता
3.	ईमेल पता
4.	फोन नं.
5.	प्राधिकरण / कार्यालय जिनके समक्ष मामला लंबित है:
6.	खंडों या नियमों का उलंघन
7.	मामले के संक्षिप्त तथ्य
8.	मामले से संबंधित कोई अन्य जानकारी
9.	अपीलकर्ता की प्रार्थना
10.	शुल्क और संव्यवहार का व्यौरा
11.	संलग्न, यदि कोई हो

सत्यापन

मैं, आवेदक, एतद्वारा घोषित करता हूँ कि जो ऊपर कहा गया है वह मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

प्रपत्र यूए-25 (नियम 73 देखें) अपीलीय अधिकारी को अपील के लिए प्ररूप		
1.	अपीलकर्ता का (के) नाम	
2.	पता	
3.	ईमेल पता	
4.	फोन नं.	
5.	आदेश संख्या, तारीख सहित, जिसके विरुद्ध अपील को प्राथमिकता दी जानी है (आदेश की प्रति संलग्न की जानी है)	
6.	नामित अधिकारी का नाम और पद जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है	
7.	नियमों का उल्लंघन जिनके लिए आदेश पारित किया गया था	
8.	आदेश का प्रभावी भाग	
9.	वह तारीख जब आवेदक द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त की गई	
10.	30 दिन की यदि सीमा अवधि के पूरे होने की तारीख	
11.	मामले के संक्षिप्त तथ्य	
12.	अपील के आधार	
13.	अपीलकर्ता की प्रार्थना	
14.	शुल्क और संव्यवहार का ब्यौरा	

सत्यापन

मैं, अपीलकर्ता, एतद्वारा घोषित करता हूँ कि जो ऊपर कहा गया है वह मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

अपीलकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

[फा. सं. एवी-AV-11012/4/2019-डीजी]

सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th March, 2021

G.S.R. 174(E).—Whereas, the draft of certain rules, were published, as required under section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 365 (E), dated the 2nd June, 2020, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 10th June, 2020;

And whereas, the objections and suggestions received in respect of the draft rules within the period specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 4, 5, sub-section (2) of section 8, sub-section (2) of section 10 and sections 10A, 10B and 12A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

PART I**PRELIMINARY**

1. Short title, commencement and application. — (1) These rules may be called the Unmanned Aircraft System Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to, —

(a) Unmanned Aircraft System (UAS) registered in India, wherever they may be; or

(b) a person owning or possessing or engaged in exporting, importing, manufacturing, trading, leasing, operating, transferring or maintaining an Unmanned Aircraft System in India; or

(c) all Unmanned Aircraft System for the time being in or over India.

(4) The provisions contained in the Aircraft Rules, 1937 shall not apply on the Unmanned Aircraft System and matters connected therewith or incidental thereto except for those provisions whose application on Unmanned Aircraft System is specifically provided in these rules.

(5) These rules shall apply to or in respect of Unmanned Aircraft System for civil aviation purposes only.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934);

(b) "Aeroplane" means a power-driven heavier than air aircraft, deriving its lift in flight chiefly from aerodynamic reactions on surfaces which remain fixed under given conditions of flight;

(c) "Airworthy" means the status of an unmanned aircraft or part or component thereof when it conforms to its approved design and is in a condition of safe operation;

(d) "Approved Unmanned Aircraft System Operation" means an operation of a compliant unmanned aircraft system by a person in accordance with these rules;

(e) "Authorised Research and Development Organisation" includes a recognized startup entity or a company or body corporate or an institution of higher education or Government Research and Development Organisation authorised for the purpose of research and development of unmanned aircraft system;

(f) "Authorised Unmanned Aircraft System Importer" means a person who is authorised to import an unmanned aircraft system or any part or a component thereof from a place outside India under these rules;

- (g) “Authorised Unmanned Aircraft System Manufacturer” means a person who is authorised to manufacture or assemble an unmanned aircraft system or any part or component thereof under these rules;
- (h) “Authorised Maintenance Centre” means a person who is authorised by the authorised unmanned aircraft system manufacturer or Importer for maintenance of unmanned aircraft system as per the provisions of the manufacturer’s maintenance manual;
- (i) “Authorised Unmanned Aircraft System Operator” means a person authorised to engage in or offering to engage in operation of an unmanned aircraft system under these rules;
- (j) “Authorised Unmanned Aircraft System Owner” means a person who is authorised to own or take on lease an unmanned aircraft system under these rules;
- (k) “Authorised Unmanned Aircraft System Trader” means a person who is authorised to trade (buy or sell or lease or take on lease) an unmanned aircraft system or a part or a component thereof under these rules;
- (l) “Autonomous Unmanned Aircraft System” means an unmanned aircraft system that does not require pilot intervention in the management of the flight;
- (m) “Autonomous Operation” means an operation during which an unmanned aircraft is operating without pilot intervention in the management of the flight;
- (n) “Beyond Visual Line-of-Sight Operation” means an operation in which the remote pilot or the observer does not use visual reference to the unmanned aircraft in the conduct of flight;
- (o) “Certificate of Conformance” means a certificate issued by the authorised manufacturer or authorised importer for each unmanned aircraft system certifying that such unmanned aircraft has been manufactured in conformity to the Certificate of Manufacture and Airworthiness;
- (p) “Certificate of Manufacture and Airworthiness” means a certificate issued by the Director General certifying that the manufacturing of the unmanned aircraft system, for specific type and class, meets the requirements specified under these rules, and is in a condition for safe operation;
- (q) “Certificate of Maintenance” means a certificate issued by an authorised maintenance centre certifying that the maintenance or repair or modification of the unmanned aircraft system has been performed as per the manual provided by the manufacturer of the unmanned aircraft system, and is in a condition for safe operation;
- (r) “Command and Control Link” means the data link between the unmanned aircraft and the remote pilot station for the purpose of managing the flight;
- (s) “Compliant Unmanned Aircraft System” means an unmanned aircraft system compliant with the requirements as laid down under these rules;
- (t) “Contracting State” means any State which is for the time being a party to the Convention on International Civil Aviation concluded at Chicago on December 7, 1944;
- (u) “Controlled Airspace” means airspace of defined dimensions within which air traffic control service is provided in accordance with the airspace classification;
- (v) “Danger Area” means an airspace of defined dimensions within which activities dangerous to the flight of unmanned aircraft exist at specified times;
- (w) “Director General” means ‘Director General of Civil Aviation’ appointed by the Government of India;
- (x) “Drone” means an unmanned aircraft;
- (y) “Drone port” means a defined area on land or water (including any buildings, installations, and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure, surface movement and associated maintenance or commercial activities of unmanned aircraft;
- (z) “Drone Swarm” means a fleet of unmanned aircraft either in communication with one another or with remote control and deployed together in order to accomplish a common objective, controlled either autonomously or by a remote control;

- (za) "Enclosed Premises" means premises enclosed permanently or temporarily from all directions, within the walls of a structure except for doors or windows or passageways, and having a ceiling or roof;
- (zb) "Geo-fencing" means restricting the movement of an unmanned aircraft within a defined virtual space for a real-world geographic location using the global positioning system or radio frequency identification to define three dimensional geographical boundaries;
- (zc) "Hybrid Unmanned Aircraft" means a heavier than air unmanned aircraft capable of vertical take-off, vertical landing, and low-speed flight, which depends principally on engine-driven lift devices or engine thrust for the lift during these flight regimes and on non-rotating airfoil(s) for lift during horizontal flight;
- (zd) "Licence" means a licence granted under these rules;
- (ze) "Maintenance" means the performance of tasks required to ensure the continuing airworthiness of an unmanned aircraft system, including any one or combination of overhaul, inspection, replacement, defect rectification and the embodiment of a modification or repair or test;
- (zf) "Model Remotely Piloted Aircraft System" means a remotely piloted aircraft system with all up weight not exceeding 25 kilogram, used for educational purpose only and flown within visual line of sight of the individual operating such remotely piloted aircraft system;
- (zg) "Payload" means any component or equipment or any other material on board the unmanned aircraft that is not required for the flight or its control;
- (zh) "Person" includes an individual or a company or a firm or an association of persons or body of individuals or a local authority or any legal entity, whether incorporated or not, Central Government or State Government or an agency thereof;
- (zi) "Prohibited Area" means the airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of India within which the flights of unmanned aircraft are not permitted, or any installation or notified port limits identified by the Central Government beyond the territorial waters of India, at any time under any circumstances;
- (zj) "Prototype Unmanned Aircraft System" means an unmanned aircraft system developed for the purpose of research and development or obtaining a certificate of manufacture and airworthiness;
- (zk) "Rating" means an authorisation entered on a remote pilot licence and forming part thereof, stating special conditions, privileges or limitations pertaining to such licence;
- (zl) "Remote Pilot" means a person charged by the operator with duties essential to the flying of a remotely piloted aircraft and who manipulates the flight controls, as appropriate, during flight time;
- (zm) "Remotely Piloted Aircraft" means an unmanned aircraft, which is piloted from a remote pilot station;
- (zn) "Remotely Piloted Aircraft System" means a remotely piloted aircraft, its associated remote pilot station(s), the required command and control links and any other components;
- (zo) "Remote Pilot Station" means the component of remotely piloted aircraft system containing the equipment used to pilot the remotely piloted aircraft;
- (zp) "Restricted Area" means the airspace of defined dimensions above the land areas or territorial waters of India within which the flight of unmanned aircraft is restricted;
- (zq) "Remotely Piloted Aircraft Observer" means a remote pilot designated by the operator who, by visual observation of the remotely piloted aircraft, assists the remote pilot in the safe conduct of the flight;
- (zr) "Rotorcraft" means a heavier than air aircraft supported in flight by the reactions of the air on one or more power driven rotors on substantially vertical axes;
- (zs) "Segregated Airspace" means the airspace of specified dimensions allocated for exclusive use to a specific user(s);
- (zt) "Training Organisation" includes any organisation or institute authorised for the purpose of imparting specific approved training under these rules;

- (zu) "Transaction Number" means a unique number generated for identifying any transaction completed through online platform;
- (zv) "Type of Unmanned Aircraft" means all unmanned aircraft of the same basic design including all modifications thereto except those modifications which result in a change in handling or flight characteristics;
- (zw) "Unmanned Aircraft" means an aircraft, which is intended to operate with no pilot on board;
- (zx) "Unmanned Aircraft System" means an unmanned aircraft and its associated elements, which are operated with no pilot on board;
- (zy) "Unmanned Aircraft Traffic Management" means a specific aspect of air traffic management which manages unmanned aircraft system operations safely, economically and efficiently through the provision of facilities and a seamless set of services in collaboration with all parties and involving airborne and ground-based functions;
- (zz) "Unmanned Aircraft System Traffic Management System" means a system that provides traffic management for unmanned aircraft system through the collaborative integration of humans, information, technology, facilities and services, supported by air, ground or space-based communications, navigation and surveillance;
- (zza) "Unique Authorisation Number" means the unique authorisation number issued to a person to act as importer or manufacturer or trader or owner or operator;
- (zzb) "Unique Identification Certificate" means a certificate issued by the Director General certifying that the unmanned aircraft is in compliance with the certificate of manufacture and airworthiness with a valid certificate of conformance and includes the unique identification number assigned to such unmanned aircraft;
- (zzc) "Unique Identification Number" means the unique identification number issued for registering unmanned aircraft in India;
- (zzd) "Unique Prototype Identification Number" means the identification number issued for the prototype unmanned aircraft developed by an authorised research and development organisation in India or authorised manufacturer or authorised importer;
- (zze) "Visual Line-of-Sight Operation" means an operation in which the remote pilot or the observer maintains direct unaided visual contact with the unmanned aircraft.

(2) The words and terms used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Aircraft Act, 1934 and the Aircraft Rules, 1937.

PART II

CATEGORISATION AND CLASSIFICATION

3. Categorisation of Unmanned Aircraft System. — (1) The unmanned aircraft system is categorised as aeroplane, rotorcraft and hybrid unmanned aircraft system.
- (2) The aeroplane, rotorcraft and hybrid unmanned aircraft system shall be further sub-categorised as under —
- (a) remotely piloted aircraft system;
 - (b) model remotely piloted aircraft system;
 - (c) autonomous unmanned aircraft system.
4. Classification of Unmanned Aircraft. — (1) The unmanned aircraft shall be classified based upon the maximum all up weight including its pay load as under —
- (i) Nano unmanned aircraft: Less than or equal to 250 gram;
 - (ii) Micro unmanned aircraft: Greater than 250 gram and less than or equal to 2 kilogram;
 - (iii) Small unmanned aircraft: Greater than 2 kilogram and less than or equal to 25 kilogram;
 - (iv) Medium unmanned aircraft: Greater than 25 kilogram and less than or equal to 150 kilogram; and
 - (v) Large unmanned aircraft: Greater than 150 kilogram.

(2) A Nano unmanned aircraft shall be classified in the next higher category, if it exceeds the following performance parameters, namely: –

- (a) maximum speed in level flight limited to 15 meters per second; or
- (b) maximum attainable height limited to 15 meters and range limited to 100 meters from the remote pilot.

—PART III

AUTHORISATION OF IMPORTER, MANUFACTURER, TRADER, OWNER OR OPERATOR

5. Eligibility Conditions for Authorisation.— (1) A person shall be eligible for grant of authorisation, if –

- (a) in case of an individual, he is, –
 - (i) a citizen of India, and
 - (ii) 18 years of age or more; or
- (b) in case of a company or a body corporate provided that, –
 - (i) it is registered and has its principal place of business within India, and
 - (ii) the Chairman and at least two-thirds of its directors are citizens of India; or
- (c) in case of a firm or an association of persons or body of individuals or a local authority or any legal entity has its principal place of business within India, whether incorporated or not, Central Government and State Government or an agency thereof.

(2) The substantial ownership and effective control shall vest in Indian nationals as specified in Schedule XI of the Aircraft Rules, 1937.

(3) The person specified in clauses (a), (b) and (c) of sub-rule (1) shall obtain security clearance as specified by the Director General.

6. Procedure for Authorisation.— (1) Any person seeking an authorisation to act as an authorised unmanned aircraft system Importer, Manufacturer, Trader, Owner or Operator, as the case may be, shall make an application to the Director General in Form UA-1 along with the fee as specified in rule 65.

(2) The applicant shall submit the following documents along with the application, —

- (a) For an individual,—
 - (i) latest passport size photograph of the applicant;
 - (ii) proof of identification and age –a self-attested copy of the Passport or Aadhar Card or PAN Card or Electoral Photo Identification Card or Driving Licence;
 - (iii) proof of residence– a self-attested copy of Passport or Aadhar Card or Voter Identification Card or electricity bill or water bill or landline telephone bill or a copy of his bank statement/ passbook not older than three months from the date of the application reflecting current address.
- (b) For a Company or body corporate—
 - (i) proof of incorporation –a self-attested copy of the certificate of Incorporation of the Company;
 - (ii) Director Identification Number (DIN) – Names of the Directors along with their DIN;
 - (iii) proof of registered address;
 - (iv) proof of business address.
- (c) For local authority, Central or State Government or agency thereof—
 - (i) Certificate of the Head of the Department providing details of the organisation, its address and its intent to acquire an unmanned aircraft;
 - (ii) Name, designation and address of authorized signatory.

(d) For any other person—

- (i) proof of registration/incorporation;
- (ii) name, designation and address of management personnel;
- (iii) proof of registered/business address.

(3) The applicant shall provide copy of GST certificate with its number, if applicable.

(4) The Director General, if considered necessary in appropriate cases, may direct the applicant to obtain security clearance of the person, including directors in case of corporate bodies or other persons in top management positions, from the concerned authorities:

Provided that no such clearance is required for Central Government and State Government or agencies thereof.

(5) The Director General after receiving the security clearance in applicable cases and on being satisfied that the person fulfills the eligibility conditions as mentioned in rule 5 may grant an authorisation to the applicant along with a unique authorisation number.

(6) An authorisation granted under sub-rule (5) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years, and may be renewed for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years.

(7) In case of a request for authorisation under sub-rule (1) or renewal under sub-rule (6), the applicant shall submit an application to the Director General in the Form UA-1 along with the fee as specified in rule 65.

(8) The Director General upon being satisfied may issue the authorisation or renew the validity of Authorisation Number.

7. New Authorisation.— (1) Any change in the credentials regarding eligibility conditions subsequent to issuance of authorisation number, shall be forthwith communicated to the Director General by such authorised person, and a new authorisation, may be issued subject to fulfillment of the eligibility conditions.

(2) In case of a request for new authorisation under sub-rule (1) the applicant shall submit an application to the Director General in the Form UA-1 along with the fee as specified in rule 65.

PART IV

MANUFACTURE, IMPORT, AIRWORTHINESS AND MAINTENANCE OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM

8. Manufacture and Import of Prototype Unmanned Aircraft System.— (1) No prototype unmanned aircraft system shall be manufactured or imported without the prior permission of the Director General.

(2) A prototype unmanned aircraft system shall not be used for any purpose except for obtaining a certificate of manufacture and airworthiness for a particular type and class of unmanned aircraft.

(3) An authorised Manufacturer or Importer may make an application to the Director General to obtain a permission for manufacture or import, as the case may be, of a prototype unmanned aircraft system in Form UA-2 along with the fee as specified in rule 65.

(4) The Director General may specify any additional technical requirement for grant of permission for manufacture or import, as the case may be, of the prototype unmanned aircraft system.

(5) The Director General upon being satisfied that the prototype conforms to the requirements specified under these rules, may permit the manufacture or import, as the case may be, of the prototype unmanned aircraft system by the applicant.

(6) Each prototype unmanned aircraft shall be assigned a unique prototype identification number.

(7) The unique prototype identification number shall be affixed on the prototype unmanned aircraft in an identifiable and visible manner.

9. Certificate of Manufacture and Airworthiness for Manufacture or Import of Unmanned Aircraft System. — (1) No unmanned aircraft system shall be operated in India unless its type and class has a valid certificate of manufacture and airworthiness issued by the Director General.

(2) The Director General may appoint testing laboratory or organisation to carry out testing of the prototype unmanned aircraft system for purposes of issue of certificate of manufacture and airworthiness in order to ascertain the compliance of the unmanned aircraft system with the manufacturing requirements and airworthiness.

(3) The appointment of testing laboratory or organisation under sub-rule (2) shall be in accordance with the manner and procedure as may be specified by the Director General.

(4) The list of testing laboratory or organisation shall be made available on the website of the Directorate General of Civil Aviation.

(5) An application to obtain a certificate of manufacture and airworthiness for a particular type and class of unmanned aircraft shall be made by an authorised manufacturer or importer, as the case may be, to the Director General in Form UA-3 along with the fee as specified in rule 65.

(6) The applicant may make a choice of the testing laboratories or organisations by giving an order of preference.

(7) On receipt of the application, the Director General may allot a testing laboratory or an organisation to the applicant.

(8) An unmanned aircraft shall be equipped with the following equipments, namely:—

- (a) Global Navigation Satellite System (GNSS) receiver(s) for horizontal and vertical position fixing;
- (b) Autonomous Flight Termination System or Return To Home (RTH) option;
- (c) Geo-fencing capability;
- (d) Flashing anti-collision strobe lights;
- (e) Flight controller;
- (f) Flight data logging capability;
- (g) No Permission – No Takeoff (NPNT) compliant;
- (h) Secondary Surveillance Radar (SSR) transponder (Mode ‘C’ or ‘S’) or ADS-B OUT equipment (if intended to operate beyond 400 feet/120 m AGL);
- (i) Reliable Command and Control Link;
- (j) Real-time tracking system;
- (k) Barometric equipment with capability for remote sub-scale setting;
- (l) Detect and Avoid (if intended to operate beyond 400 feet/120 m AGL);
- (m) Manufacturer Serial Number;
- (n) Fire resistant identification plate for engraving the UIN;
- (o) Two-way communication system (if intended to operate beyond 400 feet/120 m AGL); and
- (p) 360 degrees collision avoidance system.

(9) The No Permission – No Takeoff (NPNT) Hardware and Firmware shall be tamper proof.

(10) The equipment's specified in clauses (d), (f), (g), (h), (j), (k), (l), (o) and (p) are not mandatory with respect to Nano unmanned aircraft.

(11) The equipment specified in clauses (h), (l) and (o) are not mandatory with respect to Micro unmanned aircraft.

(12) The Small, Medium and Large unmanned aircraft shall be equipped with an emergency recovery system to ensure protection from damage and public injury in any failure conditions.

(13) Each certificate of manufacture and airworthiness shall require an Equipment Type Approval for operating in de-licensed frequency band(s) and regular frequency assignment or wireless operating licence, as the case may be, for operating in licensed frequency band(s) from the Wireless Planning and Coordination Wing of the Ministry of Communications, as per the procedure defined by that Wing.

(14) The unmanned aircraft shall comply with technical requirements and processes as may be specified by the Director General for grant of certificate of manufacture and airworthiness.

(15) The applicant shall produce the prototype unmanned aircraft system along with design documents to the testing laboratory or organisation allotted under sub-rule (7) in order to demonstrate that the unmanned aircraft system is in compliance with the design aspects and other manufacturing and airworthy requirements, as may be applicable for specific type and class of unmanned aircraft.

(16) The testing laboratory or organisation shall not disclose, the documents submitted under sub-rule (15), to any person other than the Director General, unless the manufacturer or importer, as the case may be, has given a written consent for the same.

(17) The testing laboratory or organisation shall submit the test report and its recommendations to the Director General.

(18) The Director General upon being satisfied, based on the test report, may issue a certificate of manufacture and airworthiness for the specific type and class of unmanned aircraft system for manufacture or import, as the case may be, to the authorised manufacturer or importer.

10. Import of Unmanned Aircraft System.— (1) No unmanned aircraft system shall be imported to India unless a certificate of manufacture and airworthiness of the specific type and class of unmanned aircraft system is obtained by the authorised Importer.

(2) No person other than an authorised importer shall import an unmanned aircraft system or parts or components thereof in India.

(3) Any part or component of unmanned aircraft system shall not be imported except with prior approval of the Director General.

(4) The Director General may notify such parts or components which may be imported by an authorised importer.

(5) The authorised Importer shall make an application to the Director General in Form UA-6, UA-7 or UA-8, as the case may be, for import clearance of unmanned aircraft system or parts or components thereof.

(6) The applicant shall abide by the import regulations notified by the Directorate General of Foreign Trade.

(7) The Director General on being satisfied may grant import clearance and recommend to the Directorate General of Foreign Trade.

(8) An authorised importer shall obtain a unique prototype unmanned aircraft system identification number and certificate of manufacture and airworthiness for a prototype unmanned aircraft system imported under these rules.

(9) The Directorate General of Foreign Trade may grant an import licence for import of unmanned aircraft system or parts or components thereof.

11. Manufacture of Unmanned Aircraft System.— No person other than an 'Authorised Unmanned Aircraft System Manufacturer' shall manufacture an unmanned aircraft system or part or component thereof in India.

12. Oversight on Authorised Manufacturer.— An authorised unmanned aircraft system manufacturer shall comply with the requirements as specified by the Director General and such entity shall be subject to inspection and safety oversight by the Director General.

13. Certificate of Conformance by Authorised Manufacturer or Importer.— (1) Based on the certificate of manufacture and airworthiness of a particular type and class of unmanned aircraft system, an authorised manufacturer or importer can manufacture or import one or more unmanned aircraft system of same type and class of unmanned aircraft system.

(2) The authorised manufacturer or importer shall ensure that each such unmanned aircraft system manufactured or imported, conforms to the certificate of manufacture and airworthiness.

(3) The authorised manufacturer or importer, upon being satisfied that an unmanned aircraft system manufactured conforms to the certificate of manufacture and airworthiness, shall issue a certificate of conformance in the format as specified in Form UA-4.

14. Maintenance of Unmanned Aircraft System.— (1) No unmanned aircraft system shall be operated in India unless it is maintained in accordance with the provisions of this rule.

(2) It shall be mandatory for every authorised manufacturer or importer of unmanned aircraft system to be operated in India to supply a maintenance manual containing the maintenance requirements and procedures, and to provide necessary training for the maintenance personnel authorised to undertake such maintenance.

(3) The maintenance manual shall be part of the documents pertaining to the unmanned aircraft system, to be provided as part of the mandatory sale documents to any authorised trader, owner or operator.

(4) The authorised unmanned aircraft system manufacturer or the importer, as the case may be, shall also establish its authorised maintenance centres in India with adequately trained personnel for maintenance of unmanned aircraft system as per the provisions of the manufacturer's maintenance manual.

(5) The manufacturer or the importer of the unmanned aircraft system shall publish the information regarding the authorised maintenance centres.

(6) The authorised unmanned aircraft system manufacturer or the importer shall inform in writing to the Director General about the authorised maintenance centres established under sub-rule (4) and the centres shall be subject to safety oversight of the Director General.

(7) The mandatory record of maintenance at the authorised maintenance centres, and scope of safety oversight of the authorised maintenance centres shall be in a manner and procedure as specified by the Director General.

(8) The authorised maintenance centres, upon being satisfied that all maintenance or repair or modification of unmanned aircraft system, as laid down by the manufacturer are complied with, and is in a condition for safe operation shall issue a certificate of maintenance in the format as specified in Form UA-5.

(9) The authorised owner or operator shall ensure that an unmanned aircraft system is not operated without a certificate of maintenance issued after each maintenance or repair or modification.

(10) The authorised owner or operator shall ensure that an unmanned aircraft system is maintained as per its Maintenance Manual and a record of such maintenance shall be kept as specified by the Director General.

(11) No unmanned aircraft system or any component thereof shall be operated after it has completed its life span as specified by the manufacturer.

15. Test Flights. — (1) The test flights of unmanned aircraft may be carried out for the following purposes, namely: —

- (a) Obtaining Certificate of Manufacture and Airworthiness; or
- (b) Issue of Certificate of Conformance; or
- (c) Issue of Certificate of Maintenance; or
- (d) Research and Development.

(2) The test flights may be conducted in the following places, namely:—

- (a) premises of the testing laboratories appointed by the Director General; or
- (b) premises of the authorised manufacturer of the unmanned aircraft; or
- (c) premises of the authorised maintenance centre of the unmanned aircraft; or
- (d) premises of the authorised Research and Development organisation; or
- (e) designated tests sites notified by the Central Government.

(3) The test flights shall be carried out under the direct supervision of an appropriately licenced remote pilot.

- (4) The test flights within the premises as mentioned in sub-rule (2) shall be restricted up to a height of 15 meters in uncontrolled airspace and at least 50 meters away from uninvolved personnel.
- (5) The test flights in the designated test sites shall require prior clearance from local authority, and mandatory Air Traffic Control clearance and Air Defense Clearance from the nearest Air Traffic Control Unit prior to each test flight.
- (6) All necessary precautions for the safety and security of the unmanned aircraft system, establishment, and associated personnel shall be ensured.
- (7) Any other condition for the conduct of test flights may be specified by the Director General.
16. Export of Unmanned Aircraft System from India.— No rules under this Part except rule 10 and 15 shall be applicable to the unmanned aircraft System or part or component thereof manufactured for the sole purpose of export.

PART V

IDENTIFICATION AND TRANSFER OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM

17. General.— No unmanned aircraft system shall be used or operated or transferred to any other person in India unless it is registered with the Director General and it has a certificate of conformance issued either by an authorised importer or manufacturer.
18. Registration of Unmanned Aircraft.— (1) An authorised unmanned aircraft System Importer or Manufacturer shall make an application to the Director General in Form UA-9 along with the fee as specified in rule 65.
- (2) The Director General on being satisfied that the unmanned aircraft is in compliance with the certificate of manufacture and airworthiness and has a valid certificate of conformance may grant a unique identification certificate to each such unmanned aircraft and shall assign a Unique Identification Number to each unmanned aircraft.
- (3) The Unique Identification Certificate issued for an unmanned aircraft shall include its Unique Identification Number, category, class, model number, manufacturer's name with serial number, year of manufacture, and date of registration.
19. Identification of Unmanned Aircraft.— (1) The Unique Identification Number shall be affixed on the unmanned aircraft in an identifiable and visible manner.
- (2) The unmanned aircraft except the Nano aircraft shall be equipped with an electronic identification based on its Unique Identification Number.
20. Trading of Unmanned Aircraft System.— (1) No person other than an authorised unmanned aircraft system importer or manufacturer or trader shall engage in buying or selling or leasing of an unmanned aircraft system or a part or a component thereof in India.
- (2) No person shall engage in buying or selling or leasing or possessing an unmanned aircraft system which is not a registered unmanned aircraft system.
21. Unmanned Aircraft System Owner.— No person other than an authorised unmanned aircraft system owner shall own an unmanned aircraft system in India.
22. Selling of Imported or Manufactured Unmanned Aircraft System in India.— An authorised unmanned aircraft system importer or manufacturer shall not sell an unmanned aircraft system to any person except to an 'Authorised Unmanned Aircraft System Trader' or an 'Authorised Unmanned Aircraft System Owner' in India.
23. Leasing of Unmanned Aircraft System in India.— (1) An authorised unmanned aircraft system importer or manufacturer or trader shall not lease an unmanned aircraft system in India to any person except to an 'Authorised Unmanned Aircraft System Trader' or an 'Authorised Unmanned Aircraft System Owner' or an 'Authorised Unmanned Aircraft System Operator' in India.
- (2) An authorised unmanned aircraft system owner may lease an unmanned aircraft system to an authorised unmanned aircraft system operator.

24. Transfer of Unmanned Aircraft System.— (1) An authorised importer, manufacturer, trader, owner or operator, as the case may be, shall make an application to the Director General in Form UA-10 along with the fee as specified in rule 65 for transfer of unmanned aircraft system to any other authorised person.

(2) No unmanned aircraft system shall be transferred in any other manner unless the transaction between the authorised importer, manufacturer, trader, owner or operator, as the case may be, has been approved by the Director General.

(3) The Director General on being satisfied may approve the transfer of unmanned aircraft system and take on record about change in ownership.

(4) Each transaction of transfer of unmanned aircraft system shall result into linkage of unique identification number with the unique authorisation number of the transferee.

(5) The unique authorisation number of transferor linked to unique identification number of unmanned aircraft system shall be delinked and the unique identification number of unmanned aircraft system shall be linked to the unique authorisation number of transferee.

(6) In case of intimation about damage or loss of unmanned aircraft system, the Director General on being satisfied may deregister the unique identification number and take on record such deregistration of unique identification number.

(7) A transaction receipt showing the transfer of unmanned aircraft system or intimation taken on record or deregistration of unique identification number shall be issued to the person.

25. Loss or Damage to Unmanned Aircraft System.— (1) The registered owner of the unmanned aircraft system shall forthwith intimate to the Director General in such manner and procedure as may be specified by the Director General in case of –

(a) the unmanned aircraft system is damaged beyond repair; or

(b) the loss of unmanned aircraft system.

(2) Any unmanned aircraft having been allocated a unique identification number may be deregistered at any time by the Director General on his satisfaction that the unmanned aircraft is destroyed; permanently withdrawn from use; missing and non-traceable or the owner has transferred legal custody and control of the unmanned aircraft system to a person outside India.

26. Process for Acceptance of Existing Imported or Manufactured Unmanned Aircraft System.— (1) An unmanned aircraft system which is non-compliant and imported to India or manufactured in India on or before the date as may be specified by Central Government, may be accepted by the Director General.

(2) The owner possessing a non-compliant unmanned aircraft system shall obtain a unique authorisation number in Form UA-1.

(3) Such authorised owner possessing a non-compliant unmanned aircraft system shall submit an application in Form UA-11 along with the fee specified in rule 65.

(4) No existing imported or manufactured unmanned aircraft system shall be accepted by Director General until such unmanned aircraft system has been issued with a valid Drone Acknowledgement Number (DAN) and Owner Acknowledgement Number (OAN).

(5) Such authorised owner may approach an authorised unmanned aircraft system manufacturer to equip its unmanned aircraft system with the equipment requirements applicable for the specific category and class of unmanned aircraft system. Compliance to No Permission - No Take-off (NPNT) requirement shall be mandatory for all existing imported unmanned aircraft system except Nano prior to their operation.

(6) The compliance demonstration shall be carried out at any testing laboratories or organisations appointed by the Director General for this purpose.

(7) Any modification (hardware/software) required to be carried out on existing imported/ manufactured unmanned aircraft system to make it compliant shall be carried out at authorised maintenance centres.

(8) The Director General on being satisfied may issue the acceptance.

(9) Such person shall make an application for registration of unmanned aircraft to the Director General in Form UA-9 along with the fee as specified in rule 65.

PART VI**OPERATION OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM**

27. Role and Responsibility of Authorised Unmanned Aircraft System Operator.— (1) An authorised unmanned aircraft system operator shall be responsible for performing the following functions, but not limited to, for safe operation of unmanned aircraft system:-

- (a) provide all essential instructions and guidance for use by its operations personnel for conduct of unmanned aircraft operations;
- (b) ensure that the operations personnel are familiar with the laws, regulations and procedures, pertinent to the performance of their duties, prescribed for the areas to be traversed, the aerodromes to be used and the air navigation facilities relating thereto;
- (c) exercise operational control;
- (d) ensure that the unmanned aircraft are operated only by licenced pilots with requisite training and qualifications;
- (e) ensure that unmanned aircraft are flown only in permissible geographical areas or permissible enclosed premises;
- (f) ensure maintenance of unmanned aircraft system to keep them airworthy and in safe condition for operation;
- (g) ensure that any radio apparatus forming a part of the unmanned aircraft system is operated only by the holder of a valid licence for the operation of such radio apparatus;
- (h) ensure the privacy of a person and its property during operation;
- (i) maintain all prescribed manuals and records; and
- (j) bear the liability, if any, on account of any damage occurred to any person or property.

(2) The 'Authorised Unmanned Aircraft System Operator' shall undertake operations only in accordance with the conditions imposed by the Director General in the permit.

28. Unmanned Aircraft System Operator Permit.— (1) No person shall operate an unmanned aircraft system except a Nano unmanned aircraft in India, without a permit issued by the Director General.

(2) An authorised unmanned aircraft system operator seeking an unmanned aircraft system operator permit shall make an application to Director General in Form UA-12 (UAS Operator Permit-I) or Form UA-13 (UAS Operator Permit-II), as the case may be, along with the fee as specified in rule 65.

(3) An operation of Micro or Small unmanned aircraft, limited to visual line of sight without any carriage of goods for delivery requires an UAS Operator Permit-I and any operation other than above requires UAS Operator Permit-II.

(4) The Director General may issue model Standard Operating Procedure containing minimum requirements for UAS Operator Permit-I as a guidance to the applicants.

(5) An applicant for UAS Operator Permit-I (UAOP-I) shall fulfil the following conditions, namely:-

- (i) Operations shall be limited only to Micro or Small unmanned aircraft.
- (ii) The UAS operations shall be conducted in accordance with the provisions of the Standard Operating Procedure prepared by the authorised UAS operator and accepted by the Director General.
- (iii) The UAS operations shall be carried out only by the holder of a Remote Pilot Licence of appropriate class and category.
- (iv) The UAS operations shall be limited to visual line of sight.
- (v) The UAS operations for carriage of goods for any delivery shall not be permissible.
- (vi) The UAS operations shall not carry any Dangerous Goods.

- (6) An applicant for UAS Operator Permit-II (UAOP-II) shall fulfil the following conditions, namely:-
- (i) The UAS operations shall be conducted in accordance with the Operations Manual prepared by the authorised UAS operator and approved by the Director General.
 - (ii) The UAS Operations shall be carried out only by the holder of a Remote Pilot Licence of appropriate class and category.
 - (iii) The UAS operations shall not be carried out without prior clearance from Air Traffic and Air Defence Control.
 - (iv) Operators shall implement a Safety Management System (SMS) as standard practice for ensuring safe operation.
 - (v) Carriage of Goods shall be permissible as per the approved Operations Manual.
 - (vi) The carriage of Dangerous Goods by UA is permissible subject to compliance of The Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003.
- (7) The Director General upon being satisfied with the fulfillment of the requirements prescribed may grant an Unmanned Aircraft System Operator Permit I (UAOP-I) or Unmanned Aircraft System Operator Permit II (UAOP-II), as the case may be, to the applicant.
- (8) The permit granted under sub-rule (7) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding ten years, and may be renewed for a period not exceeding ten years at a time.
- (9) For renewal of validity of Unmanned Aircraft System Operator Permit, a person shall make an application in Form UA-12 or UA-13, as the case may be, along with the fee as specified in rule 65.
- (10) The Central Government may exempt any Ministry/Department of Central Government or State Government or agency thereof from requirements of operator permit in the interest of security of India or in national interest.
- (11) The Unmanned Aircraft System Operator Permit shall be non-transferrable.
- (12) Unmanned Aircraft System Operator Permit holder shall obtain prior approval of the Director General in case so desired, for any variations in the Standard Operating Procedure or the Operations Manual, as the case may be.
- (13) The continued validity of the Unmanned Aircraft System Operator Permit shall be subject to compliance of such conditions as may be stipulated by the Director General in the Permit.
- (14) The Unmanned Aircraft System Operator Permit holder shall not operate in an area without due intimation to the land owner or property owner or drone port owner for takeoff and landing of Unmanned Aircraft.
- (15) The Unmanned Aircraft System Operator Permit holder shall comply with the Aviation Security regulations issued by Bureau of Civil Aviation Security.
- (16) The Unmanned Aircraft System Operator shall ensure protection of any data gathered during the operation by suitable procedures and appropriate applications and hardware in place to securely store or dispose of such data.
- (17) The Unmanned Aircraft System Operator shall ensure that the data gathered during operation is not shared with any third party without the prior permission of the person to whom the data pertains.
- (18) The Unmanned Aircraft System Operator Permit holder shall comply with any other local or state regulatory requirements.
29. Flying Restrictions.— (1) No Micro unmanned aircraft shall fly beyond a height of 60 meter above ground level or a maximum speed of 25 meter per second.
- (2) No Small unmanned aircraft shall fly beyond a height of 120 meter above ground level or a maximum speed of 25 meter per second.
- (3) Medium or Large unmanned aircraft shall fly in accordance with the conditions specified in the Unmanned Aircraft System Operator Permit issued by the Director General.
- (4) No unmanned aircraft shall fly in prohibited areas.

- (5) No unmanned aircraft shall fly in a restricted area unless specifically permitted by the Director General.
- (6) No unmanned aircraft, except Nano unmanned aircraft, shall be flown by a person who is not a licenced remote pilot.
- (7) No Unmanned Aircraft belonging to small or medium or large class shall be permitted to fly in enclosed premises.
30. Student Remote Pilot Licence. — (1) An individual seeking a student remote pilot licence (Aeroplane/Rotorcraft/Hybrid) shall make an application in Form UA-14 to an authorised training organisation along with the fee as specified in rule 65.
- (2) The Director General may authorise any training organisation for issuance of Student Remote Pilot Licence.
- (3) The individual shall not be less than eighteen years of age.
- (4) The individual shall have passed class X or its equivalent examination from a recognised Board.
- (5) The individual shall pass a medical examination in the manner and procedure as specified by the Director General.
- (6) To enroll a person for undergoing the Remote Pilot training, the training organisation shall obtain a report of verification of character and antecedents of the trainee from the concerned government agency. Such verification report shall be submitted to the Director General at the time of submission of the application for issue of the licence.
- (7) The individual shall pass an oral examination as per the syllabus specified by the Director General.
- (8) The student remote pilot licence shall be granted by such authorised training organisation on being satisfied with the requirements.
- (9) The student remote pilot licence shall be granted for the specific category of unmanned aircraft system and specific class of unmanned aircraft.
- (10) No student remote pilot licence is required to operate a Nano unmanned aircraft.
- (11) The individual shall be in possession of student remote pilot licence before commencing any flying training for the purpose of obtaining remote pilot licence.
- (12) The individual shall be in possession of a valid Radio operators certificate of proficiency and license endorsed for Aeromobile service issued or recognised by the central government under the Indian Wireless Telegraphy Rules, 1954 before commencing flying training on Medium and Large class of unmanned aircraft and for flying in and around airport or in controlled air space in case of Micro and Small class of unmanned aircraft.
- (13) A student remote pilot licence granted under sub-rule (9) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for the period specified therein, subject to a maximum period of five years and may be renewed for the period specified therein, subject to a maximum period of two years.
- (14) For renewal of validity of student remote pilot licence, an individual shall make an application to an authorised training organisation in Form UA-14 along with the fee as specified in rule 65.
- (15) The training organisation shall submit information of such licences granted or renewed to the Directorate General of Civil Aviation in the manner as specified by the Director General.
31. Remote Pilot Licence.— (1) An individual seeking a remote pilot licence (Aeroplane/Rotorcraft/Hybrid) shall make an application to the Director General in Form UA-15 along with the fee as specified in rule 65.
- (2) The individual shall not be less than eighteen years of age.
- (3) The individual shall have passed class X or its equivalent examination from a recognised Board.
- (4) The individual shall submit a certificate of medical fitness in the specified form by undergoing a medical examination in the manner as specified by Director General.

- (5) The individual shall submit a certificate of training and a skill test report appropriate to the category of unmanned aircraft system and class of unmanned aircraft from an authorised training organisation in accordance with the syllabus specified by the Director General.
- (6) The training shall be carried out under the supervision of a Remote Pilot Instructor and the skill test shall be conducted by examiner, approved by the Director General.
- (7) The individual shall pass an examination as per the syllabus specified and conducted by the Director General appropriate to the category of unmanned aircraft system and class of unmanned aircraft.
- (8) The individual shall submit a valid Radio operators certificate of proficiency and licence endorsed for aeromobile service issued or recognised by the central government under the Indian Wireless Telegraphy Rules, 1954 in case of medium and large unmanned aircraft.
- (9) No individual having age more than sixty-five years shall exercise the privileges of remote pilot licence for commercial activities.
- (10) The remote pilot licence shall be granted for the specific category of unmanned aircraft system and specific class of unmanned aircraft.
- (11) The Director General upon being satisfied may grant or renew the Remote Pilot Licence (Aeroplane/Rotorcraft/Hybrid).
- (12) The licence granted by Director General shall be for specific operation of Micro or Small or Medium or Large unmanned aircraft.
- (13) No remote pilot licence is required to operate a Nano unmanned aircraft;
- (14) The applicant may be granted a remote pilot licence for operation of one or more category and class of unmanned aircraft provided he fulfils the eligibility conditions for such category and class of unmanned aircraft.
- (15) A remote pilot licence granted under sub-rule (11) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years and may be renewed for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years.
- (16) For renewal of validity of remote pilot licence, an individual shall make an application to the Director General in Form UA-15 along with the fee as specified in rule 65.
- (17) For extension of unmanned aircraft rating to include an additional category or class of unmanned aircraft, an applicant shall make an application in Form UA-16 and fulfill such requirements as specified by Director General.
- (18) The Director General upon being satisfied with the fulfillment of the requirements may grant extension of unmanned aircraft rating, to the applicant.
32. Remote Pilot Instructor Rating.— (1) An individual seeking a Remote Pilot Instructor Rating or renewal of the Remote Pilot Instructor Rating under these rules shall submit an application to the Director General in Form UA-17 along with the fee as specified in rule 65.
- (2) The individual shall be the holder of a valid remote pilot licence of the appropriate category and class.
- (3) The individual shall not be less than twenty years of age.
- (4) The individual shall pass an examination as per the syllabus specified and conducted by the Director General.
- (5) The individual shall submit a certificate of training and a skill test report for the Remote Pilot Instructor course appropriate to the category of unmanned aircraft system and class of unmanned aircraft from an authorised training organisation.
- (6) The Director General upon being satisfied may issue or renew the Remote Pilot Instructor Rating.
- (7) The Remote Pilot Instructor Rating shall remain valid for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years and may be renewed for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years.
33. Remote Pilot Training.— (1) An applicant for remote pilot licence shall be required to undergo the training as specified by the Director General.

(2) The requirement of training for operation of different category and class of unmanned aircraft shall be as specified by the Director General.

(3) The training mentioned in sub-rule (2) shall be carried out under the supervision of a licenced Remote Pilot Instructor.

34. Authorised Training Organisation.— (1) A person seeking an authorisation to run a Training Organisation shall make an application to the Director General in Form UA-18 along with the fee as specified in rule 65.

(2) The applicant shall also submit the Training & Procedure Manual (TPM) and Operational Manual for unmanned aircraft system along with the application.

(3) Any additional documents required to be submitted by the applicant shall be specified by the Director General

(4) The Director General upon being satisfied may issue the authorisation for the training organisation.

(5) No organisation other than an authorised training organisation shall impart the training to an individual for qualifying as Remote Pilot.

(6) The training organisation shall be subject to inspection and oversight by the Director General.

(7) An authorisation granted under sub-rule (4) by the Director General shall, unless suspended or cancelled, remain valid for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years, and may be renewed for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years.

(8) For renewal of validity of authorisation, a person shall make an application to the Director General in Form UA-18 along with the fee as specified in rule 65.

35. Permission for Flight.— (1) No authorised unmanned aircraft system operator shall operate an unmanned aircraft, except Nano class, unless prior permission for a flight or series of flights in a day has been obtained through online platform in the manner and procedure as specified by the Director General.

(2) During the flight, the operator or the remote pilot or the remotely piloted aircraft observer shall ensure that the flight of the unmanned aircraft remains within the defined area for which permission was obtained.

(3) The authorised unmanned aircraft system operator shall furnish a log of each flight through online platform in the manner and procedure as specified by the Director General.

36. Operation of Drone Swarm.— (1) No unmanned aircraft, other than a Nano or Micro unmanned aircraft, shall operate as part of a drone swarm;

(2) A drone swarm shall operate only in accordance with the conditions and in the approved areas as specified by the Director General.

37. No Operation Area.— (1) No person shall fly or assist in flying an unmanned aircraft over any of the areas specified in sub-rule (2), save, in accordance with the conditions specified by the Central Government.

(2) No unmanned aircraft shall be flown:

- (a) Within a distance of 5 kilometer from the perimeter of international airports at Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru and Hyderabad;
- (b) Within a distance of 3 kilometer from the perimeter of any civil, private or defence airports, other than those mentioned in clause(a);
- (c) Above the Obstacle Limitation Surfaces (OLS) or Procedures for Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS-OPS) surfaces, whichever is lower, of an operational aerodrome, specified in the rules related to Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations;
- (d) Within permanent or temporary Prohibited, Restricted and Danger Areas including Temporary Reserved Area (TRA), and Temporary Segregated Area (TSA), as notified in Aeronautical Information Publication (AIP) by Airport Authority of India;
- (e) Within 25 kilometer from international border which includes Line of Control (LoC), Line of Actual Control (LAC) and Actual Ground Position Line (AGPL);

- (f) Beyond 500 meter (horizontal) into sea from coast line provided the location of ground station is on fixed platform over land;
- (g) Directorate General of Lighthouses and Lightships (DGLL) lighthouses and coastal radar stations of the Indian Coast Guard;
- (h) Within 3 kilometer from perimeter of military installations/ facilities/ where military activities/ exercises are being carried out unless clearance is obtained from the local military installation/facility;
- (i) Within 5 kilometer radius from Vijay Chowk in Delhi. However, this is subject to any additional conditions/ restrictions imposed by local law enforcement agencies/ authorities in view of the security.
- (j) Within 2 kilometer from perimeter of strategic locations/ vital installations notified by Ministry of Home Affairs unless clearance is obtained from Ministry of Home Affairs;
- (k) Within 3 kilometer from radius of State Secretariat Complex in State Capitals;
- (l) From a mobile platform such as a moving vehicle, ship or all types of sea going vessels including makeshift floating platforms or aircraft; and
- (m) Over eco-sensitive zones around National Parks and Wildlife Sanctuaries notified by Ministry of Environment, Forests and Climate Change without prior permission.

(3) The Central Government or any other person authorised in this behalf by the Central Government may permit flying of unmanned aircraft in select restricted areas on request made by any Government Authority or any airport Operator in exceptional circumstances.

38. Imagery or Data capturing by Unmanned Aircraft in flight.— (1) No person shall capture, or cause or permit to be captured, from an unmanned aircraft in flight, any imagery or data of the areas specified in sub- rule (2) of rule 37 or areas prohibited by any authority:

Provided that the Central Government or any other person authorised by the Central Government may, by order in writing direct that such restrictions shall not apply to capture of imagery or data in the No Operation Area as specified in sub-rule (2) of rule 37.

(2) An imagery or data may be captured by an unmanned aircraft after ensuring the privacy of a person, its property, and is permissible under law.

39. Carriage of Payload.— No unmanned aircraft shall carry any payload, save, as specified in the Certificate of Manufacture and Airworthiness issued by the Director General.

40. Prohibition on Carriage of Arms, Ammunition, Explosives, Military Stores, etc.— (1) No person shall carry or cause or permit to be carried in any unmanned aircraft to, from, within or over India, any arms, ammunitions, munitions of war, implements of war, explosives and military stores, except with the written permission of the Central Government or any other person authorised by the Central Government and subject to the terms and conditions of such permission.

(2) Where any officer, authorised in this behalf by the Central Government, has reasons to believe that the provisions of this rule are, or are about to be, contravened, he may cause such goods to be placed under his custody pending detailed examination of the nature of the goods or pending a decision regarding the action, if any, to be taken in the matter.

(3) No person shall use any unmanned aircraft system for waging or attempting to wage war or abetting of war against the Government of India.

41. Dropping of Articles.— No person shall drop or project or cause or permit to be dropped or projected from an unmanned aircraft system in motion anything except in a manner and procedure as specified by the Director General.

42. Carriage of Dangerous Goods.— No person shall carry dangerous goods on unmanned aircraft unless such operation is in compliance with the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003.

43. Rules of Air.— Every person engaged in operation of unmanned aircraft system shall comply with the rules of the Air issued by Director General, as may be applicable to that person.

44. **Dangerous Flying.**— (1) No person shall fly any unmanned aircraft system in such circumstances as, by reason of proximity to persons or property or aircraft or for other reason, to cause unnecessary danger to any person or property or aircraft.

(2) No person shall operate an unmanned aircraft system in a physical or mental condition or under the influence of intoxicating and psychoactive substances that may interfere with safe operation of the unmanned aircraft system.

45. **General Safety.**— No person shall, act in any manner, either directly or indirectly, so as to –

(a) endanger safety and security of an unmanned aircraft system or unmanned aircraft system operation;

(b) cause interference with the normal functioning of any facility established for the safe and secure operation of unmanned aircraft system;

(c) obstruct or distract the functioning of any person entrusted with any responsibility towards ensuring safe and secure operation of unmanned aircraft system;

(d) endanger safety and security of any person or property; and

(e) endanger safety and security of a manned aircraft or its operation:

Provided that any action taken by any law enforcement agency or by an authority referred to in sub-rule (1) of rule 64 to prevent any unlawful activity through unmanned aircraft system operation shall not amount to violation of this rule.

PART VII

DRONE PORT

46. **General.**— Drone ports may be established in permitted areas, if warranted by the nature and requirements of unmanned aircraft system operation.

47. **Licensing or Authorisation of Drone ports.**— No drone port shall be used for the arrival, departure, surface movement and associated maintenance or commercial activities of compliant unmanned aircraft unless –

(a) it has been licenced for the purpose, and save in accordance with the conditions specified in such licence; or

(b) it has been authorised by the Director General, subject to such conditions as he may deem fit to impose, for the purpose of temporary operation of unmanned aircraft.

48. **Eligibility Conditions for Drone port Licence.**— An authorisation or licence for a drone port may be granted to a person subject to fulfilment of following eligibility conditions –

(a) an individual who is–

(i) a citizen of India, and

(ii) 18 years of age or more; or

(b) a company or a body corporate provided that –

(i) it is registered and has its principal place of business within India, and

(ii) it meets the equity holding criteria specified by the Central Government from time to time;
or

(c) a firm or an association of persons or body of individuals or a local authority or any legal entity having its principal place of business within India, whether incorporated or not, Central and State Government or an agency thereof:

Provided that for clauses (b) and (c) of this rule, the Central Government may specify any other condition:

Provided further that the person(s) specified in clauses (a), (b) and (c) of this rule have obtained the security clearance as specified by the Director General.

49. Grant of Authorisation or Licence for Drone port.— (1) Any person fulfilling the conditions mentioned under rule 48 shall make an application to the Director General in Form UA-19 along with the fee as specified in rule 65.

(2) The applicant shall submit the Land or Property details, No Objection Certificate from concerned Authorities, and Drone port Manual along with the application.

(3) The Director General may specify any additional requirements for grant of authorisation or licence or renewal of licence of the drone port.

(4) The Director General upon being satisfied with the conditions provided under rule 48, suitability of area appropriate to category and class of unmanned aircraft intended to be operated, may grant an authorisation or licence to the applicant as the case may be.

(5) The Director General, if considered necessary in appropriate cases, may direct the applicant to obtain security clearance of the person, including directors in case of corporate bodies or other persons in top management positions, from the concerned authorities:

Provided that no such clearance is required for Central Government and State Government or agencies thereof.

(6) A drone port authorisation for temporary operations of unmanned aircraft system may be granted for any period not exceeding three months.

(7) The licence granted under sub-rule (4) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding ten years, and may be renewed for a period not exceeding ten years at a time.

(8) For renewal of validity of drone port licence, a person shall make an application to the Director General in Form UA-19 along with the fee as specified in rule 65.

PART VIII

UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM TRAFFIC MANAGEMENT (UTM)

50. General.— The Central government or any organisation specifically authorised by the Central Government may establish an Unmanned Aircraft System Traffic Management in Indian airspace or any part thereof, if warranted by the nature and requirements of unmanned aircraft system operation.

51. Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM).— (1) An organisation seeking a licence for provision of unmanned aircraft system traffic management service shall make an application to the Director General in Form UA-20 along with the fee as specified in rule 65.

(2) Unmanned aircraft system traffic management shall provide UTM service to participating unmanned and manned aircraft for enabling unmanned aircraft system operations for safety and security of all participating aircraft.

(3) Unmanned aircraft system traffic management service shall be provided primarily in designated Airspace Up to the height specified by the Central Government or any organisation specifically authorised by the Central Government.

(4) Unmanned aircraft system traffic management shall provide for registration, pre-flight, in-flight and post-flight services to manned and unmanned aircraft operators as specified by the Director General.

(5) The unmanned aircraft system traffic management service provider shall submit an UTM system service manual including the following requirements, namely:-

(a) Operational requirements

(i) Classification of UTM Airspace;

(ii) Rules of the Air;

(iii) Separation Standards between unmanned aircraft and between manned and unmanned aircraft;

(iv) Minimum Terrain and Obstacle Clearance Standards for UA;

(v) Minimum Clearance Standards for Safety of Uninvolved Persons;

(vi) Minimum Clearance Standards for Noise Abatement;

- (vii) Standard Operating Procedures; and
- (viii) Emergency Handling Procedures.
- (b) Technical specifications and standards
 - (i) UTM Architecture;
 - (ii) Technical Standards for Communication;
 - (iii) Communication Protocols for UAS-UAS, UAS-UTM, UTM-UTM, UTM-SDSP, UAS-SDSP, UTM-ANSP, UTM-ATM and UTM-CUAS communication; and
 - (iv) Minimum set of data elements to be exchanged.
- (c) Any additional operational requirement, technical specification and standard as specified by the Director General.

(6) The applicant shall submit the unmanned aircraft system traffic management service manual, safety management system manual, training manual for unmanned aircraft system traffic management personnel, unmanned aircraft system traffic management infrastructure document, and agreement of operations between unmanned aircraft system traffic management operator and air traffic service provider in close vicinity and agreed Standard Operating Procedure between them, along with the application.

(7) The Director General, if considered necessary in appropriate cases, may direct the applicant to obtain security clearance of the person, including directors in case of corporate bodies or other persons in top management positions, from the concerned authorities:

Provided that no such clearance is required for Central Government and State Government or agencies thereof.

(8) The Director General may specify any additional condition for licence or renewal of licence of Unmanned Aircraft System Traffic Management Service Provider.

(9) The Director General after receiving the security clearance and upon being satisfied may grant the unmanned aircraft system traffic management service provider licence subject to such conditions as annexed to the service provider licence.

(10) The licence granted under sub-rule (9) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years in each case, and may be renewed for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years.

(11) The for unmanned aircraft system traffic management service provider licence shall be non-transferrable.

(12) The continued validity of the unmanned aircraft system traffic management service provider licence shall be subject to compliance of such conditions as may be stipulated by the Director General in the Licence.

(13) The unmanned aircraft system traffic management service provider, if required, shall share unmanned aircraft system traffic management data with law enforcement agencies and also train their personnel on monitoring and data handling on the infrastructure created by the unmanned aircraft system traffic management service provider licence holder.

(14) For renewal of validity of unmanned aircraft system traffic management service provider licence, an organisation shall make an application to the Director General in Form UA-20 along with the fee as specified in rule 65.

52. Licence for Unmanned Aircraft System Traffic Management Personnel.— (1) No person shall engage himself in the provision of unmanned aircraft system traffic management (UTM) services in the Indian airspace or in any airspace outside the Indian territory for which India has, in pursuance of any international arrangement, undertaken to provide unmanned aircraft system traffic management services, unless he holds a valid unmanned aircraft system traffic management personnel licence.

(2) An individual seeking an unmanned aircraft system traffic management personnel licence for providing of unmanned aircraft system traffic management service shall make an application to the Director General in Form UA-21 along with the fee as specified in rule 65.

- (3) The individual shall not be less than twenty one years of age as on date of application.
- (4) The individual shall have Bachelors' degree in Science with Physics or Mathematics or with Electronics and Telecommunication or with Computer Science or an equivalent degree from a recognised university.
- (5) The individual shall submit a certificate of medical fitness in the prescribed form by undergoing a medical examination in the manner as specified by Director General.
- (6) The individual shall submit a certificate of training appropriate to the unmanned aircraft system traffic management service from an authorised training organisation.
- (7) The individual shall pass an examination as per the syllabus specified and conducted by the Director General.
- (8) The additional qualifications, training and experience requirements, if any, for granting licence to unmanned aircraft system traffic management personnel for providing any specific unmanned aircraft system traffic management service shall be as specified by the Director General.
- (9) The Director General upon being satisfied with the fulfillment of the requirements may grant an unmanned aircraft system traffic management personnel licence to the applicant for providing of unmanned aircraft system traffic management service.
- (10) The licence granted under sub-rule (9) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years in each case, and may be renewed for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years.
- (11) For renewal of validity of unmanned aircraft system traffic management personnel licence, an individual shall make an application to the Director General in Form UA-21 along with the fee as specified in rule 65.
- (12) No individual having age more than sixty years shall exercise the privileges of UTM Personnel Licence.
53. **Authorised Unmanned Aircraft System Traffic Management Training Organisation.**— (1) Any unmanned aircraft system traffic management (UTM) personnel shall be required to undergo the training from an authorised unmanned aircraft system traffic management training organisation.
- (2) No organisation other than an authorised unmanned aircraft system traffic management training organisation shall impart the training for unmanned aircraft system traffic management personnel.
- (3) An organisation seeking an authorisation to impart training for unmanned aircraft system traffic management personnel shall make an application to the Director General in Form UA-22 along with the fee as specified in rule 65.
- (4) The applicant shall submit the Training and Procedures Manual and Operational Manual for unmanned aircraft system traffic management training organisation along with the application.
- (5) The Director General upon being satisfied with the fulfillment of the requirements may grant an authorisation to the applicant to impart training for unmanned aircraft system traffic management personnel.
- (6) Such training organisation shall be subject to inspection and oversight by the Director General.
- (7) The authorisation granted under sub-rule (5) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years in each case, and may be renewed for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years.
- (8) For renewal of validity of authorisation of training organisation, an organisation shall make an application to the Director General in Form UA-22 along with the fee as specified in rule 65.
54. **Unmanned Aircraft System Traffic Management Personnel Training.**— (1) Any person desiring to become licenced unmanned aircraft system traffic management (UTM) personnel shall undergo requisite training from an authorised unmanned aircraft system traffic management training organisation.
- (2) The training on the unmanned aircraft system traffic management shall comprise of theoretical and practical courses.
- (3) The syllabus of theoretical and practical courses may be specified by the Director General.

55. Unmanned Aircraft System Traffic Management Service Provider.— (1) The unmanned aircraft system traffic management (UTM) service provider shall provide its services in the areas as specified by the Central Government.

(2) The unmanned aircraft system traffic management service provider shall operate in such specified areas as mentioned in sub-rule (1).

(3) The unmanned aircraft system traffic management service provider shall comply with the applicable regulatory provisions as provided in Airport Authority of India Act, 1994 (55 of 1994).

PART IX

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM

56. General.— (1) No person other than authorised Research and Development organisation shall carryout Research and Development of Unmanned Aircraft System.

(2) Any unmanned aircraft system developed as prototype for research and development purpose shall not be used for any commercial applications.

57. Eligible Research and Development Organisations for Authorisation.— The following are eligible for Research and Development of Unmanned Aircraft System, namely:—

- (a) Startups recognised by Department for Promotion of Industry and Internal Trade;
- (b) An authorised unmanned aircraft system manufacturer;
- (c) any accredited recognised institution of higher education located within the country offering academic courses in Science and Technology; and
- (d) The Research and Development Organisations of the Central Government and State Government.

58. Grant of Authorisation.— (1) The eligible Research and Development Organisation under rule 57 shall make an application to the Director General for obtaining an authorisation for Research and Development of Unmanned Aircraft System in Form UA-23 along with the fee as specified in rule 65.

(2) The Director General upon being satisfied, may grant an authorisation for Research and Development of Unmanned Aircraft System.

(3) The authorisation granted under sub-rule (2) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding ten years, and may be renewed for a period not exceeding ten years at a time.

(4) For renewal of validity of such authorisation, the authorised Research and Development organisation shall make an application to the Director General in Form UA-23 along with the fee as specified in rule 65.

59. Unique Prototype Identification Number.— (1) An authorised Research and Development Organisation shall make an application to the Director General for obtaining a Unique Prototype Identification Number for an unmanned aircraft system in Form UA-2 along with the fee as specified in rule 65.

(2) The Director General may specify any additional technical requirement for grant of Unique Prototype Identification Number.

(3) The Director General upon being satisfied, may grant a Unique Prototype Identification Number for each prototype unmanned aircraft system developed by the authorised Research and Development Organisation.

(4) The Unique Prototype Identification Number shall be affixed on the Prototype for Research and Development purpose in an identifiable and visible manner.

60. Prototype Unmanned Aircraft System Test Flight.— The authorised Research and Development Organisation shall carry out test flights as per the provisions of rule 15.

61. Rules Applicable to Research and Development Unmanned Aircraft System.— (1) The rules contained in Parts III, IV (except rules 10 and 15), V, VI (except rules 37 to 45), VII, VIII, and X shall not be applicable to the research and development of unmanned aircraft system.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the provisions related to transfer of unmanned aircraft system under these rules shall not apply on prototype unmanned aircraft system.

PART X**MODEL REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEM AND AUTONOMOUS UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM**

62. Rules Applicable to Model Remotely Piloted Aircraft System.— (1) The model remotely piloted aircraft shall be flown within the premises of the owner or designated tests sites notified by the Central Government; provided that the flights within the premises shall be restricted Up to a height of 15 meter in uncontrolled airspace.

(2) The model remotely piloted aircraft shall be flown at least 50 meters away from uninvolved personnel under the direct supervision of an appropriately certified remote pilot.

(3) The rules contained in Parts III, IV, V, VI (except rules 37 to 45), VII, VIII, IX, X (except this rule), and XI (except rules 64, 68, 69, 70, 73 to 78) shall not be applicable to the model remotely piloted aircraft system.

(4) No model remotely piloted aircraft shall be flown as part of a Drone Swarm.

(5) A model remotely piloted aircraft system shall operate in accordance with the additional conditions, if any, as specified by the Director General.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), the provisions related to transfer of unmanned aircraft system under these rules shall not apply on model remotely piloted aircraft system.

63. Rules Applicable to Autonomous Unmanned Aircraft System.— The operations of autonomous unmanned aircraft system shall take place only in accordance with the specific conditions and in the defined areas as specified by the Director General.

PART XI**GENERAL**

64. Prevention of Flights in Contravention of the Rules.— (1) An authority authorised under section 8 of the Act, to detain unmanned aircraft system may do so by the issue of a written direction to the pilot or other persons for the time being in-charge of the unmanned aircraft system to be detained, or by taking or causing to be taken such other steps as may, in the opinion of such authority, be necessary to make the prevention or detention effective, including the use of force, denial of access by any person to the unmanned aircraft system, removal of parts and components of the unmanned aircraft system, or otherwise interfering with the unmanned aircraft system.

(2) Officers of the Central Government or a State Government, including officers of armed forces, shall assist such authority in preventing or detaining the unmanned aircraft system and taking such steps as may, in the opinion of that authority, be necessary to make the detention effective.

(3) Any person acting in contravention of any direction given under this rule shall, without prejudice to any other penalty he may incur, be deemed to have acted in contravention of these rules.

65. Fee.— (1) The fee for authorisation, certification, Unique Identification Number, licence, permit, or any other services under these rules shall be payable as specified under:

I. Fee for various services.—

(A) (a) The fee for authorisation of:

(i) Importer or manufacturer or trader shall be rupees ten thousand only;

(ii) Operator with fleet of 10 or more unmanned aircraft system shall be rupees five thousand only;

(iii) Operator with fleet of less than 10 unmanned aircraft system shall be rupees one thousand only;

(iv) Owner shall be rupees five hundred only; and

(v) Training organisation shall be rupees five thousand only.

(vi) Research and Development Organisation shall be rupees one thousand only.

(b) The fee for renewal or any variation of such authorisation, as the case may be, shall be fifty per cent of the fee payable under sub-clause (a) of clause (A).

(B) The fee for issue of Unique Prototype Identification Number for any class of unmanned aircraft developed by authorised Research and Development Organisation shall be rupees five hundred only.

(C) The fee for issue of Certificate of Manufacture and Airworthiness for a particular unmanned aircraft system model shall be:

(a)	Class of Unmanned Aircraft	Fee (in rupees)
(i)	Nano	1,000/-
(ii)	Micro	2,000/-
(iii)	Small	4,000/-
(iv)	Medium	6,000/-
(v)	Large	10,000/-

(b) The fee for any variation in the certificates shall be fifty per cent of the fee payable under sub-clause (a) of clause (C).

(D) The fee for acceptance of existing imported or manufactured unmanned aircraft system shall be:

	Class of Unmanned Aircraft	Fee (in rupees)
(i)	Nano	500/-
(ii)	Micro	1,000/-
(iii)	Small	1,500/-
(iv)	Medium	2,000/-
(v)	Large	2,500/-

(E) The fee for issue of Unique Identification Number (UIN) for each unmanned aircraft shall be:

- (i) Rupees one hundred only for Nano unmanned aircraft;
- (ii) Rupees two hundred only for Micro unmanned aircraft;
- (iii) Rupees five hundred only for Small unmanned aircraft;
- (iv) Rupees one thousand only for Medium unmanned aircraft;
- (v) Rupees two thousand only for large unmanned aircraft.

(F) The fee for grant of permit to operate an unmanned aircraft system shall be:

(a)	Class of Unmanned Aircraft	Fee (in rupees)
(i)	Micro	2,000/-
(ii)	Small	5,000/-
(iii)	Medium	10,000/-
(iv)	Large	25,000/-

(b) The fee for renewal or any variation in the permit shall be fifty per cent of the fee payable under sub-clause (a) of clause (F).

(G) (a) The fee for grant of Student Remote Pilot Licence shall be:

	Class of Unmanned Aircraft	Fee (in rupees)
(i)	Small	5,000/-
(ii)	Medium	1,000/-
(iii)	Large	1,500/-

(b) The fee for renewal or any variation in the student remote pilot licence shall be fifty per cent of the fee payable under sub-clause (a) of clause (G).

(c) The fee for grant of Remote Pilot Licence shall be:

Class of Unmanned Aircraft	Fee (in rupees)
(i) Small	1,000/-
(ii) Medium	2,000/-
(iii) Large	3,000/-

(d) The fee for renewal or any variation in the remote pilot licence shall be fifty per cent of the fee payable under sub-clause (c) of clause (G).

(H) (a) The fee for grant of an Unmanned Aircraft System Traffic Management Service Provider Licence fee shall be rupees ten thousand only;

(b) The fee for renewal or any variation in the licence shall be fifty per cent of the fee payable under sub-clause (a) of clause (H).

(I) (a) The fee for grant of an Unmanned Aircraft System Traffic Management Personnel Licence inclusive of any examination fee shall be rupees one thousand only;

(b) The fee for renewal or any variation in the licence shall be fifty per cent of the fee payable under sub-clause (a) of clause (I).

(J) The fee for transfer of unmanned aircraft system shall be rupees five hundred only for each Nano and Micro unmanned aircraft and rupees one thousand only for other unmanned aircraft.

(K) The fee for any examination for each paper shall be rupees one thousand five hundred only.

II. Fee for establishment of drone port.— (a) The fee for the grant of:

(i) Licence of drone port shall be rupees ten thousand only;

(ii) Authorisation of drone port shall be rupees two thousand only.

(b) The fee for renewal of licence shall be fifty per cent of the fee chargeable under sub-clause (i) of clause (a).

III. The fee for filing an appeal under these rules shall be rupees one thousand only.

IV. The fee for an application of compounding of offences shall be rupees one thousand only.

(2) The fee shall be paid in the manner and procedure as specified by the Director General.

66. Insurance of Unmanned Aircraft System.— (1) No unmanned aircraft except the Nano class shall be operated in India unless there is in existence a valid third party insurance policy to cover the liability that may arise on account of a mishap involving such unmanned aircraft and causing death or bodily injury to any person or damage to property.

(2) The compensation payable in such cases shall be assessed in such a manner and procedure as specified in the Motor Vehicles Act, 1988 and rules made there under.

67. Rules Applicable to Large Unmanned Aircraft greater than 300 kilogram.— (1) Notwithstanding anything contained in these rules, in case of Large unmanned aircraft with maximum all-up-weight more than 300 kilogram, the provisions related to airworthiness, radio telegraph apparatus and approval of organisations as provided under Parts VI, VII, and XIIC of the Aircraft Rules, 1937 shall apply.

(2) The Director General may specify additional requirements, if any, for such Large unmanned aircraft.

68. Adoption of the Convention and Annexes.— The Director General may lay down standards and procedures not inconsistent with the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) and the rules made thereunder to carry out the Convention relating to International Civil Aviation signed at Chicago on the 7th day of December, 1944 and any Annex thereto.

69. Directions by Director General.— (1) The Director General may, through publication of Civil Aviation Requirements or Circulars, issue special directions not inconsistent with the Aircraft Act, 1934 or these rules, relating to the import, export, manufacture, sale, use, operation, possession, maintenance or navigation of unmanned aircraft system flying in or over India or of unmanned aircraft system registered in India.

(2) The Civil Aviation Requirements under sub-rule (1) shall be issued after placing the draft on the website of the Directorate General of Civil Aviation for a period of thirty days for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby:

Provided that the Director General may, in the public interest and by order in writing, dispense with the requirements of inviting such objections and suggestions or reduce the period for submitting such objections and suggestions.

(3) Every direction issued under sub-rule (1) shall be complied with by the person or persons to whom such direction is issued.

(4) The Director General may, by general or special order in writing, exempt any unmanned aircraft system or class of unmanned aircraft system or any person or class of persons from the operation of the directions given in the publication entitled 'Civil Aviation Requirements' under this rule, either wholly or partially, subject to such conditions, if any, as may be specified in such order.

70. General Power to Exempt.— The Central Government may, by general or special order in writing, exempt any unmanned aircraft system or class of unmanned aircraft system or any person or class of persons from the operation of these rules, either wholly or partially, subject to such conditions, if any, as may be specified in that order.

71. Restrictions on Licence, Certificate, Authorisation, Permit or Approval.— (1) The Director General may impose restrictions, on any licence, certificate, authorisation, permit or approval, under any of the following conditions, namely:—

- (a) in the event of non-compliance with any condition imposed on the said licence, certificate, authorisation, permit or approval;
- (b) if any safety concern that emerged during an inspection has remained unresolved beyond the period specified by the Director General.

(2) The Director General may, during an inspection, direct any person not to exercise privileges of his licence, certificate, authorisation, permit or approval if he is satisfied that there is sufficient ground for so doing and such direction shall be reduced in writing on the next working day along with reasons thereof, and further action for allowing the person concerned to exercise his privileges shall be taken thereafter in accordance with the process specified by the Director General in this behalf.

(3) The restrictions under sub-rules (1) and (2) may be imposed up to three months, which may be further extended up to six months, for reasons to be recorded in writing.

72. Cancellation or Suspension of Licence, Certificate, Authorisation, Permit or Approval.— Where the Director General or any officer authorised by the Central Government, after giving an opportunity of being heard, is satisfied that any person has contravened or failed to comply with the provisions of these rules or any direction issued under rule 69, he may, for reasons to be recorded in writing, cancel or suspend any licence, certificate, authorisation, permit or approval granted or issued under these rules.

73. Inspection.— (1) The Director General, or any officer of the Directorate General of Civil Aviation authorised by him by general or special order in writing, may inspect the unmanned aircraft system, unmanned aircraft system manufacturing, storage, maintenance facility, unmanned aircraft system traffic management facility or any other related facility for the purpose of granting an authorisation, a certificate or a licence under these rules or the provisions of the Aircraft Act, 1934,

(2) The officers authorised under sub-rule (1) may carry out surveillance including inspection of such facilities to ensure continued compliance with these rules.

(3) The Director General may authorise any person, subject to such conditions as may be specified by the Director General, for the purpose of examining and testing any person or unmanned aircraft system or inspecting any document or facility for the purposes of sub-rule (1) and such authorisation shall specify the functions of the person so authorised to perform on behalf of the Director General and the said authorisation shall be for a period as specified therein.

(4) The officers and persons so authorised under sub-rules (1) and (3) respectively shall be issued credentials and shall perform the functions as assigned to them in the authorisation.

(5) The Director General or the officers and persons referred to in sub-rule (1) and sub-rule (3) respectively –

(a) shall have unrestricted and unlimited access to unmanned aircraft system and related facilities, as applicable, for the performance of their functions and duties under these rules;

(b) may inspect and search any unmanned aircraft system or any related facility, including unmanned aircraft system traffic management services, and also interact with any personnel, and inspect documents and records for the purpose of securing compliance with these rules and the provisions of the Aircraft Act, 1934.

(6) The importer, manufacturer, trader, owner or operator of unmanned aircraft system, or a training organisation or an unmanned aircraft system traffic management facility shall allow the Director General, or the person referred to in sub-rules (1) and (3), access to any part of the unmanned aircraft system, organisation or air navigation facility including equipment, records, documents and personnel, and shall co-operate in conducting the activities referred in sub-rules (1) and (3).

74. **Fraudulent Use of Documents.**— No person shall fraudulently lend any licence, certificate, authorisation, permit or approval granted or issued under these rules or allow it to be used by any other person.

75. **Obstruction of Authorised Persons.**— No person shall voluntarily obstruct any person acting in the exercise of his powers or in the discharge of his duties under these rules.

76. **Offences, Classification and Compounding.**— (1) Any person who has contravenes or fails to comply with any of the rule mentioned in Table below shall be punishable by the Court in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 10 of the Act.

(2) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the violation of, sub-rule (6) of rule 29, sub-rule (1) of rule 37, sub-rule (1) or (3) of rule 40, rule 41, rule 44, sub-rule (6) of rule 73, rule 74 and rule 75 shall be cognizable.

(3) It shall be a defence to any proceedings for contravention of or failure to comply with these rules if it is established that such contravention or failure is caused or has happened due to factors or circumstances beyond the control of such person or without the knowledge or fault of such person. Such circumstances may include stress of weather, bonafide error or any other unavoidable cause or circumstances.

(4) Amount for compounding of offences punishable under sections 10, 11, 11A and 12 of the Act shall be as mentioned in Table below:

Table

S.No.	Offence and relevant section	Amount for compounding of offence committed by individual (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Offence punishable under sub-section (1) of section 10 (except the offences related to unauthorised carriage of arms and explosives)	Five Lakh
2.	Offence punishable under section 11	Five Lakh
3.	Offence punishable under section 11A	Five Lakh
4.	Penalty for abetment of offences or attempted offences under section 12	The amount for compounding in respect of abetment or attempt to commit an offence shall be the same as is provided in this Table and in the Table of sub-rule (5), as the case may be, for commission of the same offence.

(5) The offences punishable under the rules specified in columns (2) and (3) of the table below may be compounded, either before or after the institution of any prosecution, by the Director General or any officer or authority specially empowered in this behalf by the Central Government under sub-section (4) of section 4A of the Act by receiving the amount specified in column (4) of the Table.

Table

S. No.	Nature of offence	Relevant rule(s)	Amount for compounding of offence committed by individual (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Unauthorised import of an unmanned aircraft system or part or component thereof	sub-rule (2) of rule 10	Twenty-Five Thousand
2.	Unauthorised manufacturing of an unmanned aircraft system or part or component thereof	rule 11	Fifty Thousand
3.	Unauthorised buying or selling or leasing of an unmanned aircraft system or a part or a component thereof.	sub-rule (1) of rule 20	Twenty Five Thousand
4.	Flying of unmanned aircraft by a person who is not a licenced remote pilot.	sub-rule (6) of rule 29	Twenty-Five Thousand
5.	Contravention of sub-rule (5) of rule 34	sub-rule (5) of rule 34	Fifty Thousand
6.	Flying an unmanned aircraft over no-operation area	sub-rule (1) of rule 37	Fifty Thousand
7.	Contravention of any of the provision of rule 38	rule 38	Ten Thousand
8.	Contravention of sub-rule (1) or (3) of rule 40	sub-rule (1) or (3) of rule 40	Non Compoundable
9.	Contravention of rule 41	rule 41	Twenty-Five Thousand
10.	Non-compliance of rule 42	rule 42	Five Lakh
11.	Contravention any of the provision of rule 44	rule 44	Fifty Thousand
12.	Contravention of rule 45	rule 45	Twenty-Five Thousand
13.	Contravention of sub-rule (2) of rule 53	sub-rule (2) of rule 53	Fifty Thousand
14.	Non-compliance of directions issued under sub-rule (1) of rule 64	sub-rule (1) of rule 64	Twenty-Five Thousand
15.	Operating a unmanned aircraft without a valid third party insurance	sub-rule (1) of rule 66	Ten Thousand
16.	Contravention of sub-rule (6) of rule -73	sub-rule (6) of rule 73	Twenty-Five Thousand
17.	Fraudulently lend any licence, certificate, authorisation, permit or approval or allow it to be used by any other person.	rule 74	Fifty Thousand
18.	Obstructing any person acting in the exercise of his powers or in discharge of his duties under the provisions of Unmanned Aircraft System Rules, 2021.	rule 75	Twenty-Five Thousand

(6) Amount of compounding of offences involving Nano, Micro, Small, Medium and Large unmanned aircraft in any manner, shall be levied at the rate of 100, 200, 300, 400 and 500 per cent. respectively of the amount specified for individual.

(7) In case multiple classes of unmanned aircraft are involved in an offence, then, the amount of compounding shall be levied at the rate applicable for the highest class of unmanned aircraft.

(8) Where such offence has been committed by the organisation, the amount for compounding of offences shall be as mentioned in Table below:

Table

S.No.	Contravention committed by	Number of employees	Amount for compounding of offences (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Organisation (Small)	Up to fifty employees	200 per cent. of the amount as provided for such offences by the individual in sub-rules (4), (5) and (6), as applicable.
2.	Organisation (Medium)	More than fifty and up to two hundred employees	300 per cent. of the amount as provided for such offences by the individual in sub-rules (4), (5) and (6), as applicable.
3.	Organisation (Large)	More than two hundred employees	400 per cent. of the amount as provided for such offences by the individual in sub-rules (4), (5) and (6), as applicable.

- Note. —
1. “Individual” means a natural person.
 2. “Organisation” means a body corporate or an association of individuals whether registered or not.
 3. “Employee” means an individual appointed, employed or engaged by the organisation whether contractual, temporary or permanent.

(9) Procedure for compounding of offences. —

(a) An application for compounding of an offence shall be made in Form UA-24 by the applicant to the Director General or any officer or authority specially empowered in this behalf by the Central Government under sub-section (4) of section 4A of the Act along with the fee as specified in rule 65.

(b) On receipt of the application for compounding, the Director General or any officer or authority specially empowered in this behalf shall examine the application based on the documents submitted and submissions made in the application.

(c) The Director General or any officer or authority specially empowered in this behalf by the Central Government under sub-section (4) of section 4A of the Act may call for any information, record or any other document from the applicant, if the same is considered relevant to the compounding proceedings. In case the contravener fails to submit the additional information or documents called for within the specified period, the application for compounding shall be liable for rejection.

(d) The Director General or any officer or authority specially empowered in this behalf by the Central Government under sub-section (4) of section 4A of the Act may issue notice to all the concerned of the case to participate in the proceedings.

(e) During the compounding proceedings, the Director General or any officer or authority specially empowered in this behalf by the Central Government under sub-section (4) of section 4A of the Act, after giving due opportunity to the applicant of being heard, shall determine the amount for compounding of offence in accordance with the sub-rules (4), (5), (6), (7) and (8). If this decision

of the Director General or any officer or authority in respect the amount so determined is not acceptable to the applicant then the applicant shall submit the same in writing to the Director General or such officer or authority who has determined the amount, within three days or within such reasonable period as determined by the Director General or such officer or authority.

(f) After such submission by the applicant or non-submission within such reasonable time, the compounding proceedings shall cease and the matter shall be proceeded further in accordance with the provisions of the Act and these rules. the Director General or any officer or authority specially empowered in this behalf by the Central Government under sub-section (4) of section 4A of the Act shall prepare a report in respect of these proceedings.

(g) The amount for which the contravention is compounded shall be paid in the manner as specified by the Director-General within the 30 days of the date of decision of compounding.

(h) In case a person fails to pay the amount for compounding within 30 days of the order, he shall be deemed to have never made an application for compounding of any offence under the provisions of the Act and these rules.

(i) The process of compounding of offences shall be completed expeditiously and not later than 60 days from the date of application. This period of 60 days may be extended up to 90 days by the Director General or any officer or authority specially empowered in this behalf by the Central Government under sub-section (4) of section 4A of the Act in exceptional circumstances.

77. Penalties.— (1) Any person who contravenes or fails to comply with any of the rule mentioned in Table below shall be liable for imposition of penalty by the designated officers, to the extent as laid down in column (4) of the said Table and in accordance with the provisions of section 10A of the Act.

Table

S. No.	Nature of contravention	Relevant Rule(s)	Amount of penalty for contravention by individual (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Non-providing information regarding change in the credentials of eligibility conditions subsequent to issuance of authorisation number.	rule 7	Twenty-Five Thousand
2.	Non-compliance of sub-rule (1) or (2) of rule 8	sub-rule (1) or (2) of rule 8	One Lakh
3.	Contravention of sub-rule (1) or (16) of rule 9	sub-rule (1) or (16) of rule 9	One Lakh
4.	Contravention of sub-rule (1) or (3) of rule 10	sub-rule (1) or (3) of rule 10	One Lakh
5.	Non-compliance with the provisions of rule 12	rule 12	One Lakh
6.	Non-compliance of the sub-rule (2) of rule 13	sub-rule (2) of rule 13	One Lakh
7.	Non-compliance any of the provision of rule 14	rule 14	Fifty Thousand
8.	Non-compliance any of the provision of rule 15	rule 15	Ten Thousand
9.	Contravention of rule 17	rule 17	Fifty Thousand
10.	Non-compliance any of the provision of rule 19	rule 19	Fifty Thousand
11.	Buying or selling or leasing or possessing of an unregistered unmanned aircraft system.	sub-rule (2) rule 20	Fifty Thousand
12.	Unauthorised owner of an unmanned aircraft system	rule 21	Ten Thousand
13.	Contravention of rule 22	rule 22	Fifty Thousand

14.	Contravention of sub-rule (1) of rule 23	sub-rule (1) of rule 23	Fifty Thousand
15.	Transfer of unmanned aircraft system to unauthorised person	sub-rule (1) and (2) of rule 24	Twenty-Five Thousand
16.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 25	sub-rule (1) of rule 25	Ten Thousand
17.	Non-compliance any of the provision of rule 27	rule 27	One Lakh
18.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 28	sub-rule (1) of rule 28	Fifty Thousand
19.	Contravention any of the provision {except sub-rule (6)} of rule 29	sub-rules (1) to (5) or (7) of rule 29	Fifty Thousand
20.	Non-compliance any of the provision of rule 35	rule 35	Twenty-Five Thousand
21.	Contravention any of the provision of rule 36	rule 36	Fifty Thousand
22.	Non-compliance of rule 39	rule 39	Fifty Thousand
23.	Non-compliance of rule 43	rule 43	Ten Thousand
24.	Establishment of Drone port in non-permitted areas.	rule 46	One Lakh
25.	Contravention of rule 47	rule 47	One Lakh
26.	Contravention of sub-rule (1) of rule 52	sub-rule (1) of rule 52	Twenty-Five Thousand
27.	Contravention any of the provision of rule 55	rule 55	One Lakh
28.	Contravention of any of the provision rule 56	rule 56	One Lakh
29.	Non-compliance of rule 60	rule 60	Ten Thousand
30.	Non-compliance of sub-rule (1), (2), (4) or (5) of rule 62	sub-rule (1), (2), (4) or (5) of rule 62	Ten Thousand
31.	Non-compliance of rule 63	rule 63	Fifty Thousand
32.	Failure to comply with any direction issued under sub-rule (3) of rule 69	sub-rule 3 of rule 69	Twenty-Five Thousand
33.	Non-compliance of restrictions imposed under rule 71	rule 71	Fifty Thousand

(2) Amount of penalty involving Nano, Micro, Small, Medium and Large unmanned aircraft in any manner, shall be levied at the rate of 100, 200, 300, 400 and 500 per cent. respectively of the amount specified for individual.

(3) In case multiple classes of unmanned aircraft are involved in contravention of rule, then, the amount of penalty shall be levied at the rate applicable for the highest class of unmanned aircraft.

(4) Where such contravention of rule is by the organisation, the amount of penalty shall be as mentioned in Table below:

S. No.	Contravention committed by	Number of employees	Amount of penalty (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Organisation (Small)	Up to fifty employees	200 per cent. of the amount as provided for such contravention by the individual in sub-rules (1), (2) and (3), as applicable.

2.	Organisation (Medium)	More than fifty and up to two hundred employees	300 per cent. of the amount as provided for such contravention by the individual in sub-rules (1), (2) and (3), as applicable.
3.	Organisation (Large)	More than two hundred employees	400 per cent. of the amount as provided for such contravention by the individual in sub-rules (1), (2) and (3), as applicable.

- Note.** —
1. “Individual” means a natural person.
 2. “Organisation” means a body corporate or an association of individuals whether registered or not.
 3. “Employee” means an individual appointed, employed or engaged by the organisation whether contractual, temporary or permanent.

(5) Procedure for adjudication of penalty by designated officers. —

- (a) The designated officers upon his satisfaction that a person has contravened any of the rule as specified in Schedule II above, he may, after giving a reasonable opportunity of being heard to such person, by an order in writing, impose penalty in accordance with sub-rules (1), (2), (3) and (4), on such person, stating the nature of contravention, the provision of rules which have been contravened and the reasons for imposing such penalty along with demand notice.
- (b) The designated officers shall not proceed for imposition of penalty against a person, if it comes to his notice that the proceeding for suspension or cancellation of license, certificate or approval as the case may be, has been initiated in pursuance of the section 10B of the Act for contravention of same rule on same cause of action.
- (c) A copy of penalty order passed along with demand notice by the designated officers shall be served upon such person by a recognised mode of service.
- (d) The person aggrieved by an order under clause (a), within thirty days of the receipt of any such order, may prefer an appeal to appellate officer under rule 78.
- (e) The appellate officer may, after giving an opportunity of being heard to the appellant, pass a speaking order, confirming, modifying or setting aside the order passed by the designated officers.
- (f) The copy of appellate order passed by appellate officer shall be provided to the appellant and the concerned designated officers.
- (g) The designated officers, within thirty days from the date of the receipt of such order passed by the appellate officer, shall grant the effect to the order by issuing a revised demand notice to the person against whom the order has been passed for the amount of penalty imposed in the order.
- (h) The penalty thus imposed shall be paid by such person in the manner as specified by the Director-General within thirty days of the service of demand notice upon the person.
- (i) In case the person on whom the penalty is imposed fails to pay such amount of penalty within the time as stipulated in demand notice, then, the proceeding for cancellation or suspension of any licence, certificate, authorisation, permit or approval, as the case may be, may be initiated under these rules.

78. Appeals.— (1) If any person is aggrieved by an order passed under rule 71, 72 or clause (a) of sub-rule (5) of rule 77, by the Director General or any officer authorised by the Central Government or designated officers, in exercise of a power conferred on him by the Aircraft Act, 1934 or these rules, he may prefer an appeal in the Form UA-25 along with the fee as specified in rule 65, to the appellate officer having jurisdiction in matter and is next higher in rank to the officer who has passed such order.

(2) Every appeal under sub rule (1) shall be filed within thirty days from the date on which the copy of the order passed by the officer is received by the aggrieved person.

(3) The appellate officer may after giving the parties to the appeal, an opportunity of being heard, pass such order as he thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against:

Provided that in case of an order passed by the Director General, the appeal shall lie before the Secretary to the Government of India, Ministry of Civil Aviation.

79. Saving.— Nothing in these rules shall limit or otherwise affect the power of the Central Government with regard to any order issued in the interest of public safety or for safe operation of aircraft.

FORM UA-1 (See rules 6, 7 and 26)		
Application for issuance or renewal of Authorisation Number to Importer, Manufacturer, Trader, Owner or Operator	<i>Fix a passport size photo (in case of an individual)</i>	
	<i>Signature</i>	
Select the appropriate category		
1. Manufacturer		<input type="checkbox"/>
2. Importer		<input type="checkbox"/>
3. Trader		<input type="checkbox"/>
4. Owner		<input type="checkbox"/>
5. Operator		<input type="checkbox"/>
Part A For an Individual		
1. Name		
2. Father's name		
3. Gender		
4. Nationality		
5. Date of Birth		
6. Address		
7. Email		
8. Phone No.		
9. Document for Proof of Identity Submit any one	Passport Number	
	Aadhar Number	
	PAN Number	
	Voter Identification Number	
	Driving Licence Number	

10. Document for Proof of Address Submit any one	Passport Number	
	Aadhar Number	
	Voter Identification Number	
	Electricity Bill /Water Bill / Landline telephone bill / Bank Account Statements showing address not older than three months	
9. GST No., if applicable		
Part B For a Company or Body Corporate		
10. Name of the Company		
11. Previous name of the Company, if any		
12. Business Address		
13. Registered Address		
14. Email		
15. Phone No.		
16. Proof of incorporation- Certificate of Incorporation of the Company		
17. Names of the Directors with their DIN		
18. GST No., if applicable		
Part C For local authority, Central or state Government or agency thereof		
19. Name of the Organisation		
20. Business Address		
21. Registered Address		
22. Email		
23. Phone No.		
24. Certificate from the Head of the Department providing details of the organisation, its address and its intent to acquire a UAN.		
25. Names of Authorised Signatory	a.	
	b.	
	c.	
	d.	
	e.	

26. GST No., if applicable			
Part D For any other Person			
27. Name of the Organisation			
28. Business Address			
29. Registered Address			
30. Email			
31. Phone no.			
32. Proof of Registration / incorporation - Certificate of Registration/ Incorporation (upload)			
33. Names, Designation, address, and phone numbers of the Management Committee	a.		
	b.		
	c.		
	d.		
34. GST No., if applicable			
Part E General			
35. Old Authorisation Number (in case of new authorisation request due to any change in the credentials)			
36. Fee and Transaction Number (upload Transaction receipt)			
Category	Select the Category	Fee	Transaction details
Manufacturer			
Importer			
Trader			
Owner			
Operator			

Note: For authorisation in more than one category, appropriate boxes may be selected and corresponding documentation and fee shall be provided.

DECLARATION

- a) I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action, as applicable.
- b) For new authorisation, the change in credentials have been indicated in serial numbers (provide the list) – [strikethrough if not applicable]
- c)

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-2 (See rules 8 and 59)		
APPLICATION FOR UNIQUE PROTOTYPE IDENTIFICATION NUMBER		
1.	Name of Authorised Manufacturer or importer or authorised Research and Development organisation (as applicable)	
2.	Unique Authorisation Number, as applicable	
3.	Business Address	
4.	Registered Address	
5.	E-mail ID	
6.	Phone No.	
7.	Prototype Name	
8.	Category of Prototype UAS	
9.	Class of Prototype UA	
10.	Details of the Prototype: a) Three-view drawing of Prototype b) General arrangement/ layout drawing c) ETA from WPC d) Basic data e) Equipment details f) Description of design features g) Operating characteristics, and h) Proposed operating limitations	
11.	Novel design features, if any	
12.	Prototype Serial Number	
13.	Fee and Transaction Number (upload Transaction receipt)	

Note. - Relevant documents in respect of Sl. No. 10 to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action, as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-3 (See rule 9)		
APPLICATION FOR CERTIFICATE OF MANUFACTURE AND AIRWORTHINESS		
1.	Name of authorised UAS importer or Manufacturer (as applicable)	
2.	Unique Authorisation Number	
3.	Business Address	
4.	Registered Address	
5.	E-mail ID	
6.	Phone No.	
7.	Preferred testing laboratory or organisation: (i) (ii) (iii)	
8.	Details of Unmanned Aircraft System: a) Category: b) Classification: c) Model Name / Number: d) Aeroplane/ Helicopter/ Hybrid UAS: e) Maximum all-up-weight: f) Engine/ Motor: i) Type ii) Power Rating iii) Number of Engines/Motors g) Total fuel capacity (kg)/ Battery capacity (mAh): h) Compatible payload: (i) fixed or variable or both (ii) maximum weight of the payload (kg) (iii) volume in cubic centimeter i) Launch and recovery type (as applicable) j) Overall dimensions (lxb xh) (upload a 3- view drawing)	
9.	Three photographs of the UAS from three different angles (upload)	
10.	List of Parts or components with Part Numbers	
11.	ETA number from WPC Wing, Ministry of Communications (upload)	
12.	Details of Emergency Recovery System, if applicable:	
13.	List of equipment and systems (✓ appropriate boxes):	

	<input type="checkbox"/> GNSS <input type="checkbox"/> Geo-fence <input type="checkbox"/> Flight controller <input type="checkbox"/> NPNT <input type="checkbox"/> Command and Control Link <input type="checkbox"/> Barometric equipment <input type="checkbox"/> Manufacturer Serial Number <input type="checkbox"/> Two-way communication system	<input type="checkbox"/> RTH <input type="checkbox"/> Anti-collision light <input type="checkbox"/> Flight data logging capability <input type="checkbox"/> SSR transponder/ ADS-B OUT <input type="checkbox"/> Real-time tracking system <input type="checkbox"/> Detect and Avoid <input type="checkbox"/> Fire resistant identification plate <input type="checkbox"/> 360 degrees collision avoidance system
	(GNSS -Global Navigation Satellite System; NPNT - No Permission – No Takeoff; RTH- Return to Home)	
14.	Documentation (upload): a) Unmanned Aircraft Flight Manual; and b) Maintenance Manual.	
15.	Basic Performance Parameters: a) Speeds b) Range c) Endurance d) Operational Altitude e) Operational envelope f) Propeller/Rotor speed and pitch for safe operation	
16.	Unique Prototype UAS Identification Number	
17.	Fee and Transaction Number (upload Transaction receipt)	

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action, as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-4 (See rule 13)		
CERTIFICATE OF CONFORMANCE C of C Number -----		
1.	Name of Manufacture or Importer (as applicable)	
2.	Address of the Manufacturer or Importer	
3.	UA Type / Model	
4.	Certificate of Manufacture and Airworthiness Number	
5.	Serial number of UA	
6.	Batch Number	
7.	Three photographs of the UAS from three different angles (attach)	
8.	List of Parts or components with Part Numbers (attach)	
<p>Statement of Conformity:</p> <p>It is hereby certified that this UA has been manufactured in conformity to the Certificate of Manufacture and Airworthiness.</p> <p>The UA is in a condition for safe operation.</p>		
Signed	Name	Date

FORM UA-5 (See rule 14)	
CERTIFICATE OF MAINTENANCE	
Certificate of Maintenance No.:	UIN-
Owner:	
Operator:	
Name of the Authorised Maintenance Centre:	

	Manufacturer	Type	Serial no.	Time Since new	Time Since last Overhaul	Time Since Last insp.
UA						
Engine						
Propeller/Rotor						
UA A UW:						

Attach additional sheet, if required

Maintenance type:		Scheduled		Unscheduled		Repair / Modification	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maintenance data							
Item No.	Work performed: (Detailed description of maintenance carried out, replaced parts, approved repairs/modifications, etc.)						
1							
2							
3							
4							
5							
Deferred defects/items:							
Limitations:							
Three photographs of the UAS from three different angles (attach)							
Certified that the work specified, except as otherwise indicated above, was carried out in accordance with data approved by the manufacturer and the unmanned aircraft is released to service.							
Name		Signature				date	

FORM UA-6 (See rule 10)		
APPLICATION FOR IMPORT CLEARANCE OF PROTOTYPE UAS		
1.	Name of Authorised UAS importer	
2.	Unique Authorisation Number	
3.	In case of Company provide names of directors	i.
		ii.
		iii.
		iv.
		v.
4.	In case of other persons provide names of top management	i.
		ii.
		iii.
		iv.
		v.
5.	Business Address	
6.	Registered Address	

7.	E-mail ID	
8.	Phone No.	
9.	Nationality:	
10.	Security clearance Number (Upload), if applicable	
Details of Prototype UAS		
11.	Aeroplane/ Helicopter/ Hybrid UAS	
12.	Quantity	
13.	Name and address of manufacturer	
14.	Model Name/Number	
15.	Date and Year of Manufacture	
16.	Maximum all-up-weight:	
17.	Classification:	
18.	<p>Details of Unmanned Aircraft System:</p> <p>a) Engine/ Motor:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) Type</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) Power Rating</p> <p style="padding-left: 20px;">iii) Number of Engines/Motors</p> <p>b) Total fuel capacity (kg)/ Battery capacity (mAh):</p> <p>c) Compatible payload:</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) fixed or variable or both</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) maximum weight of the payload (kg)</p> <p style="padding-left: 20px;">(iii) volume in cubic centimeter</p> <p>d) Launch and recovery type (as applicable)</p> <p>e) Overall dimensions (l x b x h) (upload a 3- view drawing)</p>	
19.	<p>Basic Performance Parameters:</p> <p style="padding-left: 20px;">g) Speeds</p> <p style="padding-left: 20px;">h) Range</p> <p style="padding-left: 20px;">i) Endurance</p> <p style="padding-left: 20px;">j) Operational Altitude</p> <p style="padding-left: 20px;">k) Operational envelope</p> <p style="padding-left: 20px;">f) Propeller/Rotor speed and pitch for safe operation</p>	
20.	List of Equipment & System installed	

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action, as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-7 (See rule 10)		
APPLICATION FOR IMPORT CLEARANCE OF COMPLIANT UAS		
1.	Name of Authorised UAS importer	
2.	Unique Authorisation Number	
3.	In case of Company provide names of directors	i.
		ii.
		iii.
		iv.
		v.
4.	In case of other persons provide names of top management	i.
		ii.
		iii.
		iv.
		v.
5.	Business Address	
6.	Registered Address	
7.	E-mail ID	
8.	Phone No.	
9.	Nationality:	
10.	Security clearance Number (Upload), if applicable	
Details of Compliant UAS		
11.	Certificate of Manufacture and Airworthiness Number (Upload)	
12.	Aeroplane/ Helicopter/ Hybrid UAS	
13.	Classification	
14.	Quantity of UAS	
15.	Name and address of manufacturer	
16.	Model Name/Number	
17.	Date and Year of Manufacture	
18.	Maximum all-up-weight	
19.	Maximum height attainable	
20.	Payload details	
21.	Overall dimensions (l x b x h) (upload a 3- view drawing)	

22.	New/ Pre-owned	
23.	Mode of import (Lease/Outright Purchase)	
24.	Name & Address of the Owner in case of Lease	
25.	Name & Address of the Lessor in case of Lease	
26.	ETA Number from WPC, Ministry of Communications (Upload)	

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action, as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-8 (See rule 10)		
APPLICATION FOR IMPORT CLEARANCE OF PARTS AND COMPONENTS		
1.	Name of Authorised UAS importer	
2.	Unique Authorisation Number	
3.	In case of Company provide names of directors	i.
		ii.
		iii.
		iv.
		v.
4.	In case of other persons provide names of top management	i.
		ii.
		iii.
		iv.
		v.
5.	Business Address	
6.	Registered Address	
7.	E-mail ID	
8.	Phone No.	

9.	Nationality:	
10.	Security clearance Number (Upload), if applicable	
Details of Parts and Components		
11.	Purpose of import	<p>Manufacture</p> <input type="checkbox"/> Upload i. Manufacturer Authorisation ii. Certificate of Manufacture & Airworthiness of respective UAS
		<p>Research & Development</p> <input type="checkbox"/> Upload i. R & D authorisation ii. Prototype Identification Number
		<p>Maintenance</p> <input type="checkbox"/> Upload i. Owners Authorisation ii. Certificate of Manufacture & Airworthiness of respective UAS
Details of Parts and Components		
S. No.	Name of Parts & Components alongwith Part numbers	Quantity

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action, as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-9 (See rules 18 and 26)		
APPLICATION FOR UNIQUE IDENTIFICATION NUMBER		
1.	Name of Authorised UAS Importer or Manufacturer	
2.	Name of the Owner or Operator (in case of existing imported or manufactured UAS)	
3.	Unique Authorisation Number	

4.	Business Address	
5.	Registered Address	
6.	E-mail ID	
7.	Phone No.	
8.	Import Licence/permission Number (In case of Importer) (upload)	
9.	Certificate of Manufacture and Airworthiness or Type Certificate Number, as applicable (upload)	
10.	Acceptance issued by the Director General (in case of existing imported or manufactured UAS) (upload)	
11.	Certificate of Conformance Number (upload)	
12.	Model Number	
13.	Date and Year of Manufacture	
14.	Manufacturing Serial Number	
15.	Fee and Transaction Number (upload Transaction receipt)	

Note: Serial Numbers 1, 8, 9 and 11 shall not be applicable in case of obtaining a UIN in respect of existing imported or manufactured UAS in India.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action, as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-10 (See rule 24)	
Application for transfer of Unmanned Aircraft System	
Please select the applicable mode of transfer or change in ownership	
<input type="checkbox"/> Sale <input type="checkbox"/> Lease <input type="checkbox"/> Any other means of transfer	

Part A : Transferor details	
a. In case of individual	
1. Name	
2. Father's Name	
3. Address	
4. Nationality	
5. Date of Birth	
6. Email	
7. Phone no.	
8. Unique Authorisation Number (UAN)	
9. GST No., if applicable	
b. In case of company or corporate	
9. Name of the Company	
10. Previous name of the Company, if any	
11. Business Address	
12. Registered Address	
13. Email	
14. Phone no.	
15. Proof of incorporation- Certificate of Incorporation of the Company	
16. Names of the Directors with their DIN	
17. Unique Authorisation Number (UAN)	
18. GST No., if applicable	
c. In case of local authority, Central or state Government or agency thereof	
18. Name of the Organisation	
19. Business Address	
20. Registered Address	
21. Email	
22. Phone no.	
23. Unique Authorisation Number (UAN)	

24. Certificate from the Head of the Department providing details of the organisation, its address	
25. Name of Authorised Signatory	
26. GST No.,if applicable	
d. In case of any other Person	
27. Name of the Organisation	
28. Business Address	
29. Email	
30. Phone no.	
31. Unique Authorisation Number (UAN)	
32. Proof of Registration /incorporation-	
33. Name, Designation, address and phone number of the Chairman and members of the Management Committee	
34. GST No., if applicable	
Part B : Transferee details	
a. In case of individual	
35. Name	
36. Father's Name	
37. Address	
38. Nationality	
39. Date of Birth	
40. Email	
41. Phone No.	
42. Unique Authorisation Number (UAN)	
43. GST No., if applicable	
b. In case of company or corporate	
44. Name of the Company	
45. Previous name of the Company, if any	
46. Business Address	
47. Registered Address	

48. Email	
49. Phone no.	
50. Proof of incorporation- Certificate of Incorporation of the Company	
51. Names of the Directors with their DIN	
52. Unique Authorisation Number (UAN)	
53. GST No., if applicable	
c. In case of local authority, Central or state Government or agency thereof	
54. Name of the Organisation	
55. Business Address	
56. Registered Address	
57. Email	
58. Phone no.	
59. Unique Authorisation Number (UAN)	
60. Certificate from the Head of the Department providing details of the organisation	
61. Name of Authorised Signatory	
62. GST No., if applicable	
d. In case of any other Person	
63. Name of the Organisation	
64. Business Address	
65. Email	
66. Phone no.	
67. Unique Authorisation Number (UAN)	
68. Proof of Registration /incorporation-	
69. Name, Designation, address and phone number of the Chairman and members of the Management Committee	
70. GST No., if applicable	

Part C : General	
67. Unique Identification Number (UIN)	
68. UAS ceases to be owned wholly by the registered owner (upload change in shareholding)	
69. Sale, Lease or Transfer (upload transfer deed)	
70. Fee and Transaction Number (upload Transaction receipt)	

Note- Self attested documents in support of Name, Address, Unique Authorisation Number (UAN), and Certificate of Incorporation (in case of a Company) for both transferor and transferee, the Unique Identification Number (UIN) of the UAS, and proof of damage beyond repair or loss of UAS in case of intimation to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action, as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-11 (See rule 26)	
Application for acceptance of existing imported or manufactured Unmanned Aircraft System	
UAS Owner details	
1. Name of authorised owner	
2. Unique Authorisation Number	
3. Drone Acknowledgement Number (DAN)	
4. Owner Acknowledgement Number (OAN)	
5. Address	
6. E-mail ID	
7. Phone No.	
UAS importer/ Manufacturer details	
8. Name of authorised UAS importer/ Manufacturer	
9. Unique Authorisation Number	
10. Address	
11. E-mail ID	
12. Phone No.	
13. Preferred testing laboratory or organisation:	
i).	
ii).	
iii).	

Details of Unmanned Aircraft System:	
14. Category	
15. Classification	
16. Model Name / Number	
17. Aeroplane/ Helicopter/ Hybrid UAS	
18. Maximum all-up-weight	
19. Engine/ Motor:	
i). Type	
ii). Power Rating and	
iii). Number of Engines/Motors	
20. Total fuel capacity (kg)/ Battery capacity (mAh)	
21. Compatible payload:	
(i) fixed or variable or both	
(ii) maximum weight of the payload (Kg)	
(iii) volume in cubic centimeter	
22. Launch and recovery type (as applicable)	
23. Overall dimensions (l x b x h) (attach a 3- view drawing)	
24. ETA Number from WPC Wing, Ministry of Communications (upload)	
25. Details of Emergency Recovery System	
26. List of equipment and systems (✓ appropriate boxes):	
<input type="checkbox"/> GNSS	<input type="checkbox"/> RTH
<input type="checkbox"/> Geo-fence	<input type="checkbox"/> Anti-collision light
<input type="checkbox"/> Flight controller	<input type="checkbox"/> Flight data logging capability
<input type="checkbox"/> NPNT	<input type="checkbox"/> SSR transponder/ ADS-B OUT
<input type="checkbox"/> Command and Control Link	<input type="checkbox"/> Real-time tracking system
<input type="checkbox"/> Barometric equipment	<input type="checkbox"/> Detect and Avoid capability
<input type="checkbox"/> Manufacturer Serial Number	<input type="checkbox"/> Fire resistant identification plate
<input type="checkbox"/> Two-way communication system	<input type="checkbox"/> 360 degrees collision avoidance system
(GNSS -Global Navigation Satellite System; NPNT - No Permission – No Takeoff; RTH- Return to Home)	
27. Compliance to equipment requirements applicable for the specific category and class of UAS	
28. Fee and Transaction Number (upload Transaction receipt)	

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action, as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-12 (See rule 28)	
Application for Issue or Renewal of UAS Operator Permit I (UAOP - I)	
Part-A: General	
1. Name of Operator	
2. Unique Authorisation Number	
3. Address	
4. Email	
5. Phone Number	
6. Number of UAS	
7. Number of Remote Pilots	
8. Security Programme approval details	
Part-B: Details of Each UAS	
9. Make & Model	
10. Manufacturing Serial Number	
11. UIN	
12. Category and Class	
13. ETA Number from WPC Wing, Ministry of Communications (upload)	
14. Payload Details	
15. Insurance (upload)	
Part-C: Details of Each Remote Pilot	
16. Name	
17. Remote Pilot Licence Number	
18. Qualification <i>(Category/ Class/ Rating)</i>	
19. Experience Details <i>(Roles and operations undertaken)</i>	
Part-D: Details of Permit Sought	
20. Standard Operating Procedure (SOP) <i>(Provide document identification number)</i>	
21. Details of geographical areas where intending to operate <i>(should be commensurate with UAS characteristics and SOP)</i>	
22. Details of Approvals sought <i>(e.g. videography/ survey etc. - should be commensurate with the SOP)</i>	

23. Fee and Transaction Number (upload Transaction receipt)	
24. Existing UAOP Number (in case of renewal application)	

Note: All requisite documents like unique authorisation number, ETA, UIN, Remote Pilot Certificate or Remote Pilot Licence (as applicable), BCAS Approval and draft SOP for acceptance shall be uploaded.

For renewal of UAOP-I, any changes in Part B and C or D of Form UA-9 shall be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action, as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-13 (See rule 28)	
Application for Issue or Renewal of UAS Operator Permit II (UAOP-II)	
Part-A: General	
1. Name of Operator	
2. Unique Authorisation Number	
3. Address	
4. Email	
5. Phone Number	
6. Number of UAS	
7. Number of Remote Pilots	
Part-B: Details of Each UAS	
8. Number of UAS	
9. Make & Model of UAS	
10. Manufacturing Serial Number	
11. UIN	
12. Category and Class	
13. Max attainable speed	
14. Max attainable height	
15. Max AUW	

16. ETA Number from WPC Wing, Ministry of Communications (upload)	
17. Payload Details	
18. Insurance (upload)	
Part-C: Details of Each Remote Pilot	
19. Name of Remote Pilot Licence Holder	
20. Remote Pilot Licence Number	
21. Qualification (<i>Category/ Class/ Rating</i>)	
22. Experience Details (<i>Roles and operations undertaken</i>)	
Part-D: Details of Documents Submitted and Approvals Sought	
23. Operations Manual (<i>Provide document identification number</i>)	
24. BCAS Security Programme approval reference (<i>if applicable</i>)	
25. Permission for Carriage of Dangerous Goods (<i>if applicable</i>)	
26. Details of geographical areas where intending to operate (<i>e.g. domestic/ international/ RVSM/ MNPS etc</i>),	
27. Details of Special Approvals sought (<i>e.g. Dangerous Goods, Low Visibility Operations, RVSM, PBN, EDTO, EFB, any other</i>)	
28. Fee and Transaction Number (upload Transaction receipt)	
29. Existing UAOP Number (in case of renewal application)	

Note: All requisite documents like unique authorisation number, ETA, UIN, Remote Pilot Licence (as applicable), security programme approval from BCAS and draft Operations Manual shall be uploaded.

For renewal of UAOP-II, any changes in Part B, C and D of Form UA-10 shall be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action, as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-14 (See rule 30)				
Application for the issue or renewal of Student Remote Pilot Licence (Aeroplane/ Rotorcraft/ Hybrid)				
1.	Name		Recent Photograph	
2.	Father's Name			
3.	Date of birth			
4.	Nationality			
5.	Email Id			
6.	Phone Number			
7.	Permanent Address			
8.	Correspondence Address		<i>Signature</i>	
9.	Educational Qualification			
10.	Training Organisation			
Examination		Name of Board/ university		Year of Passing
Class X or equivalent				
Class XII or equivalent				
Any other				
11. Medical Fitness				
Medical Centre		Date of medical examination	Valid Up to	
12. Category of UAS and Class of UA				
Category of UAS			Class of UA	
13. Report on verification of character and antecedents of the individual from the concerned government agency (upload)				
14. Details of RTR (A), if applicable				
Licence	Number	Date of Issue	Valid Up to	Remarks, if any
RTR(A)				
15. Renewal				
Student Remote Pilot Licence Details		Licence Number	Valid Up to	
Category of UAS				
Class of UA				

Note. - Self attested documents in support of Name, Address, Date of Birth, Educational Qualification, Medical Fitness, and RTR (A), if applicable to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action, as applicable.

Date:

Place:

Name and Signature

FORM UA-15 (See rule 31) Application for the issue or renewal of Remote Pilot Licence (Aeroplane/ Rotorcraft/ Hybrid)				
1.	Name		Recent Photograph	
2.	Father's Name			
3.	Date of birth			
4.	Nationality			
5.	Email Id			
6.	Phone Number			
7.	Permanent Address			
8.	Correspondence Address		<i>Signature</i>	
9. Educational Qualification				
Examination		Name of Board/ university		Year of Passing
Class X or equivalent				
Class XII or equivalent				
Any other				
10. Medical Fitness				
Medical Centre		Date of medical examination		Valid Up to
11. Category of UAS and Class of UA				
Category of UAS			Class of UA	
12. DGCA Examination				
Paper		Roll No.	Date of Result	Valid Up to
13. Training				
Name of Training Organisation		Date From	Date To	Training Certificate Number
14. Skill Test				
Name of Training Organisation		Date of Skill Test		Valid Up to
15. Details of RTR (A)				
Licence	Number	Date of Issue	Valid Up to	Remarks, if any
RTR(A)				
16.	Have you been involved in UAS accident/ incident in preceding 5 years			Yes/No
	If yes, give details thereof; with the disciplinary action taken, if any:-			

17.	If, holding any flight crew or Remote Pilot licence please give details		
Name & number of Licence		Date of issue	Valid Up to
18. Fee and Transaction Number (upload Transaction receipt)			
19. Renewal			
Remote Pilot Licence Details		Licence Number	Valid Up to
Category of UAS			
Class of UA			

Note.- Self attested documents in support of Name, Address, Date of Birth, Educational Qualification, Medical Fitness, Training, DGCA Examinations, Skill Test and RTR(A) to be uploaded. For renewal of Remote Pilot Licence, copy of existing Remote Pilot Licence, updated training records and medical fitness to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action, as applicable.

Date:

Place:

Name and Signature

FORM UA-16 (See rule 31) Application for Extension of Category of Unmanned Aircraft System and Class of Unmanned Aircraft			
1. Details of Remote Pilot Licence			
Licence Number	Category	Class of UA	Valid Up to
2. Details of Extension of Category of UAS or Class of UA			
Category (Same as 1. Above)		Class of UA	
3. DGCA Examination			
Paper	Roll No.	Date of Result	Valid Up to
4. Training			
Name of Training Organisation	Date From	Date To	Training Certificate Number
5. Skill Test			
Name of Training Organisation	Date of Skill Test		Valid Up to

6.	Have you been involved in UAS accident/ incident in preceding 5 years	Yes/No
	If yes, give details thereof; with the disciplinary action taken, if any:-	
7. Fee and Transaction Number (upload Transaction receipt)		

Note. - Self attested documents in support of Medical Fitness, Training, DGCA Examinations and Skill Test to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action, as applicable.

Date:

Place:

Name and Signature

FORM UA-17			
(See rule 32)			
Application for the Issue or renewal of Remote Pilot Instructor Rating			
1. Details of Remote Pilot Licence			
Licence Number	Category	Class of UA	Valid Up to
2. Details of Remote Pilot Experience			
Category (Same as 1. Above)	Class of UA	Experience Details	
3. DGCA Examination			
Paper	Roll No.	Date of Result	Valid Up to
4. Training			
Name of Training Organisation	Date From	Date To	Training Certificate Number
5. Skill Test			
Name of Training Organisation	Date of Skill Test	Valid Up to	
6.	Have you been involved in UAS accident/ incident in preceding 5 years	Yes/No	
	If yes, give details thereof; with the disciplinary action taken, if any:-		

7. Fee and Transaction Number (upload Transaction receipt)	
8. Renewal	
Remote Pilot Instructor Rating Details	Number
	Valid Up to

Note. - Self attested documents in support of Remote Pilot Licence, Medical Fitness, Training, DGCA Examinations, Skill Test and Experience to be uploaded. For renewal of Remote Pilot Instructor Rating, copy of existing Remote Pilot Licence with Remote Pilot Instructor rating, updated training records and medical fitness to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action, as applicable.

Date:

Place:

Name and Signature

FORM UA-18 (See rule 34)	
APPLICATION FOR ISSUANCE OR RENEWAL OF AUTHORISATION OF UAS TRAINING ORGANISATION	
Part A: For a Company or Body Corporate	
1. Name of the Company	
2. Previous name of the Company, if any	
3. Business Address	
4. Registered Address	
5. Email	
6. Phone no.	
7. Proof of incorporation- Certificate of Incorporation of the Company	
8. Names of the Directors with their DIN	
9. GST No., if applicable	
Part B: For a Trust or Society	
10. Name of the Trust or Society	
11. Business Address	
12. Registered Address	
13. Email	
14. Phone no.	

15. Proof of registration- Certificate of registration of the Trust or Society			
16. Names of trustee and members			
17. GST No., if applicable			
Part C: Central or State Government or agency thereof			
18. Name of the Organisation			
19. Business Address			
20. Registered Address			
21. Email			
22. Phone no.			
23. Certificate from the Head of the Department providing details of the organisation, its address			
24. Name of Authorised Signatory			
25. GST No., if applicable			
Part D: General			
26. Category of UAS and class of UA on which Training will be imparted			
27. Details of Unmanned Aircraft System	Make and Model	UIN	Owned/ Leased
28. Number of the UAS Instructor (s) for different classes of UA			
29. Principal base of operation			
30. Documentation (upload): i. Training & Procedure Manual (TPM); and ii. Operational Manual for UAS.			
31. Fee and Transaction Number (upload Transaction receipt)			
32. Existing authorisation number of training organisation (in case of renewal application)			

Note. - Self attested documents in support of Name, Address and Incorporation/registration of organisation and requisite documents to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action, as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-19 (See rule 49)		
Application for issuance of Authorisation or Licence or renewal of licence of Drone port		<i>Recent passport size photo (in case of an individual)</i>
		<i>Signature</i>
Part A For an Individual		
1. Name		
2. Father's Name		
3. Gender		
4. Nationality		
5. Date of Birth		
6. Address		
7. Email		
8. Phone no.		
9. Document for Proof of Identity Submit any one	Passport Number	
	Aadhar Number	
	PAN Number	
	Voter Identification	
	Driving Licence Number	
10. Document for Proof of Address Submit any one	Passport Number	
	Aadhar Number	
	Voter Identification Number	
	Electricity Bill / Water Bill / Landline telephone bill/ Bank Account Statements showing address not older than three months	
11. GST No., if applicable		
Part B For a Company or Corporate		
12. Name of the Company		
13. Previous name of the Company, if any		
14. Business Address		
15. Registered Address		
16. Email		

17. Phone no.	
18. Proof of incorporation- Certificate of Incorporation of the Company	
19. Names of the Directors with their DIN	
20. GST No., if applicable	
Part C For local authority, Central or state Government or agency thereof	
21. Name of the Organisation	
22. Business Address	
23. Registered Address	
24. Email	
25. Phone no.	
26. Certificate from the Head of the Department providing details of the organisation, and its address	
24. Name of Authorised Signatory	
25. GST No., if applicable	
Part D General	
26. Fee and Transaction Number (upload Transaction receipt)	
27. Existing licence number of drone port (in case of renewal application)	
Part E Documentation (upload)	
28. Land or Property details	
29. No Objection Certificate from concerned Authorities	
30. Drone port Manual	

Note. - Self attested documents in support of Name, Address, Incorporation/ Registration of organisation and documents to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action, as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-20

(See rule 51)

Application for Issue or Renewal of Licence of UTM Service Provider**Part A: For a Company or Body Corporate**

1. Name of the Company	
2. Previous name of the Company, if any	
3. Business Address	
4. Registered Address	
5. Email	
6. Phone no.	
7. Proof of incorporation- Certificate of Incorporation of the Company	
8. Names of the Directors with their DIN	
9. GST No., if applicable	

Part B: For a Trust or Society

10. Name of the Trust or Society	
11. Business Address	
12. Registered Address	
13. Email	
14. Phone no.	
15. Proof of registration- Certificate of registration of the Trust or Society	
16. Names of trustee and members	
17. GST No., if applicable	

Part C: Central or State Government or agency thereof

18. Name of the Organisation	
19. Business Address	
20. Registered Address	
21. Email	
22. Phone no.	
23. Certificate from the Head of the Department providing details of the organisation, its address	
24. Names of Authorised Signatory	

25. GST No., if applicable	
Part D: General	
26. Experience as UTM Service Provider	
27. Documentation (upload): i. UTM Service Manual ii. SMS Manual iii. Training Manual for UTM personnel, iv. UTM infrastructure document v. Agreement of operations between UTM operator and air traffic service providers in close vicinity and agreed Standard Operating Procedure between them	
28. Fee and Transaction Number (upload Transaction receipt)	
29. Existing Licence number (in case of renewal application)	

Note. – Self attested documents in support of Name, Address and Incorporation/registration of organisation and requisite documents to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action, as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-21 (See rule 52)			
Application for the issue or renewal of UTM Personnel Licence			
1.	Name		<i>Recent passport size photo (in case of an individual)</i> <i>Signature</i>
2.	Father's Name		
3.	Gender		
3.	Date of birth		
4.	Nationality		
5.	Address		
6.	Email Id		
7.	Phone Number		

8. Educational Qualification				
Degree	Name of Institute/university	Year	Result	
9. Medical Fitness				
Name and address of the Medical Centre	Date of medical examination	Fit/ Unfit		
10. DGCA Examination				
Examination name	Passed on	Roll No.	Date of Result	Valid Up to
11. Training				
Name of Training Organisation	Date From	Date To	Training Certificate Number on successful completion	
12. Fee and Transaction Number (upload Transaction receipt)				
13. Existing Licence number (in case of renewal application)				

Note. - Self attested documents in support of Name, Address, Date of Birth, Educational Qualifications, Medical fitness and Training to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action, as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-22 (See rule 53)	
APPLICATION FOR ISSUANCE OR RENEWAL OF AUTHORISATION OF UTM TRAINING ORGANISATION	
Part A: For a Company or Body Corporate	
1. Name of the Company	
2. Previous name of the Company, if any	
3. Business Address	

4. Registered Address	
5. Email	
6. Phone no.	
7. Proof of incorporation- Certificate of Incorporation of the Company	
8. Names of the Directors with their DIN	
9. GST No., if applicable	
Part B: For a Trust or Society	
10. Name of the Trust or Society	
11. Business Address	
12. Registered Address	
13. Email	
14. Phone no.	
15. Proof of registration- Certificate of registration of the Trust or Society	
16. Names of trustee and members	
17. GST No., if applicable	
Part C: Central or State Government or agency thereof	
18. Name of the Organisation	
19. Business Address	
20. Registered Address	
21. Email	
22. Phone no.	
23. Certificate from the Head of the Department providing details of the organisation, its address	
24. Names of Authorised Signatory	
25. GST No., if applicable	
Part D: General	
26. Number of the UTM trainer (s)	
27. Principal base of operation	
28. Documentation (upload): iii. Training & Procedure Manual (TPM); and iv. Operational Manual for UAS.	

29. Fee and Transaction Number (upload Transaction receipt)	
30. Existing authorisation number of training organisation (in case of renewal application)	

Note. - Self attested documents in support of Name, Address and Incorporation/registration of organisation and requisite documents to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action, as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-23 (See rule 58)		
Application for issuance or renewal of authorisation of Research and Development organisation		
Part A: For Startup		
1. Name of the Startup		
2. Business Address		
3. Registered Address		
4. Email		
5. Phone no.		
6. Proof of Startup recognition- (upload documentary proof)		
7. Names of the Authorised Signatory, (in case of any individual, any ID Proof)		
a. Document for Proof of Identity (Submit any one)	Passport Number	
	Aadhar Number	
	PAN Number	
	Voter Identification Number	
b. Document for Proof of Address (Submit any one)	Driving Licence Number	
	Passport Number	
	Aadhar Number	
	Voter Identification Number	
	Electricity Bill / Water Bill / Landline telephone bill/ Bank Account Statements showing address not older than three months	

8. Certificate of incorporation (In case of startup company)		
9. GST No., if applicable		
Part B: For a Company or Body Corporate		
10. Name of the Company		
11. Previous name of the Company, if any		
12. Business Address		
13. Registered Address		
14. Email		
15. Phone no.		
16. UAN (for Authorised UAS Manufacturer)		
17. Proof of incorporation- Certificate of Incorporation of the Company		
18. Names of the Directors with their DIN		
19. GST No., if applicable		
Part C: Institution of higher education		
20. Name of the Institution		
21. Business Address		
22. Registered Address		
23. Email		
24. Phone no.		
25. Proof of accreditation, by a nationally recognized accrediting agency		
26. Details of courses offered in the academic areas related to Science and Technology		
27. Name and Designation, of the Authorised Signatory		
Part D: Central or State Government Research & Development Organisation		
28. Name of the Organisation		
29. Business Address		
30. Registered Address		
31. Email		
32. Phone no.		
33. Certificate from the Head of the Department providing details of the organisation, its address and its intent to acquire an authorisation for Research & Development Organisation.		

34. Names of Authorised Signatory	
35. GST No., if applicable	
Part E: General	
36. Old Authorisation Number (in case of renewal request)	
37. Fee and Transaction Number(upload Transaction receipt)	

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action, as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

FORM UA-24 (See rule 76)		
Application for compounding of Offences		
1.	Name(s) of the Applicant	
2.	Address	
3.	Email Address	
4.	Phone No.	
5.	The Authority/Office before whom the case is pending :	
6.	Contravention of sections or rules	
7.	Brief facts of the case	
8.	Any other information relevant to the case	
9.	Prayer of the Applicant	
10.	Fee and transaction details	
11.	Attachment, if any	

Verification

I _____, the applicant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Name and Signature of the Applicant

Date:

Place:

FORM UA-25 (See rule 78)		
Form of appeal to the Appellate Officer		
1.	Name(s) of the Appellant	
2.	Address	
3.	Email Address	
4.	Phone No.	
5.	Order No. with Date, against which the appeal is preferred (copy of the order to be enclosed)	
6.	Name and Post of the designated Officer by whom the order is passed	
7.	Contravention of rules for which order was passed	
8.	Operative part of order	
9.	Date on which the copy of order received by the appellant	
10.	Date of completion of 30 days Limitation period	
11.	Brief facts of the case	
12.	Grounds of Appeal	
13.	Prayer of the Appellant	
14.	Fee and transaction details	

Verification

I _____, the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Name and Signature of the Appellant

Date:

Place:

[F. No. AV-11012/4/2019-DG]
SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.